सप्तम माला, 29 जनवरी, 1980/माघ, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक, 7 मंगलवार, 29 जनवरी, 1980/9 माघ, 1901 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 17 से 19, 21, 23 और 24			
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	1	...	19—31
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	31—87
तारांकित प्रश्न संख्या : 22, 25 से 27 और 29 से 33, 33क, और 34 से 36			
अतारांकित प्रश्न संख्या : 29 से 39, 41 से 71, 71क, 71ख, 71ग और 71घ			
अतारांकित प्रश्न संख्या 8027 दिनांक 23-4-1979 तथा		...	
तारांकित प्रश्न संख्या 490 दिनांक 27-3-1979 में		...	
शुद्धि करने वाले विवरण		...	87—89
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	...	89—99
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	...	...	99—102
(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किस्त स्वीकृत करने में कथित विलम्ब			
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	...	99
(दो) असैनिक राष्ट्रीय उपाधियां देना पुनः आरम्भ किया जाना			
श्री ज्योतिमय वसु	...	...	99—100
(तीन) तमिलनाडु को हार्ड कोक का कम नियतन किया जाना			
श्री एस० ए० दोराई सेबास्टियन		...	100
(चार) कछार के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई न किये जाने का समाचार		...	
श्री सन्तोष मोहन देव	...	...	100—101
(पांच) विश्व शांति परिषद् के अध्यक्ष, श्री रमेश चन्द्र को नजरबन्द करना और लन्दन हवाई अड्डे से बाहर निकाला जाना			
श्री चन्द्रजीत यादव	...	...	101

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		...	103—156
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	103—108
श्री माधवराव सिन्धिया	...	...	108—112
श्री केदार पांडेय	...	...	112—117
श्री चित्त बसु	...	...	117—120
श्री चन्द्रशेखर सिंह	...	...	120—124
श्री सतीश प्रसाद सिंह	...	...	124—127
श्री बालानन्दन	...	...	127—130
श्री हरिकेश बहादुर	...	...	130—133
प्रो० के० के० तिवारी	...	...	133—140
श्री राम जेठमलानी	...	...	140—145
श्री आर० एस० स्पैरो	...	...	145—152
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	...	...	153—156
भोजन काल मध्याह्न समाप्त करने के बारे में घोषणा	...	...	152
कार्य मन्त्रणा समिति	...	...	156
पहला प्रतिवेदन			

लोक सभा

मंगलवार, 29 जनवरी, 1980/ 9 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 388 के अन्तर्गत मैंने नोटिस दिया है...

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी अनुमति के बिना है। कार्य-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाये।

श्री ज्योतिमय बसु : *

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है, यह अभी-अभी प्राप्त हुआ है, प्रश्न।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

देश में कोयले की आवश्यकता तथा उपलब्धता

*17 श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कोयले की आवश्यकता की तुलना में उसकी उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या कोयले की वर्तमान उपलब्धता पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से [ग] एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) वर्ष 1979-80 के प्रारम्भ में कोयले की मांग का निर्धारण 118 मि० टन किया गया था। इसकी तुलना में चालू वर्ष में उत्पादन 104 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसके अलावा 1-1-1980 को खान मुहानों पर लगभग 11 मि० टन कोयले का स्टाक था। परिचालन सम्बन्धी

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

कारणों से इस स्टाक की लगभग आधी मात्रा ही उपभोक्ताओं को भेजी जा सकती है। इस प्रकार वर्ष के अन्त में लगभग 110 मि० टन कुल कोयला उपलब्ध होगा।

(ख) कुछ वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कोयला उनकी मांग पूरी करने के लिए काफी नहीं होगा। यद्यपि बिजलीघरों, सीमेंट कारखानों और कुछ उद्योगों की अपेक्षित ग्रेडों का कोयला उनकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है, किन्तु इस्पात कारखानों और कुछ अन्य वर्गों के औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपेक्षित कोयले की कमी है।

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ताओं को इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) दामोदर घाटी निगम में अधिक बिजली पैदा करके पूर्वी क्षेत्र में कोयला कम्पनियों को अधिक बिजली दी जा रही है।

(ii) कोयला कम्पनियों को डीजल की सप्लाई बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

(iii) देश में विस्फोटक पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए इनका आयात किया जा रहा है।

(iv) बंगाल, बिहार कोयला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके उपाय किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से गृह मंत्रालय में एक विशेष 'सेल' गठित किया गया है।

(v) उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने की दृष्टि से कोयले का अधिक प्रेषण करने के लिए रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है। परेशानी अनुभव करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी प्रायोजित मात्रा का कोयला सड़क से ले जाने के लिए भी कोयला कम्पनियां दे रही हैं।

(vi) कोल इण्डिया लि० के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे की अभी पुनरीक्षा की जा रही है ताकि इसे देश में कोयला उद्योग की उन्नति और विकास के लिए अधिक प्रभावशाली साधन बनाया जा सके।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, विगत 6 वर्षों में उत्पादन के जो लक्ष्य रखे गये, यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पायेंगे कि हमेशा उन पर कमी होती आई है। अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया है— खण्ड (क) के जवाब में उन्होंने कहा कि परिचालन सम्बन्धी कारणों से इस स्टाक की लगभग आधी मात्रा ही उपभोक्ताओं को भेजी जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं— परिचालन की क्या कठिनाइयां हैं, रेल-डिब्बे नहीं हैं या रेलवे के पास कोयला नहीं है और इससे कितनी हानि होने वाली है; जब आप यह कहते हैं कि इस्पात कारखानों और कुछ अन्य वर्गों के औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपेक्षित कोयले की कमी है— ये कौन से वर्ग हैं और इसका इस्पात के उत्पादन पर

क्या असर होगा, तथा कितनी हानि होगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कोयले की वर्तमान उपलब्धता उपभोक्ताओं के कतिपय वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रर्याप्त नहीं होगी, जहां एक ओर बिजली घरों, सीमेण्ट संयंत्रों तथा कुछ उद्योगों के लिए आवश्यक श्रेणी के कोयले का भण्डार उनकी मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है वहां दूसरी ओर इस्पात संयंत्रों तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों के लिए आवश्यक उपयुक्त श्रेणी के कोयले में कमी हो गई है। अतः स्पष्ट है कि उत्पादन में अवश्य कमी हुई है।

उत्पादन में निश्चित रूप से कमी आई है। परन्तु कोयले के परिचालन में आने वाली कठिनाइयों जैसे कुछ अन्य कारणों से कठिनाइयां कुछ और बढ़ गयी हैं। हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। उसके अगले दिन ही मैंने रेल मंत्री से बातचीत की थी और हमने निर्णय लिया है कि कोयले के परिचालन के लिए जितने माल डिब्बे सम्भव हो सकें लगा लिये जाएं। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि हमें कुछ समय और दिया गया तो स्थिति में अवश्य ही सुधार हो सकता है।

श्री राम विलास पासवान : स्पीकर साहब, आप सुन रहे हैं। मेरा प्रश्न दूसरा था और मंत्री महोदय का जवाब दूसरा है। मैंने सीधा सा प्रश्न किया था। यह मेरा पहला प्रश्न चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री खान! क्या आप उनकी बात समझ रहे हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय, क्या वे जरा जोर से बोलेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने मेरे पहले प्रश्न के जवाब में कहा है कि परिचालन सम्बन्धी कारणों से इस स्टाक की लगभग आधी मात्रा ही उपभोक्ताओं को भेजी जा सकती है। मेरा पहला पूरक प्रश्न था कि परिचालन सम्बन्धी क्या कठिनाइयां हैं। क्या रेल के डिब्बे नहीं हैं या रेल के डिब्बे हैं, तो क्या कोयला नहीं है और यह जो आपने कहा कि आधी मात्रा कम भेजेंगे, तो इससे कितनी हानि होगी ?

(बी) मैंने जो पूछा था, उसके बारे में आपने कहा है कि इस्पात कारखानों और कुछ अन्य वर्गों के औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपेक्षित कोयले की कमी है। तो यह मैं जानना चाहता हूं कि उस कमी के कारण इस्पात कारखानों पर क्या असर होगा, उनमें कितनी हानि होगी और अन्य वर्ग कौन-कौन से हैं ? यह मेरा पहला प्रश्न था।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुछ किस्मों के कोयले की अवश्य कमी है। उदाहरणतः घरेलू उपयोग के लिए सॉफ्ट कोक की निश्चय ही…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि कोयले के परिवहन में क्या कठिनाई है? कोयले की

ढुलाई क्यों नहीं हो रही है ? क्या माल के डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कठिनाई यह है कि माल के डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। दिसम्बर के महीने में इस कार्य के लिए अर्थात विद्युत क्षेत्र को कोयला पहुंचाने के लिए लगभग 2700 माल डिब्बे प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते थे । 15 जनवरी से विद्युत क्षेत्र के लिए 2900 माल डिब्बे प्रतिदिन के हिसाब से दिए जा रहे हैं । हमने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि...

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे मामले को दूसरे ढंग से ले रहे हैं। वे मांग का ब्यौरा दे रहे हैं परन्तु यह नहीं बतला रहे हैं कि कितनी मात्रा सप्लाई की जा चुकी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : स्पष्टतया इसके लिए रेल माल डिब्बों की कमी रही है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं। हम इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा ही यह होता है कि कुछ स्टाक वहीं पड़ा रह जाता है। यही आम प्रक्रिया है और यही स्थिति है। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अभी कोयला निकालने के जितने साधन लगे हैं, वे सभी पुराने हैं। प्रयास के बावजूद कोयला निकालने का वही पुराना तरीका चल रहा है। क्या सरकार के पास पहले से यह मामला विचाराधीन नहीं है कि प्रत्येक प्रदेश में कोल डम्पिंग यार्ड बनाये जाएं ? जब देश में ऐसी स्थिति है कि कोयला उपलब्ध है तो रेल के वैगन उपलब्ध नहीं हैं, अगर वैगन उपलब्ध हैं तो बिजली उपलब्ध नहीं है। तो क्या सरकार इस सारी समस्या को ठीक करने के लिए प्रत्येक प्रदेश में कोयला डम्पिंग यार्ड बनायेगी या बनाने की व्यवस्था करेगी; यदि हां, तो कितने दिनों तक यह व्यवस्था हो जायगी;

क्या अगर सरकार रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय के बीच में कोआर्डिनेशन करके काम करेगी जिससे कि यह जो कभी वैगन की कठिनाई होती है, कभी बिजली की कठिनाई होती है, वह न हो ?

श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी : हमारा सम्पर्क है और हम उसे बनाये हुए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस सम्पर्क में कहीं कोई कठिनाई है परन्तु मूल प्रश्न तो यह है कि माल डिब्बों की अत्यधिक कमी है··· **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस हद तक ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एकत्रित किये गये कोयले की ठीक-ठीक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : रेलवे स्टेशनों पर एकत्रित किये गए कोयले का पता

किया जा रहा है। यह प्रक्रिया की गई है··· (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस हद तक ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमें देश के सभी बिजली घरों को 3030 लाख टन कोयला प्रतिमाह देना होता है। यदि हम इस कोयले को सभी बिजली घरों तक ले जाना चाहते हैं तो हमें लगभग··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास राज्यों में कुछ कोयला डिपो अथवा कोयला भण्डार बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : कोयला उद्योग की इस खेदजनक स्थिति के लिए मंत्री महोदय पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना कार्यभार अभी हाल ही में सम्भाला है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अनुपूरक प्रश्न कहें। उनके बचाव का प्रयास मत कीजिए। वे अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे कर्तव्य बाध्य हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि पिछली सरकार द्वारा इस सदन में यह स्वीकार कर लिया गया था कि कोल इन्डिया कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में जाली आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिया करती थी। यह बात 3 अप्रैल, 1979 को कही गई थी—और यदि पता है तो कोल इण्डिया की गलत प्रबन्ध व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जो कि कोयला उद्योग में व्याप्त वर्तमान खेदजनक स्थिति के मूल कारण हैं, को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा कि माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है यह हमें पिछली सरकार से मिली हुई विरासत है। (व्यवधान)

हम संगठन में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं परन्तु मैं इस समय इस सदन में इसका विवरण देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि इस विषय में विभिन्न विचार सामने आये हैं और हम अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं। जैसे ही हम इस पर निर्णय ले लेंगे मैं इसका विवरण देने में समर्थ हो सकूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की कुल परिवहन का कितना प्रतिशत जलमार्ग से किया जाता है जिसकी सिफारिश कि कांग्रेस शासन तथा

जनता शासन दोनों के ही दौरान विभिन्न समितियों द्वारा कई बार की गई है। जल मार्ग द्वारा कितने कोयले का परिवहन किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए नोटिस देना होगा।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : गुजरात में कोयले की कमी की वजह से बिजली में भारी कटौती हो रही है। इसकी वजह से कृषि के उत्पादन में भारी हानि हो रही है। गुजरात को जल्दी से जल्दी कोयला दिलाने का क्या आप प्रबन्ध कर रहे हैं; और यदि हां, तो कब तक ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : बिजली की कमी है और निश्चय ही हम उस पर विचार कर रहे हैं। गुजरात में हमारे पास एक ऐसा बिजली घर है जो देश के सबसे उत्तम स्टेशनों में से एक है परन्तु कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण वहां भी कठिनाई है। मैं मामले की पहले से ही छान-बीन कर रहा हूं और हम गुजरात में जहां तक व्यावहारिक हो पायेगा कोटा को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि कोयले के उत्पादन और सप्लाई में कार्यरत प्राधिकारियों की गलत कार्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप पिछले दो वर्षों के दौरान कोयले की सप्लाई और उसके वितरण की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

गंगा कावेरी लिंक परियोजना

*** 18. श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा कावेरी लिंक परियोजना को हाथ में लेने के लिए इच्छुक है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) गंगा-कावेरी लिंक अप स्कीम गंगा के बाढ़ के पानी का उपयोग अन्य बेसिनों में करने के लिए इस पानी को लगभग 1300-1800 फुट ऊंचा उसका सीमित स्थानांतरण करने पर आधारित है। इसे देखते हुए, विभिन्न नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ने की वैकल्पिक

स्कीमों का अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं जान सकता हूं कि वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है और हमें उनसे वही लाभ मिलने वाले हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : एक योजना है। श्री दस्तूर ने हिमालयन में एक समोच्च नहर और मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के लिए एक कण्ठाहार नहर सम्बन्धी अपना प्रस्ताव रखा है। इस योजना के अन्तर्गत हिमालय और कण्ठहार नहरों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए जलाशयों का निर्माण करना, पाइप लाइन डालना आदि शामिल हैं। हिमालय में जो नहर औसत-समुद्र तल से 1,100 से 1,500 फुट वर्ग ऊंचाई पर बनाई जायगी, वह 2,600 मील लंबी होगी। इस नहर का पानी उन 90 झीलों से मिलेगा जो नहर के उत्तरी ओर के पहाड़ी ढलानों को काटकर बनाई जाएंगी। यह नहर रावी से ब्रह्मपुत्र तक होगी। मध्य और दक्षिणी कण्ठहार नहर औसत समुद्र तल से 800 से 1000 फुट तक की ऊंचाई पर होगी और 5,800 मील लम्बी होगी तथा 200 समंकित झीलों से उसे पानी मिलेगा।

श्री दस्तूर का अनुमान है कि इन प्रस्तावों पर लगभग 24,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। लेकिन बारीकी से जांच करने पर हमें मालूम हुआ है कि इस योजना पर बहुत अधिक अर्थात् 120 लाख करोड़ रु० लागत आएगी सिंचाई विभाग। अन्य योजनाओं का गहराई से अध्ययन कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी योजनाओं पर, जिनके बारे में वे विचार कर रहे हैं, अपार धन राशि व्यय होगी। वस्तुतः वे आर्थिक पहलू और तकनीकी संभाव्यता पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : यदि वैकल्पिक प्रस्तावों को लिया जाए तो उनमें आर्थिक अन्तर क्या है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस पर बहुत-सा धन व्यय होगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं जब श्री दस्तूर ने योजना का प्रस्ताव किया था तब इस पर 24,000 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान था। अब बारीकी से जांच करने के बाद इंजीनियरों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस योजना पर 120 लाख करोड़ रु० की लागत आएगी। अब वे दूसरी योजनाओं के बारे में सोच रहे हैं जिनके अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों का 12 करोड़ क्यूसेक, पानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में अभाव वाले क्षेत्रोंको भेजा जायगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ये सभी योजनाएं अभी जांच स्तर पर हैं, जब तक और आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, इनके बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा, कि क्या मंत्री महोदय बंगला देश सरकार से बात-चीत करेंगे, कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए। वह अच्छी तरह जानते हैं, और कलकत्ता पत्तन के सुधार के लिए 40,000 क्युबिक पानी…

एक माननीय सदस्य : वह दूसरा प्रश्न है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वह इससे सम्बन्धित है···

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न आने पर आप इसे पूछ सकते हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : सदस्य महोदय की सूचना के लिए मैं कह सकता हूं कि इस पर बाद में एक विशिष्ट प्रश्न आ रहा है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह सवाल देश में उपलब्ध जल-संसाधनों का उपयोग करने के बारे में है । क्या सरकार हमें बताएगी कि इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा; कोई योजना तैयार किये बिना, संसाधनों का उपयोग करना सम्भव नहीं होगा । यदि हम समय पर योजना नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम अपने उपलब्ध जल-संसाधनों को केवल व्यर्थ जानें दे रहे हैं । क्या हमें सरकार बताएगी कि सरकार योजना को अन्तिम रूप देने पर कितना समय लगाएगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : समय और अवधि बताना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि यह अभी ऐसे स्तर पर है जहां अभी प्रारम्भिक आंकड़े ही एकत्र किये जा रहे हैं । मैं समय और तारीख नहीं बता सकता ।

श्री मगन भाई बरोट : क्या मंत्री महोदय मुझे बताएंगे कि विश्व बैंक द्वारा भी इस योजना की जाँच कर ली गई है और यदि ऐसा है, तो क्या विश्व बैंक ने इस योजना के लिए धन और आव-श्यक निधि की मंजूरी का अनुमोदन कर दिया है; दूसरे क्या, यह सच है कि आंकड़ों की जांच करते समय, हिमालय की चट्टानें तुलनात्मक रूप से ज्यादा पुरानी नहीं पाई गई हैं और यह भी एक कारण है जिसकी जांच की जा रही है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जब योजना अभी तैयार ही नहीं है तो विश्व बैंक इसकी जांच कैसे कर सकता है ? इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रारम्भिक स्तर पर कार्य करने वाले इंजीनियर कौन थे ? अनुमान में इतना अंतर कैसे हो सकता है कि वह 24,000 करोड़ रु० से बढ़कर 120 सहस्त्र करोड़ हो जाए । मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच का काम वास्तव में शुरू से ही गंभी-रता से किया गया था । मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या पूर्वी क्षेत्र के निरन्तर सूखा-ग्रस्त राज्यों में गंभीर सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मंत्री महोदय सदन को यह बताना चाहेंगे कि सरकार इस परियोजना को सफल बनाने के लिए गंभीरता से विचार करेगी और यदि ऐसा है, तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि वर्ष 1985 अथवा 1986 तक कुछ शुरुआत हो सकेगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस बारे में हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और गंगा में बाढ़ के दौरान बहुत-सा पानी व्यर्थ चला जाता है जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो । हम

इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि कोई उचित योजना बनाया जाना जरूरी है। इसीलिए इंजीनियर काम पर लगे हैं। मुझे आशा है कि आपको बताने का मुझे बहुत जल्दी ही मौका मिलेगा। लेकिन मैं इस समय आपको बतलाने की स्थिति में नहीं हूं।

गंगा के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में भारत और बंगला देश के बीच हुए समझौते पर पुनर्विचार

*19. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा तथा सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में भारत और बंगला देश के बीच किया गया समझौता कलकत्ता पत्तनों के हितों के विरुद्ध पाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त समझौते पर पुनर्विचार करने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच इस दिशा में कोई कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) : भारत और बंगला देश, दोनों देशों के द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि शुष्क मौसम के दौरान दोनों देशों के जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंगा में पर्याप्त जल नहीं होता। अतः नवम्बर, 1977 में हुआ करार, जिसमें फरक्का पर गंगा के जल के बंटवारे में अन्तरीम व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, आपसी सहयोग के अभिप्राय से किया गया था। इस प्रकार, कलकत्ता पत्तन फरक्का परियोजना से सभी सम्भव लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

• यह करार नवम्बर, 1977 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और इसमें इन पुनरीक्षणों की व्यवस्था की गई है—पहली बार पुनरीक्षण 3 वर्ष समाप्त होने पर कियाजायगा और उसके बाद पुनरीक्षण करार के समाप्त होने से 6 वर्ष पहले किया जायगा। जैसा कि करार में परिकल्पना की गई है, करार का पुनरीक्षण करने के लिए उपयुक्त समय पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री चित्त बसु : मैंने वक्तव्य पढ़ लिया है। फरक्का स्थल से न्यूनतम आवश्यक पानी छोड़

जाने का निर्धारण करने के प्रश्न पर कई विशेषज्ञ समितियां बैठ चुकी हैं । इन विशेषज्ञ समितियों में से मैं इस विषय पर केवल दो विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए दो मतों का उल्लेख करना चाहता हूं ।

श्री एस० सी० मित्र, अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार समिति, फरक्का परियोजना ने अपने प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष दिया कि फरक्का स्थल पर न्यूनतम डिस्चार्ज 40,000 क्यूबिक था । दूसरा प्रतिवेदन डा० वाल्टर हेंसन से प्राप्त हुआ है । उनका मत था कि कलकत्ता बन्दरगाह को जाने वाले पोत मार्गों में रेत के जमाव प्रक्रिया को बदलने के लिए पूरे वर्ष 40,000 क्यूबिक से भी कुछ अधिक सप्लाई का बना रहना आवश्यक है ।

इन दो विशेषज्ञ प्रतिवेदनों के बावजूद, गंगा के जल के बंटवारे के प्रश्न पर भारत और बंगला देश के बीच हुए समझौते के अनुसार, फरक्का स्थल से 11,000 से 16,000 क्यूबिक तक पानी उपलब्ध होगा । क्या माननीय मंत्री से मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि फरक्का स्थल से पानी की निकासी की कमी के कारण, गंगा की नौवहन क्षमता इस हद तक गिर गई कि कलकत्ता पत्तन ही खतरे में पड़ गया है ? क्या यह भी सच नहीं है कि गंगा के पानी की लवणता भी इतनी बढ़ गई है कि कलकत्ता की जनसंख्या का स्वास्थ्य संकट में पड़ गया है ? यदि ऐसा है, तो सरकार गंगा की नौवहन-क्षमता में गिरावट और गंगा के पानी की लवणता में वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार क्या विशेष उपाय करने का विचार रखती है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस बात से किसी को इन्कार नहीं है कि कलकत्ता बन्दगाह को बचाने के लिए और हुगली नदी के जल के खारापन को नियन्त्रित करने के लिए 40,000 क्यूबिक जल की आवश्यकता है ।

किन्तु मुद्दा यह है कि जो समझौता किया गया है उसके दो पहलू हैं—एक पहलू तो अल्पकालिक है और दूसरा दीर्घकालिक । अल्प-कालिक पहलू से हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कलकत्ता बन्दरगाह में पर्याप्त जल नहीं है । अल्प-कालिक दृष्टिकोण से यह सच है । लेकिन हमने जो समझौता किया है उसका मूल विषय यह है कि गंगा के जल का किस प्रकार आवर्धन किया जाये । यही मूल विषय है । इसी उद्देश्य के लिए हमने एक समझौता किया है जो विशिष्ट प्रकार का है । आपको मालूम ही है कि समझौते में क्या व्यवस्था की गयी है । यह भारत और बंगला देश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है । यदि आप उसे देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमें अपेक्षित पारस्परिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं । जाहिर है कि हमें कुछ और तरीका निकालना होगा । इस समय मुझे यह ज्ञात नहीं है......हमें किसी उपयुक्त समय पर इस बारे में सोचना होगा । लेकिन अल्प-कालिक अवधि के बारे में यह सोचते समय कि कलकत्ता पत्तन में केवल 20,000 क्यूसेक जल ही है, हमें इसके व्यापक पहलू को नजर अन्दाज नहीं कर देना चाहिए । व्यापक पहलू भारत और बंगला देश—दोनों ही देशों के लिए आवश्यक है । इस

समय की स्थिति यही है। जहां तक 40,000 क्यूसेक जल का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने बंगला देश के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के अवसर का लाभ उठाया है और क्या हमारे प्रधान मंत्री ने एक मित्रतापूर्ण तथा शान्तिपूर्ण हल निकालने के लिए उनसे इस मामले पर वार्ता की है; क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या फरक्का बांध के जल के आवर्धन के लिए कोई वैकल्पिक हल निकाले गए हैं; भारत और बंगला देश परस्पर वार्ता के दौरान बंगला देश सरकार द्वारा क्या ठोस प्रस्ताव किए गए हैं और भारत सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव किए गए हैं?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को सूचित किया है, हम दीर्घ-कालिक व्यापक हल के सम्बन्ध में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। भारतीय प्रस्ताव इस प्रकार है। गंगा ब्रह्मपुत्र लिंक योजना असम में प्रस्तावित जोगीगोपा बांध से ब्रह्मपुत्र के जल को फरक्का बांध—गंगा की ओर मोड़ने के लिए बनाई गई है। गुरुत्व नहर बंगला देश और भारत के इस्तेमाल के लिए एक लाख क्यूसेक तक जल उपलब्ध करा सकती है। इस योजना में यह भी अपेक्षित है कि भारत में दिहांग, सुबानसिरि और बाराक नदियों पर बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा ब्रहमपुत्र के जल-प्रवाह में उपयुक्त चरणों पर बढ़ोतरी की जाए। इन प्रस्तावों से सूखे के मौसम में जल प्रवाह में वृद्धि हो जायेगी। लेकिन, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता था कि इससे एक लाख क्यूविक जल और मिल सकेगा तथा यदि यह योजना सफल हो गई तो एक दिन ब्रहमपुत्र और बाराक से आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण रखने, नौवहन आदि की सुविधा उपलब्ध होने के अलावा इससे 100 लाख किलोवाट पन बिजली उत्पादित होगी यह भारतीय प्रस्ताव है। बंगला देश का प्रस्ताव यह है कि गंगा नदी के प्रभाह को बढ़ाने हेतु नेपाल और भारत में गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का जलाशोय बताए जाएं गंडक नदी से नेपाल की तराई और भारत के सिलिगुड़ी क्षेत्र में होती हुई बंगला देश तक एक अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन नहर बनाई जाए। इन प्रस्तावों पर संयुक्त नदी आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। हमारे प्रस्ताव के प्रति बंगला देश की मुख्य आपत्ति यह है कि बंगला देश में नहर बमाने के लिए 20,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। बंगला देश दोनों योजनाओं का संयुक्त नदी आयोग के विशेषज्ञ दलों द्वारा अध्ययन कराए जाने के लिए भी अभी तक सहमत नहीं हुआ है। वे यह तर्क दे रहे हैं कि चूंकि प्रस्ताव में नेपाल में जलाशय बनाने की बात भी शामिल है, इसलिए संयुक्त नदी आयोग के संविधान में संशोधन करके या त्रि-राष्ट्र मंत्रालय के स्तर एक नए निकाय की स्थापना करके या तीन-राष्ट्रीय विशेषज्ञों के दल की स्थापना करके उस देश (नेपाल) को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि माननीय मंत्री एक ऐसे समझौते की वकालत क्यों कर रहे हैं जो जनता सरकार द्वारा किया गया है और जो भारत के हितों के लिए हानिकारक है। जहां तक अल्पकालिक और दीर्घकालिक मामलों का संबंध है, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के मामलों में पांच वर्षों की अवधि को

एक दीर्घ-कालिक समझौता नहीं माना जा सकता। हम बंगला देश के साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहते हैं लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि 90% जलग्रहण क्षेत्र भारत में है और नदी की 85% लम्बाई भी भारत में है और बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं; हमें भविष्य में बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी जो गंगा से ही उपलब्ध हो सकती है। मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि बगला देश को कुछ आपत्ति है। मुझे यह बताया गया है कि वे तब तक कोई दीर्घ-कालिक समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक कि नदियों के जल के संबंध में एक ऐसा व्यापक समझौता न किया जाए जिसमें नेपाल और चीन, दोनों को शामिल किया गया हो और ब्रह्मपुत्र नदी को भी लिया गया हो। मैं यह जानना चाहूंगा कि बंगला देश के इस रवैये के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि नदी की अधिकांश लम्बाई जब भारत में पड़ती है तो मेरे विचार से अन्य देशों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बंगला देश के साथ यह एक द्वि-पक्षीय समझौता होना चाहिए और अन्य देशों के साथ वार्ता करने के सिद्धान्त से हमें सहमत नहीं होना चाहिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : समझौते में निश्चित समय-अवधि दी गई है और उस समय अवधि के समाप्त होने से पहले मेरे विचार में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी चेष्टा बंगला देश के साथ एक द्वि-पक्षीय समझौता करने की है। हम बंगला देश के साथ ही किसी प्रकार का समझौता करना चाहते हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ नहीं। बंगला देश शायद यह चाहता है कि नेपाल और अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया जाये। हमारी दूसरी मूल आपत्ति इस बात पर है। हम द्वि-पक्षीय समझौता करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, नेपाल के साथ हमारी कुछ अन्य समस्यायें हैं। हमें नेपाल के साथ एक द्वि-पक्षीय समझौता करना हैं। मेरे विचार से इस बारे में अपने विचार रखना मेरे लिए तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि उसके लिए उपयुक्त अवसर न आ जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है कि भारत और बंगला देश के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दो कारणों से कलकत्ता पत्तन के आगे की नदी की स्थिति में और भी गिरावट आई है। एक तो पानी के अन्दर से एक नया द्वीप-समूह उभर आने के कारण, जो समझौते के समय नहीं था। दूसरे, मुख्य रोधिका, अर्थात रेतीले रोधिका के कारण, जो बेल्लरी रोधिका के नाम से जाना जाता है और जिससे जहाजों के मार्ग में रुकावट पड़ती है—गत एक वर्ष से स्थिति और भी खराब हो गई है। समझौते में फरक्का बांध से गंगा के पानी की जितनी मात्रा छोड़ने की व्यवस्था है, वह मात्रा, विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर उससे भी अधिक अपर्याप्त है जो उस समय थी। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए समझौते में आवधिक समीक्षा किए जाने के सम्बन्ध में जो खण्ड है, हमारी सरकार यह देखने के लिए उसका लाभ उठाएगी कि इन नए कारकों के कारण, जो अब सामने आए हैं, कलकत्ता के आगे नदी के बहाव की स्थिति में और अधिक गिरावट न आए?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस तथ्य की जानकारी अवश्य होगी कि कलकत्ता पत्तन में उन महीनों में जब वहां 40,000 क्यूसेक से भी

कम पानी होता है, परेशानी पैदा होना अवश्यभावी है । इस समस्या का और कोई समाधान नहीं हो सकता । इसके अलावा हमें यह भी मालूम है...(व्यवधान)

हमने एक समझौता किया है । हमने संयुक्त नदी आयोग बनाया है और यही कारण है कि ये आदान-प्रदान हुए हैं । लेकिन जब तक यह पांच वर्ष भी अवधि समाप्त नहीं हो जाए, तब तक मेरे विचार से इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, में आपसे सरक्षण चाहता हूं । समझौते में एक खंड है । यदि मैं गलती पर हूं, तो मंत्री महोदय ठीक बात बता सकते हैं । यद्यपि यह पांच वर्षीय समझौता है तथापि प्रति वर्ष आवधिक समीक्षा के लिए प्रावधान है । मैंने जिस खंड का उल्लेख किया है उसको देखते हुए क्या समीक्षा नहीं की जानी चाहिए ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : श्रीमन्, मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है । हम मूल समझौते से परे नहीं जा सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने इस प्रश्न को पांचवीं और छठी लोक सभा में उठाया था ।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । जहां तक मैं इस समझौते को पढ़ सका हूं मुझे इस प्रकार का कोई खंड नहीं मिला है । चूंकि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे पढ़ूंगा और उन्हें बताऊंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कम से कम अब मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है कि कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए कमी वाले महीनों की अवधि में कम से कम 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता पड़ेगी । मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि भारत और बंगला देश के बीच ऐसा समझौता हुआ है । गंगा नदी के पानी का फरक्का बांध से होकर जाने की स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए । मंत्री महोदय इस बारे में सहमत हो गये हैं । अतः मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि यथाशीघ्र इस स्थिति की समीक्षा के लिए वह इस मामले पर बंगला देश सरकार के साथ विचार-विमर्श करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : समझौता यह हुआ है कि हमें 43,000 क्यूसेक पानी मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है । अगला प्रश्न ।

प्रधान मंत्री के प्रसारण के पश्चात् विपक्ष को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने की प्रथा

*21. **श्री मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के प्रसारण के पश्चात् विपक्ष को भी अपने विचार

व्यक्त करने की अनुमति देने की प्रथा को बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा 1977 से अपनाई गई परिपाटी यह है कि जब भी प्रधान मंत्री अपना पद संभालने पर या अपने पद पर पूरा एक साल मुकम्मल कर लेने पर राष्ट्र के नाम प्रसारण करें तब विपक्ष के नेता को भी प्रसारण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्री मधु दण्डवते को सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस परिपाटी को समाप्त नहीं किया गया है।

14 जनवरी, 1980 को अपना पद संभालने पर प्रधान मंत्री के हाल के प्रसारण के बाद विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को प्रसारण करने के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया, क्योंकि लोक सभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री महोदय ने केवल परिपाटी के रूप में उद्धृत किया है और वह इसका वास्तविक अर्थ बताना भूल गए हैं। यह सच है कि प्रधान मंत्री का राष्ट्र के नाम प्रसारण अथवा जब प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था उस समय मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं था। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि वह पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई परिपाटी की भावना को बनाये रखें। क्या यह सूचना और प्रसारण मंत्री के लिए संभव नहीं हुआ था कि लोक सभा में सबसे बड़े ग्रुप के नेता अथवा विभिन्न ग्रुपों को अधिकांशतया स्वीकार्य किसी अन्य नेता को प्रसारण के लिए अनुरोध करते ? क्या यह उनके लिए संभव नहीं था कि वह लोक सभा में विभिन्न विपक्षी ग्रुपों द्वारा चुने गए किसी प्रतिनिधि अथवा वरिष्ठतम सदस्य को प्रसारण के लिए आमन्त्रित करते ; क्या यह संभव नहीं था कि वह विपक्ष के सबसे बड़े ग्रुप के नेता अर्थात् राज्य सभा में मान्यता प्राप्त पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी का चयन करते और उन्हें राष्ट्र को सम्बोधित करने के लिए अनुरोध करते ?

श्री बसंत साठे : प्रश्न करते समय माननीय सदस्य ने स्वयं बहुत से 'यदि' और 'लेकिन' लगाये हैं। अब हम विपक्ष के विभिन्न ग्रुपों और विभिन्न पार्टियों के नेताओं का एक समान सम्मान करते हैं। मैं कनिष्ठ और वरिष्ठ के बीच भेद-भाव नहीं कर सकता था। जहां तक श्री आडवाणी का सम्बन्ध है वह केवल 21 जनवरी, 1980 को ही राज्य में विपक्ष के नेता बने हैं। अतः यह मुश्किल प्रश्न था और मैं इस मामले में असहाय था।

प्रो० दंडवते : हो सकता है श्री आडवाणी बाद में विपक्ष के नेता बने हों। लेकिन यह सच था कि राज्य सभा में जनता पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी थी जो विपक्ष की पार्टी बनने के लिए योग्य थी और इस प्रकार मंत्री महोदय के लिए उन्हें आमंत्रित करना संभव हो सकता था। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि कुछ प्रथाएं और परिपाटिया हैं जिनका पालन किया जाता है। उदाहरणार्थ विधान-सभाओं के चुनाव और लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के लिए विभिन्न विपक्ष के ग्रुपों द्वारा प्रसारण के मामले में विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं, लोक-सभा और राज्य सभा में विपक्ष की पार्टियों के रूप में मान्यता प्राप्त न करने वाली पार्टियों को

भी आकाशवाणी पर राष्ट्र को संबोधित करने की अनुमति दी गई थी। इस परिपाटी को देखते हुए क्या आप भविष्य में कम से कम इस सुविधा को विपक्ष पर लागू करने पर विचार करेंगे ताकि टेलीविजन और आकाशवाणी प्रसारण के जरिए उनके विचार लोगों के सामाने प्रस्तुत किए जा सकें ?

श्री बसत साठे : मेरे मित्र को ठीक प्रकार से सूचित नहीं किया गया है। मुख्य मन्त्रियों के अतिरिक्त राज्यों में यह परिपाटी थी कि यदि विपक्ष का मान्यता प्राप्त नेता न हो तो विपक्ष के नेता को प्रसारण के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसका स्पष्ट उदाहरण जनता पार्टी के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का मामला है जब 26 जून, 1978 को मुख्य मंत्री को जनता के नाम प्रसारण करने के लिए आमंत्रित किया गया था उस समय विपक्ष की पार्टी नहीं थी और इस प्रकार विपक्ष के किसी नेता को प्रसारण के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं उस परिपाटी से अलग नहीं होना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव अभियानों सम्बन्धी प्रसारण का हवाला दे रहा हूं और उसमें उन पार्टियों को भी प्रसारण की अनुमति दी गई थी जो मान्यता प्राप्त नहीं थी। मंत्री महोदय के उत्तर में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता नहीं था इसलिए उसे प्रधान मंत्री जी के सम्बोधन के बाद बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मान्यता के ये नियम सदन के बनाए हुए हैं। इन नियमों के आधार पर यह सरकार इस स्थिति पर नहीं पहुंच सकती कि सदन में या देश में कोई प्रतिपक्ष नहीं है। कितनी संख्या में प्रतिपक्ष को बुलाया जाएगा यह एक टेक्नीकल बात है। नियंत्रण की भावना किस आधार पर निर्धारित की गई यह उसके अनुकूल है या नहीं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं अब यह पूछना चाहता हू कि श्री आंडवानी अब विरोधी दल के मान्यता प्राप्त नेता हैं, क्या उन्हें बुलाने का सरकार का इरादा है या नहीं ?

श्री बसंन्त साठे : अब जब मौका आएगा, तब विचार करेंगे। क्योंकि जब प्रधान मंत्री स्थान ग्रहण करें या एक वर्ष पूरा हो जाए तब यह होता है। जब ऐसा मौका आएगा, तब विचार करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप स्थिति बदल रहे हैं, जब आप कहते हैं कि जब मौका आएगा तब विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनका दूसरा उत्तर जो बाद में दिया गया वह पहले उत्तर को काटता है। विचार करने का सवाल नहीं है। आपको मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को बुलाना है।

श्री बसन्त साठे : सवाल तब आएगा जब वह समय आएगा। अभी से इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं ? तब तक मालूम नहीं आडवाणी जी नेता रहते भी हैं या नहीं रहते हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इस परिपाटी को समाप्त नहीं किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस सदन को आश्वासन देंगे कि इस परिपाटी को भविष्य में भी समाप्त नहीं किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कर चुके हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि वह कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या वह विपक्ष के ग्रुपों की दयनीय दशा के प्रति थोड़ी सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है।

श्री नीरेन घोष : विपक्ष के प्रमुख ग्रुपों के नेताओं को प्रसारण के लिए आमंत्रण देने और अवसर देने में सरकार की ओर से क्या आपत्ति है.........

श्री बसन्त साठे : इससे स्थिति और भी उलझ जाएगी।

माना शिविर के कर्मचारियो की सेवाओं का समाप्त किया जाना

*23 **श्री समर मुखर्जी :** क्या पूर्ति एव पुनर्वास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) माना शिवर के कितने कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गए हैं;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) उन्होंने इन शिवरों में कितने वर्ष सेवा की है; और

(घ) क्या सरकार का उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे)

(क) 43

(ख) जी, हां।

(ग) 6 से 15 वर्ष।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक रोजगार खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रभावित व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक रोजगार खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यह आश्वासन स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिए जायेंगे। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दंडकारण्य परियोजना के मेकेनिकल डिवी-

जन के श्रमिकों और कर्मचारियों—यह वर्ग उस श्रेणी के अन्तर्गत भी आता है—को सेवा समाप्ति के नोटिस दिए जा चुके हैं और ये 31-1-1980 को समाप्त हो जायेंगे। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह कम से कम उस आदेश और उन सेवा-समाप्ति नोटिस को समाप्त कर दें ताकि ये अभागे कर्मचारी तब तक बेरोजार न हों जब तब आप यहां दिए गए आश्वासन पर विचार न कर लें।

श्री वसंत साठे : वास्तव में अब तक 43 कर्मचारी......

श्री समर मुखर्जी : मैं केवल माना शिविर के कर्मचारियों के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं दंडकारण्य परियोजना के मेकेनिकल डिवीजन के कर्मचारियों के बारे में कह रहा हूं।

श्री वसंत साठे : उसके लिए मुझे सूचना दीजिए, मैं उसकी जांच करूंगा और उसके बाद कुछ बताऊंगा।

जैसा कि मैं बता रहा था, कि 43 में से, जिन्हें नोटिस दिए गए हैं, 28 कर्मचारियों और चार तदर्थ डाक्टरों सहित 32 कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार दिए जा रहे हैं, और उन्हें सेवा में लिया जा रहा है। राज्य शेष 11 कर्मचारियों को सेवा में लेने के लिए इच्छुक है परन्तु कर्मचारियों ने अभी तक अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है। यदि वे ऐसा करते हैं तो नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले-पहले सभी 43 कर्मचारियों को सेवा में ले लिया जाएगा।

श्री समर मुखर्जी : यह 31 जनवरी को समाप्त हो रही है। मेरा अनुरोध यह है कि आप इन आदेशों को रद्द करें और आप समय बढ़ाएं ताकि वे बेरोजगार न होने पायें।

श्री वसंत साठे : उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हें सेवा में लिया जा रहा है।

श्री समर मुखर्जी : सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है।

श्री वसंत साठे : हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मैं इसकी सहानुभूतिपूर्वक जांच करूंगा। आप इसे ले सकते हैं।

श्री ठाकुर शिव कुमार सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 43 आदमियों को जो नोटिस दिए गए हैं क्या उन सभी को ऐबजार्ब कर लेंगे ?

श्री वसन्त साठे : मैंने कहा कि उसमें से 32 लोगों को एबसौर्ब किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शेष 11 लोग खुद तैयार नहीं हैं। यदि वह राजी होते हैं तो वह भी ऐबसौर्ब हो जायेंगे।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड का ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये वित्तीय सहायता

24 **श्री एन० ई० होरो :** क्या ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के ग्रादिवासी क्षेत्रों, विशेषकर छोटा नागपुर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड को कुल कितनी राशि की राज सहायता ग्रथवा ऋण दिया है ; ग्रौर

(ख) इस सम्बन्ध में ग्रब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा ग्रौर सिंचाई ग्रौर कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ग्रौर (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जुलाई 1969 में ग्रपनी स्थापना के समय से लेकर 31 दिसम्बर, 1979 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम से बिहार के ग्रादिवासी क्षेत्रों के लिए 17.29 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता को 29 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। उपरोक्त स्कीमों के लिए भुगतान किए गए ऋण की राशि 11.21 करोड़ रुपए हैं। उपरोक्त में से छोटानागपुर प्रभाग में ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत की गई ऋण राशि 13.77 करोड़ रुपये है। इसमें से 9.09 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं ग्रारम्भ होने से 5 वर्षों तक की ग्रवधि में पूर्ण किए जाने के लिए सोपानवद्ध होती हैं। ऋण की किस्तों का भुगतान, निर्माण की समय सूची के सोपानों तथा इनमें हुई प्रगति के ग्राधार पर किया जाता है। निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों से जून 1979 के अंत तक विहार के ग्रादिवासी क्षेत्रों में, 594 गावों को विद्युतीकृत किया गया है ग्रौर 218 पम्पसेटों को ग्रर्जित किया गया है। इनमें से छोटानागपुर प्रभाग के 493 गांवों का विद्युतीकरण ग्रौर 194 पम्पसेटों का ग्रर्जन भी शामिल है।

श्री एन० ई० होरो : विवरण से पता चलता है कि ग्रादिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति बहुत धीमी रही है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से जितनी धनराशि मिली है वह केवल 13.77 करोड़ रुपए है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी धनराशि का उप्रयोग नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण की इतनी धीमी प्रगति के क्या कारण हो सकते हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सामान्यतया राज्य विद्युत बोर्डों को धनराशि देता है ग्रौर इन बोर्डों का यह काम है कि वे इस राशि का ढंग से उपयोग करें। धनराशि एक साथ नहीं दी जाती है। यह चरणवद्ध तरीके से दी जाती है तथा यह कार्य इन बोर्डों को करना है। इस विशेष मामले में ये बोर्ड राज्य सरकारों के ग्रधीन हैं। मैं धीमी प्रगति के बारे में उत्तर नहीं दे सकता परन्तु धनराशि के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने बहुत ग्रधिक धनराशि दी है ग्रौर उसका उपयोग किया जाना चाहिए था।

श्री एन० ई० होरो : मैं कारणों के बारे में जानना चाहता था । आप कारण नहीं बता सके हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम धनराशि देता है । यदि आपको ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बारे में कोई प्रश्न करना है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए यहां हूं परन्तु इस बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने क्या किया है क्योंकि यह राज्य का विषय है ।

श्री एन० ई० होरो : आपने धनराशि दी है । आपको इस पर अनुवर्ती कार्यवाही भी करनी होती है । जब आप धन दे रहे हैं तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि वह राशि समुचित ढंग से खर्च की जाय ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ऐसा नियंत्रण तो है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि छोटानागपुर के इलाके में कुल कितने गांव हैं, उनकी संख्या क्या है, और अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो सका है ? और जो गांव बचे हुए हैं उनका विद्युतीकरण कितने दिनों में पूरा कर लेने का सरकार का विचार है ; टोटल गांवों की संख्या क्या है और कितनों को इलेक्ट्रिफाई किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 31-3-1979 तक छोटानागपुर डिवीजन में 21 योजनाओं की मंजूरी दी है । मंजूर किया गया कुल ऋण 13.77 करोड़ रुपये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचना देनी होगी ।

श्री रामावतार शास्त्री : गांवों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे सूचना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या-1 के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 54 तथा नियम 388 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने अल्प सूचना प्रश्न को निलम्बित करने की सूचना दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है । मैं आपको सूचित कर चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर) : सर्व प्रथम, हम विरोध प्रकट करें, हर बार यह

से कोई न कोई खड़ा हो जाता है। दस व्यक्ति हैं जो वहां से खड़े हो जाते हैं और बाधा डालते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह काम आपका नहीं है। यह काम मेरा है। कृपया बैठ जाइये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, नियम 54।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लेख करता है तो मैं कतिपय नियमों के बारे में सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री शास्त्री, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसका फैसला आपको नहीं करना है। इसका फैसला मुझे करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। ऐसा करना मेरा काम है। मैं ऐसा करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ, कृपया बैठ जाइए। ऐसा करना मेरा काम है। मैं ऐसा करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फैलीरो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 54 में स्पष्ट उल्लेख है कि : "लोक महत्व के विषय के

सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा... ... ... "

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पूरा विचार करने के बाद इसकी अनुमति दी है। मैंने इसे पढ़ लिया है। मैं पहले ही ऐसा कर चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा साही।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : अल्प सूचना संख्या-1 **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है। आप मेरे चैम्बर में आ सकते हैं। मैं आपको संतुष्ट करूंगा। **श्रीमती कृष्णा साही**—अल्प सूचना प्रश्न।

श्री जार्ज फर्नांडिस (मुजफ्फरपुर) : नियम 41 है। 41 (2) में कहा गया है कि : "प्रश्न पूछने का अधिकार ...।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है, आपका नहीं।

श्री जार्ज फर्नांडिस : नियम 41 है। इसके बाद आप उप-नियम 9 देखिए तथा तत्पश्चात् उपनियम 22। मैं उप-नियम 9 पढ़ता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। उनका व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उनकी बात सुन रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में कैसे निर्णय करना है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : मैं उप-नियम 9 पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है कि : "उसमें किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जाएगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो।"

उप-नियम 22 में कहा गया है : "उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो कोई न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो, किन्तु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा, आदि . . . .।"

अब, यदि आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो यह प्रश्न इस प्रकार होगा, "क्या यह सच है कि सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को सताने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया था।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया है ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : क्या सरकार का विशेष अदालतें समाप्त करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी आपत्ति अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : क्या जनता द्वारा उठाई गई आवाज में प्रकट उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विशेष अदालतें समाप्त करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा साही ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडिस : इस विषय में आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : सभी नियमों पर मैंने विचार कर लिया है और यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी ।]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल मत करो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे चैम्बर में आकर आप इस पर चर्चा कर सकते हैं और अधिक कुछ नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा साही ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं । मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आप यह नहीं पूछ सकते कि मैंने इसे क्यों अस्वीकार किया है । मैंने उस आपत्ति को अस्वीकार कर दी है । यही पर्याप्त है । श्रीमती कृष्णा साही ।

श्रीमती कृष्णा साही : अल्प सूचना प्रश्न संख्या-1 ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें, श्रीमती कृष्णा साही बोलने को खड़ी हुई हैं ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हां तो, मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : अल्प सूचना प्रश्न संख्या-1 . . . .

श्री ज्योतिर्य बसु : * * *

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, यह आपका मत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दल का कोई प्रश्न नहीं है। आप पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : वे अध्यक्ष महोदय की निष्पक्षता पर आक्षेप कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है। श्री बसु, आप पीठासन अधिकारी पर आक्षेप कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कभी ऐसा नहीं करता, फिर भी मुझे इसका शिकार बनाया जाता है।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मम बसु : नियम 41 के उपनियम (नौ) के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह भी पढ़ लिया है। मैंने उस नियम को भली-भांति देख लिया है। नियम 41, यह मेरे पास यहां मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको यह किसने बताया कि मैंने आप पर आक्षेप किया है ?

(व्यवधान) मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन चुका हूं। मैंने इस पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। मैंने इसे पढ़ लिया है।

---

* * अध्यक्ष महोदय के आदेशों से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया।

श्री राम जेठमलानी : यदि आप कहते हैं कि आपने इस पर विचार कर लिया है, तो आपके कहे अनुसार मैं इसे मान लेता हूं। लेकिन क्या आपने नियम 41 (2) (18) पर विचार किया है ? क्या आपने यह सोचा है कि मंत्री विशेष अदालतों के गठन से सरकारी तौर पर सम्बन्धित नहीं है ? वह इसका उत्तर कैसे दे सकता है ? कृपया कम से कम विपक्ष को सुनिए तो सही। उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा विचार बनाएं।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : वह (ग्यारह) के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। मैं किसी और उप-नियम की बात कर रहा हूं। कृपया उपनियम (अठारह) देखें और मुझे बताएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है।

(व्यवधान)

श्री ज्योति र्मय बसु : प्रोफेसर रंगा, आप इसे समझ नहीं पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पढ़ चुका हूं।

श्री राम जेठमलानी : उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिससे मंत्री पदेन सम्बन्धित न हो'।

अब, क्या यह मंत्री विशेष अदालत अधिनियम नामक कानून पारित करने से, सरकारी तौर पर सम्बन्धित हैं ? विशेष अदालत अधिनियम संसद द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। विशेष अदालतों के गठन से वह किस प्रकार सम्बन्धित था और वह किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देने के पात्र हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे ? मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त मैंने समूचा निर्णय लिया है और यदि किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह बाद में मेरे चैम्बर में आएं और चर्चा करें। अब श्री शिव शंकर।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडिस : यदि आप कहते हैं कि सदस्य ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरे पास आते हैं तो मैं चर्चा करूंगा। मैंने यह कहा है।

श्री जार्ज फर्नांडिस : मेरा यह कहना है कि प्रश्न स्थगित कर दिया जाए और उसे आपके चैम्बर में बुलवाया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूरी तरह सोच-विचार और अध्ययन करने के बाद इसकी अनुमति दी है। अब मैं इसे अस्वीकार नहीं करूंगा। अब श्री शिव शंकर। (व्यवधान)

यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछ सकते हैं और परि स्थिति का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी यह कहा कि अगर हमारी कोई आपत्ति हो ......

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह चर्चा कर सकता है। इस पर पहले ही मेरे चैम्बर में चर्चा हो चुकी है। मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। यह मेरा विनिर्णय है कि मैंने इसे स्वीकारा है। (व्यवधान)

जब अध्यक्ष बोलने को खड़ा होता है तब प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीट पर बैठ जाता है। माननीय सदस्यों, मैं इसे पुन: स्पष्ट करता हूं। यदि किसी समय कोई कठिनाई अथवा मत भेद उत्पन्न होता है, तो इसे समाप्त किया जा सकता है, इस इस प्रकारतरीके से नहीं।

(व्यवधान) : इसका यह मतलब होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे स्थगित रखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करता हूं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में, जिसकी मैंने भली-भांति सोच-विचार और पूर्ण अध्ययन के बाद अनुमति दी है, मैं अपना निर्णय नहीं बदल रहा हूं। मेरे विचार में उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना है और आप उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब, श्री शिव शंकर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, अब व्यवधान न डालिए। मैंने इस पर अपना विनिर्णय दे दिया है।

अल्प सूचना प्रश्न

विशेष न्यायालय

श्रीमती कृष्णा साही :

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं किया जाता तो क्या सरकार विशेष अदालतों को यह निदे देगी कि वे उस मामले की जांच करें जिसके कारण इस सदन में और राज्य-सभा में काफी शो शराबा हुआ. अर्थात् कान्ति देसाई के मामले की जांच करे, जिसके विरुद्ध राज्य-सभा में : आरोप लगाए गए और जांच करने के लिए संकल्प पारित किया गया, और जिसने अपने पि के पद का दुरुपयोग किया और भूतपूर्व प्रधाम मंत्री की सहमति से खूब धन कमाया।

श्री पी० शिवशंकर : न्यायमूर्ति श्री जैन ने यह घोषणा की है कि विशेष अदालतों गठन और विशेष अदालत अधिनियम की धारा 5 को ध्यान में रखने हुए की गई घोषणा अवं है। मेरे माननीय मित्र पूछ रहे थे कि निर्णय को दृष्टि में रखते हुए क्या हम विशेष अदा समाप्त कर देंगे। इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

जहां तक नीति सम्बन्धी पहलू का सम्बन्ध है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, विशेष अ लतों को समाप्त करने का अभी कोई विचार नहीं है।

जहां तक कान्ति देसाई के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से सम्बन्धित मामले की वि अदालतों द्वारा जांच करवाए जाने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा व विचार नहीं है।

मैं तो एकदम यह कह सकता हूं कि ऐसे मामलों को विशेष न्यायालयों को सौंपने का प्रश्न ही नहीं आता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कानून के अनुसार कार्यवाही होगी और हम पर विचार करेंगे कि क्या ये मामले सामान्य न्यायालयों को सौंपे जा सकते हैं।

श्री राम जठेमलानी : मंत्री महोदय को याद हो कि विशेष न्यायालय सरकारी अधिसू द्वारा स्थापित नहीं किये गए थे बल्कि संसद ने दोनों सदनों द्वारा पारित अधिनियम के अधीन स्था किए गए थे। क्या मंत्री महोदय सभा को यह बताना चाहते हैं कि संसद के दोनों सदनों ने परे करने के उद्देश्य से बेइमानी से कार्य किया : लोगों को परेशान करने के आयोजन से बेई न्यायाधीश पैदा करके दो न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीश बेईमान थे ?

श्री पी० शिवशंकर : मेरे माननीय मित्र जो कि दुर्भाग्यवश उस विधेयक को तैयार वाले थे...।

श्री राम जेठमलानी : मुझे इस पर गर्व है।

श्री पी० शिवशंकर : वह इस विधेयक तथा अधिनियम के प्रावधान को बिल्कुल ही भूल हैं।

जहां तक विशेष अदालत संम्बन्धी प्रावधाम का सम्बन्ध है, अधिनियम में इसका ध्यान गया है परन्तु सरकार की अधिसूचना से उनके गठन पर प्रभाव पड़ता है और इसी अधिसूचन न्यायाधीश श्री जैन ने रद्द कर दिया है। इसलिए किसी अधिनियम द्वारा एक विशेष अदालत

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जन-साधारण द्वारा अभिव्यक्त की गई भावनाओं और उनके द्वारा उठाई गई आवाज को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायालय समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :

(क) सरकार का विचार है कि पिछली सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए विशेष न्यायालयों की युक्ति सोची थी और ऐसे न्यायालय स्थापित किये थे।

(ख) विशेष न्यायालयों को समाप्त करने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उससे यह पता चलता है कि अभी फिलहाल स्पेशल कोर्ट हटाने की सरकार की मंशा नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी और लोक दल के शासन काल में जो प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्री हुए उनके विरुद्ध भी बहुत सारे आरोप हैं, क्या सरकार स्पेशल कोर्ट के द्वारा उन पर भी मुकदमे चलाने का विचार रखती है ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन, राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही करने की हमारी कोई मंशा नहीं है और विशेष अदालतों में मामले चलाने का मामला होता है, तो कानून के अनुसार ही उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती कृष्णा साही : 1977 तक 30 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ क्या कांग्रेस की हुकूमतों ने स्पेशल कोर्ट कानून के द्वारा स्थापित किये थे ?

श्री पी० शिवशंकर : कानून के आधार पर राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध कोई विशेष अदालतें गठित नहीं की गयीं थीं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : विशेष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम०एल० जैन ने अपने निर्णय में यह कहा है कि विशेष अदालतों से सम्बन्धित अधिसूचना और उनका गठन तथा ऐसी अदालतों में मामला चलाने की घोषणा करना असंवैधानिक था। अतः इन अदालतों को बनाए रखने का कोई कारण नहीं है। कानून के अधीन इन अदालतों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि पहले वह यह बताएं कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इन अदालतों को समाप्त करेगी कि स्वयं विशेष न्यायाधीश द्वारा इन अदालतों को असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है

स्थापना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक अधिसूचना जारी की गई थी और सरकार की इस अधिसूचना को श्री जैन ने रद्द कर दिया था।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबन्ध है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बार का एक सदस्य और वह बार का एक उत्तरदायी सदस्य न्यायाधीशों के बेईमान होने की कोई बात करे.... (व्यवधान) मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो लोग इस ओर बैठे हुए हैं उस विचार से सहमत नहीं हो सकते जो मेरे माननीय मित्र ने यहां प्रस्तुत किया है।

श्री मगन भाई बराट : इस तथ्य की दृष्टि से कि मंत्री महोदय ने विशेष अदालतों के बारे में सरकारी नीति स्पष्ट कर दी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेष अदालतों के फलस्वरूप भूल अथवा उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले, उनके द्वारा अब निर्धारित की गई नीति के अनुसरण में सरकार द्वारा वापस ले लिए जाएंगे।

श्री पी० शिव शंकर : इस समय तो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

श्री ज्योतिमय बसु : प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार का बदले की नीति अपनाने का इस समय कोई इरादा नहीं है, इन परिस्थितियों में क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे....

श्री पी० शिव शंकर : मैंने कहा है कि हमारा बदले की भावना से कार्य करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री ज्योतिमय बसु : ठीक है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के डी० आई० जी० को, जो कि किस्सा कुर्सी के मामले का जांच कर रहे थे, क्यों आज सुबह गिरफ्तार किया गया और गुड़गांव जेल ले जाया गया ?

श्री पी० शिवशंकर : क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री ज्योतिमय बसु : प्रश्न पैदा होता है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इस पर अपन निर्णय दीजिए। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : क्या मैं इतना कहूं कि पिछली सरकार ने कार्यकाल के दौरान में बहुत सारे मन गढ़ंत साक्ष्य जुटाए गए थे और कितने ही साक्ष्य गढ़े गए थे। (व्यवधान)

श्री ज्योतिमय बसु : यह तो पुनः एक खतरनाक युग की शुरुआत है।

(व्यवधान)

श्री विक्रम महाजन : क्या यह सच नहीं है कि जो विशेष न्यायालय विधेयक पारित किया

गया था और जिसके उपरान्त ये न्यायालय स्थापित किए गए थे, वह कार्य एक राजनैतिक अनैतिकता और शुद्ध रूप में राजनैतिक प्रतिशोध लेने का कार्य था। यदि नहीं, तो जब कि विशेष अदालतों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहे हैं और उनकी स्थापना कर पाना उस समय देश में सतारूढ़ शासक दल का एक अनैतिक और राजनीतिक प्रतिशोध लेने का कार्य था, तो इन विशेष न्यायालयों को बंद करने का उक्त अधिनियम को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री संजय गांधी : क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश जस्टिस सिंघल ने यह मत व्यक्त किया था कि कोई भी आत्म सम्मानी जज विशेष न्यायालयों में बैठकर स्वयं क पदावनति नहीं कराएगा अथवा अपनी प्रतिष्ठा नहीं गिराएगा ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं सहमत हूं। उन्होंने यह बात की थी। न्यायाधीश सिंघल ने यह कहा था।

श्री नीरेन घोष : इस तथ्य की दृष्टि से कि वाटरगेट घटोले के कारण तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति को राजनीति छोड़नी पड़ी थी, क्या सरकार का मत है, कि कितने ही वाटर गेट घोटाले करने वाले व्यक्ति साफ बचकर निकल सकते हैं और उन पर जनमत की वार के समक्ष कोई अभियोग नहीं चल सकता या उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता, मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार का विचार बदले की भावना से कार्यवाही करने का नहीं है, इस दृष्टि से क्या यह सत्य नहीं है कि × × × और × × वापस लाए गए हैं ? × × कुख्यात पुलिस अध्यक्ष को दिल्ली में पुन: तैनात किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। कोई नाम लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री फ्रेंक अन्थनी : व्यवस्था के प्रश्न पर एक सुस्थापित परम्परा है कि जो व्यक्ति सभा में उपस्थिति न हो उसकी निन्दा अथवा अवमानना न की जाए। अत: माननीय सदस्य के उक्त शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : वे शब्द पहले ही निकाले जा चुके हैं।

श्री पी० शिव शंकर : यह दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेवार सदस्य × × के विरुद्ध आरोप लगाए जिसको अदालत ने सम्मान दोष मुक्त किया है। मैं वस्तुत: यही बात कहना चाहता हूं।

श्री ज्योतिमय बसु : तुर्कमान गेट मामले में क्या हुआ था।

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेश पर कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज सुबह केन्द्रीय जांच ब्यूरों के अधिकारी श्री एन० के० सिंह के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न से ही मेरा अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या मंत्री महोदय की यह धारणा है कि उक्त अधिकारी को झूठे साक्ष्य तैयार करने के आरोप पर गिरफ्तार किया गया है अथवा कि यह स्पष्ट रूप से बदला लेने की भावना का मामला है।

श्री पी० शिव शंकर : अत्यन्त काल्पनिक ढ़ंग के प्रश्न पूछने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मैं यह बता दूं कि मेरे सहयोगी गृह मंत्री महोदय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उस सज्जन आदमी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया है (व्यवधान)

श्री सी० पी० एन० सिंह : क्या मंत्री महोदय सभा को सूचित करेंगे कि जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के समय निर्णयाधीन बड़े मामले जैसे कि बड़ौदा डायनामेट मामला, जिसे जनता सरकार ने बंद कर दिया था, न्याय करने के दृष्टि से पुन: खोले जायेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और इस चरण में इस पर कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री से प्राप्त सूचना के आधार पर क्या मैं इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों से अह अनुरोध कर सकता हूं कि उन्हें बिना पुष्टि किए हुए यहां कोई बात नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार सभा के समय व्यर्थ बिना किसी बैध आधार सभा में कोई बात नहीं रखी जानी चाहिए। अगली बार, पहले आप स्वयं को आश्वस्त कर लें तथा फिर सभा में आकर बोलें— (व्यवधान) मैंने श्री इन्द्र जीत गुप्त को पुकारा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम मूल प्रश्न से बहुत दूर भटक गए हैं।

प्रश्न तो बदले की भावना अथवा राजनैतिक विरोधियों को परेशान करने से संबन्धित हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस देश को अब अपने आपको इस प्रकार की प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना होगा। सरकारें तथा मंत्रालय कतिपय अधिकारियों तथा नौकरशाहों के माध्यम से ही चला करते हैं, यही तंत्र है। क्या हमें यह मानना होगा कि यह विचार करते हुए कि सरकार जनता पार्टी की अथवा कांग्रेस पार्टी की, जिस अधिकारी वर्ग में एक सरकार के अधीन काम किया हो उसे दूसरी सरकार द्वारा परेशान और उत्पीड़ित किया जायगा ? क्या हम ऐसी ही प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहते हैं, यही तो चल रहा है। प्रतिदिन हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि एक अधिारी बर्ग को हटाया जा रहा है तथा दूसरे वर्ग को लाया जा रहा है। क्या दूसरी सरकार ठीक इसके विपरीत करेगी। क्या देश के नौकर शाही के साथ यही बर्ताव होगा कि उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाए जिसमें कि एक वर्ग तो एक दल के प्रति वफादार रहे और दूसरा वर्ग अन्य दल के साथ जुड़ा रहे।

श्री पी० शिव शंकर : अधिकारियों को जनता सरकार का पिठ्ठू नही बनाया जा सका। उनको पिछली सरकार द्वारा निश्चय ही परेशान किया गया था और वर्तमान सरकार उस स्थिति को ठीक करना चाहती है। जहा तक हमारा संबन्ध है हमने तो ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर रखे जायें। **कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।**

श्री राम जेठमलानी : आपने कहा था कि आपने मुझे डाक और अनुपूरक प्रश्न पूछने देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतना काफी है। इस अल्प सूचना प्रश्न पर आधे घण्टे से अधिक समय लग चुका है। हर बात स्पष्ट हो गई है। अब अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं अगली मद पर आ चुका हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उद्योगों को कोयले की सप्लाई

*** १२. श्री के० लकप्पा :** क्या ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उद्योगों को सप्लाई होने वाले कोयले में कितनी कमी हुई है;

(ख) गत दो वर्षों में देश में कोयले की कमी के कारण तथा उद्योगों को कोयले की सप्लाई में कमी के कारण कितनी शुद्ध हानि हुई है; और

(ग) इसके लिए क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष, 1978-79 और 1977-78 में उद्योगों की कोयले की अनुमानित मांग और उन्हें की गई सप्लाई निम्नलिखित थीं :

	(मि० टन)	
	1978-79	1977-78
मांग	90 05	86·10
सप्लाई	80.07	82.54

(ख) जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर यह गणना करना सम्भव नहीं है कि केवल कोयले की कमी के कारण ही देश को कितना नुकसान हुआ है।

(ग) कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं जैसे सड़क और रेल दोनों से ही अधिक कोयला भेजना। कोलियरियों को बिजली की अधिक सप्लाई, विस्फोटक पदार्थों का आयात और औद्योगिक संबंधों के बारे में अत्यधिक सतर्कता।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए निगम बनाया जाना

25. **श्री आर० पी० यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए निगम बनाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के लिए छठी लोक सभा में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था वह व्यपगत हो चुका है। सरकार का इस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नए शिरे से विचार करने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

* 26 **श्री नारायण कृष्णराव शेजवलकर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केवल रायपुर में ही एक दूरदर्शन केन्द्र है; और

(ख) ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर और जबलपुर में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय संसाधनों के अभाव और दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी गई अल्प प्राथमिकता

के कारण चालू पंचवर्षीय योजना अवधि [1978-83] के दौरान ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर और जबलपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करने की मांग

27. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करने की गुंजाइश के सम्बन्ध में गहराई से और विस्तारपूर्वक विचार करने की मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश के अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) सरकार का इस विषय पर पूरी तरह से विचार करने और अनन्तिम विनिश्चय कर लेने के पश्चात् समुचित प्रक्रम पर राजनीतिक दलों से परामर्श और उनके साथ विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है ।

देश में बिजली की कमी

*29. **श्री सी० आर० नहाटा**
श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली की कमी व्याप्त है। यदि हां, तो कमी किस-किस हद तक है तथा बिजली की वार्षिक आवश्यकता क्या है और चालू वर्ष के लिए कितनी बिजली उपलब्ध है; और

(ख) कमी के क्या कारण हैं और छोटी तथा लम्बी अवधि की परियोजनाओं के सन्दर्भ में बिजली की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) जी, हां। देश इस समय अखिल भारतीय आधार पर लगभग 20 प्रतिशत तक बिजली की कमी का सामना कर रहा है। पूर्वी क्षेत्र लगभग 19 प्रतिशत की कमी का, पश्चिमी क्षेत्र लगभग 18 प्रतिशत की कमी का, दक्षिणी क्षेत्र 14 प्रतिशत की कमी का, तथा उत्तरी क्षेत्र 29 प्रतिशत की कमी का सामना कर रहा होगा।

वर्ष 1979-80 के दौरान ऊर्जा की सम्भावित सकल आवश्यकता 124.26 बिलियन यूनिट आंकी गई है। इसकी तुलना में सकल उपलब्धता 105 20 बिलियन यूनिट होने की संभावना है। यह कमी 16.8 प्रतिशत है।

(ख) विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं:

(1) देश के कुछ भागों में मानसून न आने के परिणामस्वरूप जल-विद्युत की कम उपलब्धता;

(2) सूखा पड़ने के कारण कृषि सम्बन्धी मांग में वृद्धि;

(3) चालू की गई नई ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के सुस्थिर होने में लम्बा समय लगना;

(4) उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र के कुछ विद्युत केन्द्रों में कोयला पर्याप्त न होना;

(5) चालू की गई नई यूनिटों के सुस्थिर होने में देरी लगना तथा पूर्वी क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों के जबरन बन्दी की दर अधिक होना।

देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

अल्पकालिक उपाय

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से वे भी इसी प्रकार से अधिकतम उत्पादन करें।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा इसी प्रकार की कार्रवाई करने की सलाह राज्यों को देना।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के स्टाक की मानीटरिंग करना तथा कोयले की उप-

लब्धता सुनिश्चित करना ।

(4) फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत स्थानान्तरित करना ।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना ।

दीर्घकालिक उपाय

(1) 1978-83 की अवधि के दौरान 17,880 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करने की योजना बनाई गई है । इसमें से वर्ष 1978-79 के दौरान 3000 मेगावाट क्षमता चालू की जा चुकी है ।

(2) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना ।

(3) डिजाइन और उपस्कर आदि में जो कमियाँ हों उनका पता लगाना और कई विद्युत केन्द्रों पर सुधार प्रतिस्थापन आदि के लिए परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना ।

साइलेंट वैली विद्युत परियोजना, केरल

* 30. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार से साइलेंट वैली विद्युत परियोजना का काम रोक देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह केरल सरकार से साइलेंट वैली विद्युत परियोजना पर कार्य पुनः शुरू करने के लिए कब कहेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) साइलेंट वैली वन, संसार में शेष बच रहे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में से एक है । इसके नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में पर्यावरण-विशेषज्ञों और परिस्थिति — विज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई गम्भीर आशंकाओं को ध्यान रखते हुए केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि जब तक इस मामले पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श नहीं हो जाता तब तक आगे का कार्य रोक दिया जाए ।

वर्ष 1980 के लोक सभा निर्वाचन में मतदान से वंचित व्यक्ति

*31. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह जान-

कारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 के लोक सभा निर्वाचन में बहुत से लोग मतदान करने से वंचित रहे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) किस राज्य में ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जिनके नाम निर्वाचक नामावली में नहीं पाये गये;

(घ) क्या यह बात निर्वाचन आयोग के ध्यान में भी लाई गई थी कि नाम छपे थे किन्तु वे लाल स्याही से काटे हुए थे;

(ङ) क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम नहीं पाये गये; और

(च) इस कार्य के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निर्वाचक नामावलियों में पात्र मतदाताओं के नाम के लोप/काटे जाने के सम्बन्ध में शिकायतें मतदान की तारीखों को और उसके पश्चात् निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग) अधिकतर शिकायतें साधारण प्रकृति की हैं जिनमें यह अभिकथन किया गया है कि निर्वाचक नामावलियों में बड़े पैमाने पर नामों का लोप हुआ है। यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं हुआ है कि ये शिकायतें कहां तक ठीक हैं या उन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, जिनकी बावत कहा जाता है कि उनके नाम निर्वाचक नामावलियों से लुप्त कर दिए या काट दिए गए हैं अथवा किस राज्य में मतदाताओं के नामों का लोप अधिक था।

(घ) इस प्रकृति की कुछ शिकायतों को निर्वाचन आयोग की जानकारी में भी लाया गया है। आयोग द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार हाल में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान विद्यमान नामावलियों के केवल अनुपूरक ही तैयार किए गये थे। नामावलियों के अनुपूरकों में (1) नामों का जोड़ा जाना, (2) इनमें सुधार किया जाना और (3) नामों का काटा जाना है। आधारिक निर्वाचक नामावलियों में नाम उस सूची के आधार पर लाल स्याही से काटे गये हैं जो निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान नामों के काटे जाने के लिए तैयार की गई थी और जिसमें उन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने स्थान छोड़ दिया है या जो गणना के समय उपलब्ध नहीं थे या जो मर गए हैं आदि।

(ङ) जी नहीं। निर्वाचक नामावलियों के पिछले पुनरीक्षण के दौरान भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(च) जहां कहीं निर्वाचक नामावलियों से नामों के लोप या काटे जाने के विनिर्दिष्ट मामले प्राप्त होते हैं वहां जांच करके यह नियत करना सम्भव होगा कि पात्र व्यक्तियों के नामों के अभिकथित लोप या रजिस्टर न किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है।

निर्धन लोगों के लिए कानूनी सहायता

*32. **श्री के० मालन्ना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कोई निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसपर वर्तमान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजनावधि के दौरान ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करना

*33 **श्रीमती कृष्णा साही : क्या ऊर्जा और सिचाई और कोयला मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजनावधि के दौरान 18,500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिये इसे राज्यों में समान रूप से वितरीत करने का है ?

ऊर्जा और सिचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 की संशोधित रूपरेखा को हाल में ही अन्तिम रूप दिया गया है। योजना अवधि के दौरान 17,880 मेगावाट की उत्पादन क्षमता की अधिवृद्धि करने की परिकल्पना इसमें की गई है।

(ख) 17,880 मेगावाट की यह अतिरिक्त क्षमता चालू तथा स्वीकृत परियोजनाओं से प्राप्त की जाएगी। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में तथा कुछ परियोजनाएं केन्द्रीय सैक्टर की योजना में शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विद्युत सम्बन्धी

संभावित मांगों को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को विद्युत कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

असम और मेघालय में लोक सभा के लिये निर्वाचन.

*33-क. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के पिछले निर्वाचन के दौरान असम में 12 स्थानों और मेघालय में 1 स्थान के लिए निर्वाचन नहीं कराये जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इन क्षेत्रों में कब तक निर्वाचन कराये जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) असम में 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात, 1—करीमगंज (अ० जा०) और 2—सिल्चर में निर्वाचन कराए गये थे। असम के 3—स्वशासी जिला (अनुसूचित जनजाति) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर ने यह सूचना दी थी कि वह मतदान केंद्रों में पीठासीन आफिसरों और मतदान आफिसरों के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में सरकारी सेवकों को जुटाने में असमर्थ था। असम में 6—बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र और मेघालय में 1—शिलांग निर्वाचन क्षेत्र में सभी विधिमान्य रूप से नामनिर्देशित अभ्यर्थियों ने निर्वाचन से अपने नाम वापस ले लिए थे जिसके परिणामस्वरूप मतदान नहीं हो सका। असम में शेष दस निर्वाचन क्षेत्रों में कोई नामनिर्देशन पत्र दाखिल नहीं किये गये थे।

(ग) 3—स्वशासी जिला (अनुसूचित जनजाति) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान असम सरकार से यह रिपोर्ट मिलते ही कराया जाएगा कि वहां स्थिति ऐसी है कि निर्वाचन कराए जा सकते हैं। जहां तक उन बारह अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जो सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहे हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 (3) के अधीन निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षित है कि वह सदस्य निर्वाचित करने के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों से तब अपेक्षा करे जब उसका यह समाधान हो जाता है कि उनसे पुनः अपेक्षा की गई तो ये निर्वाचन क्षेत्र ऐसे असफल न रहेंगे। निर्वाचन आयोग स्थिति पर बराबर दृष्टि रखे हुए है। इस समय आयोग यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन कब कराये जाएंगे।

पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना

*34. **श्री के ए० राजन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** इस बात का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि हाल ही में हुए लोक सभा निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियाँ किस तरह तैयार की गई और उन्हें किस तरह पुनरीक्षित किया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

इस बात का ब्यौरा वर्शित करने वाला विवरण जो कि हाल ही में हुए लोक सभा निर्वाचन के लिए लिए निर्वाचक नामावलियां किस प्रकार तैयार और पुनरीक्षित की गई थी ।

तारीख 22-8 1979 को लोक सभा का विघटन हो जाने के और नई लोक सभा यथाशीघ्र गठित करने के लिए साधारण निर्वाचन की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप निर्वाचन आयोग ने 22 अगस्त, 1979 को यह विनिश्चय किया कि थोड़े समय के भीतर देश भर में निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण किया जाये । निर्वाचक नामावलियों का हर प्रकार गहन पुनरीक्षण करने की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि इससे पूर्व निर्वाचक नामावलियों का साधारण पुनरीक्षण 1975 में किया गया था और उस समय अर्हता की तारीख 1- -1975 रखी गयी थी तथा यह पुनरीक्षण कार्य अविलम्ब सम्पन्न किए जाने वाले एक कार्यक्रम के अधीन जिसकी अवधि लगभग दो मास थी, पूरा किया गया था । परिणामस्वरूप यह पुनरीक्षण उतना सन्तोषप्रद नहीं था जितना होना चाहिए। तत्पश्चात मार्च, 1977 में लोक सभा के साधारण निर्वाचन करने के पूर्व 1976 में निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था।

1971 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए उपयोग में लाई गई निर्वाचक नामावलियों का भी पुनरीक्षण उससे पूर्व 1969 में अविलम्ब सम्पन्न किए जाने वाले एक कार्यक्रम के अधीन किया गया था ।

सारे देश में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण क लिए 22-8-1979 का विहित कार्यक्रम इस प्रकार था :

1. घर-घर जाकर गणना करना	1-9-79 से 20 9-79 तक
2. विद्यमान निर्वाचक नामावलियों के समेकित अनुपूरकों की तैयारी और उनका मुद्रण	21 9-79 से 4 10-79 तक

3. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन	5-10-79
4. दावे और आपत्तियां फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख	20-10-79
5. दावों और आपत्तियों का निपटारा, अंतिम अनुपूरकों की तैयारी और निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम रूप से प्रकाशन	31-10-79

पुनरीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार थी :

गणनाकार घर-घर जाकर उन सभी पात्र व्यक्तियों का पता लगायेंगे जो निर्वाचक के रूप में रजिस्टर किए जाने हैं। उन्हें (गणनाकारों को) विद्यमान निर्वाचक नामावलियों का सम्बन्धित भाग और गणनापैड दिए जाएंगे। इन पैडों में प्रत्येक गणना प्रारूप दो प्रतियों में था और उन पर क्रम से संख्यांक अंकित थे। गणनाकारों से यह अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक गृहस्थी के लिए एक गणना कार्ड का ही उपयोग किया जाय। यह भी अपेक्षा की गई थी कि यदि कोई मकान रिहायशी मकान न भी हो या वह बंद पाया जाए या यह पाया जाए कि वहां कोई पात्र निर्वाचक नहीं है तो भी 'मकान नहीं है', 'मकान बन्द पाया गया', 'कोई पात्र निर्वाचक नहीं है' आदि जैसी उपयुक्त प्रवृष्टि उस कुटुम्ब के वारे में गणना कार्ड में की जाय। जहां भी सम्भव हो गणना कार्ड की एक प्रति प्रत्येक गृहस्थ को दी जानी थी और कुटुम्ब के प्रधान या वयस्क सदस्य को किसी पड़ोसी के हस्ताक्षर ऐसी प्रविष्टियों के समर्थन में गणना कार्ड की दूसरी प्रति पर लिए जाने थे। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निर्वाचक नामावलियों के पूर्ववर्ती पुनरीक्षण के पश्चात जो नए मकान या वास स्थान आदि बने हैं उनकी भी गणना की जाए और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक गणनाकार को जो क्षेत्र आबंटित किया गया था उसमें वह पूरी तौर से अपना काम करे। घर-घर जाकर पता लगाने के पश्चात् यह अपेक्षित था कि गणना कार्डों में की गई प्रविष्टि के आधार पर विद्यमान निर्वाचक नामावलियों के प्रत्येक भाग का समेकित अनुपूरक तैयार किया जाय जिसमें नाम जोड़े गए हों, निकाले गए हों और शुद्धियां की गई हों। इस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षित था कि पहले वाले अनुपूरक जो प्रवृत थे उन्हें इस समय तैयार किए गए अनुपूरकों के साथ समेकित किया जाए और इस प्रकार एक एकीकृत अनुपूरक तैयार किया जाए। दावों और आपत्तियों के निपटारे के पश्चात् निर्वाचक नामावली प्रत्येक भाग का एक अन्य अनुपूरक तैयार किया जाना अपेक्षित था जिसमें दावों सम्बन्धी आवेदनों और आपत्तियों पर किए गए विनिश्चयों के परिणामस्वरूप नाम काटे गए हों, जोड़े गए हों और उनमें शुद्धियां की गई हों। इस प्रकार निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग की बाबत यह अपेक्षित था कि उनके अन्तिम प्रकाशन के समय उसमें आधारिक नामावली और दो अनुपूरक हों।

उक्त दो अनुपूरकों को आधारिक नामावली में मिला देना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक एकीकृत निर्वाचक नामावली तैयार करना संभव नहीं समझा गया क्योंकि देश में सफेद मुद्रण कागज की बहुत कमी थी और आयोग के पास निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य को पूरा करने के लिए समय थोड़ा था।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों की एक बैठक 27 अगस्त, 1979 को आयोग के कार्यालय में हुई थी। यह बैठक निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण और अन्य बातों पर विचार विमर्श करने के लिए की गई थी। अनेक मुख्य निर्वाचन आफिसरों ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रारूप के प्रकाशन से पूर्व सभी अनुपूरकों को एकीकृत करना शायद संभव नहीं होगा क्योंकि इस प्रयोजन के लिए समय थोड़ा था। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि मुख्य निर्वाचन आफिसरों को यह विशेषाधिकार दिया जाय कि वे या तो सभी अनुपूरकों को एकीकृत करके एक अनुपूरक प्रकाशित करें अथवा एक अतिरिक्त अनुपूरक तैयार करें जिनमें से एक प्रारूप के प्रकाशन के प्रक्रम पर और दूसरा अन्तिम प्रकाशन के प्रक्रम पर तैयार किया जाय जिससे कि ये दो अनुपूरक पहले से ही मौजूद अनुपूरकों और आधारित निर्वाचक नामावली बनाएं। मुख्य निर्वाचन आफिसरों के इस विचार को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया था कि विद्यमान निर्वाचक नामावलियों के अनुपूरकों का मुद्रण करते समय वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और यदि एक से अनुपूरक होंगे तो आयोग को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु इस बात पर बल दिया गया था कि मुख्य निर्वाचन आफिसर अंतिम प्रकाशन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रारूप के समय ऐसे सभी अनुपूरकों को समुचित रूप से जोड़ लिया गया था और उन्हें आधारित नामावली के साथ प्रकाशित किया गया था।

यह अपेक्षा की गई थी कि गणनाकारों द्वारा किये गए कार्य की जांच पर्यवेक्षकों द्वारा की जाए। एक पर्यवेक्षक को आवंटित क्षेत्र उसके अधीन नियुक्त सभी गणनाकारों को आवंटित कुल क्षेत्र के बराबर था। पर्यवेक्षक से यह अपेक्षित था कि वह अपने अधीन कार्य कर रहे गणनाकारों के कार्य की निगरानी करे और उन्हें अनुदेश दे तथा उनका मार्ग दर्शन करे। इस अवसर पर यह अपेक्षा की गई थी कि जो गणना कार्य किया गया है उनके कम से कम 15 से 20 प्रतिशत भाग की अचानक जांच, पर्यवेक्षकों द्वारा की जाए। उससे पूर्व यह प्रतिशतता 5 या 10 प्रतिशत थी।

यह अपेक्षित था कि पर्यवेक्षक जांच के लिए गृहस्थी स्वयं चुन लें। ऐसा पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक को आवंटित प्रत्येक ब्लाक, गली और क्षेत्र में किया जाना था। संक्षेप में इस बात पर बल दिया गया था कि पर्यवेक्षकों द्वारा की गई जाँच कारगर होना चाहिए जिससे कि गणनाकार अपना कार्य जिम्मेदारी और सावधानी से करें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 (य) के अधीन निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशित प्रारूप की दो प्रतियां और सभी पश्चात्वर्ती अनुपूरकों की दो प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी गई थीं जिससे कि वे दल यह सुनिश्चित करने में कि निर्वाचक नामावलियां यथासंभव पूर्ण हों, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को कारगर सहायता दे सकें। तारीख 12-9-1979

ो मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में राजनैतिक दलों के तिनिधियों ने आयोग से अनुरोध किया कि गणना के लिए नियत अवधि को कम से कम एक प्ताह के लिए अर्थात् 27-9-79 तक के लिए बढ़ा दिया जाए जिससे कि वे अधिक व्यवस्थित रूप ा गणना कार्य के किए जाने में अपना सहयोग दे सकें। उन्होंने यह शिकायत भी की कि उस समय क गणनाकार बहुत से क्षेत्रों में नहीं गए थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्देश दया कि गणना के लिए अवधि को 27-9-79 तक (जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है) के लिए ढ़ा दिया जाए और कार्यक्रम के अन्य प्रक्रमों को भी समान रूप से निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित कया जाए :

1. अनुपूरकों की तैयारी और उनका मुद्रण तथा प्रारूप का प्रकाशन	12-10-79
2. दावे और आपत्तियां फाइल करने की अन्तिम तारीख	27-10-99
3. दावों और आपत्तियों का निपटारा, अतिरिक्त अनुपूरकों का मुद्रण और निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम रूप से प्रकाशन।	7-11-79

आयोग ने मुख्य निर्वाचन आफिसरों को यह निर्देश भी दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ार्यवेक्षकों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा, ांच के लिए विहित प्रतिशतता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, गणना कार्य का कड़ाई से र्यवेक्षण किया जाए।

अनेक मुख्य निर्वाचन आफिसर उपर्युक्त बढ़ाए गए कार्यक्रम के अनुसार भी कार्य नहीं कर के क्योंकि उन्होंने निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप कई हजार पृष्ठों आधारिक निर्वाचक नामावलियों के अनुपूरकों के मुद्रण में बहुत कठिनाइयों का अनुभव किया। तः उन्होंने अनुपूरकों के मुद्रण के लिए और समय दिए जाने तथा निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के लिए नियत तारीख को कम से कम एक सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया। न बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों लिए नई तारीखें इस प्रकार नियत कीं :

1. विद्यमान निर्वाचक नामावलियों के अनुपूरकों की तैयारी और मुद्रण तथा निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप के प्रकाशन के लिए अवधि	19-10-79
2. दावे और आपत्तियां फाइल करने की अन्तिम तारीख	3-11-79

3. दावों और आपत्तियों का निपटारा, अतिरिक्त
अनुपूरकों का मुद्रण और निर्वाचक नामावलियों   14-11-79
का अन्तिम रूप से प्रकाशन

निर्वाचक नामावलियों के तारीख 5-10-1979 को तैयार किए गए प्रारूप के प्रकाशन व
व्यापक प्रचार किया गया था। आयोग ने आदेश किया था कि निर्वाचक नामावली का सुसंग
भाग उस भाग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में पंचायत घर, पटवारी कार्यालय, नगरपालिका व
आदि जैसे सुविधाजनक और उपयुक्त स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएं। निर्वाचि
नामावलियों के पुनरीक्षण के कार्यक्रम का भी प्रचार राष्ट्रीय समाचार पत्रों अथवा सम्बन्धित क्षे
में व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में दो विज्ञापन देकर किया गया था। आशय य
था कि सभी पात्र निर्वाचक निर्वाचक नामावलियों का सत्यापन कर सकें और यह सुनिश्चित क
सकें कि निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम सम्यक् रूप से रजिस्टर किए गए हैं और यदि ऐ
नहीं है तो वे दावे के आवेदन दाखिल कर सकें।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों की दूसरी बैठक आयोग
कार्यालय में 26 अक्टूबर, 1979 को हुई थी। यह बैठक पहले से तैयार किए गए कार्यक्रम के अ
सार निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लि
हुई थी। सभी मुख्य निर्वाचन आफिसरों ने इस बात की पुष्टि की कि उनके राज्यों/संघ राज्यक्षे
में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप नियत कार्यक्रम के अनुस
19-10-79 को सम्यक् रूप से प्रकाशित कर दिए गए थे किन्तु उनमें से कुछ को निर्वाचक रजिस
करण नियम, 1960 के नियम 11 (ग) के अधीन यथाअपेक्षित राजनैतिक दलों को उनकी प्रति
देने में कठिनाई हुई। वे समझते थे कि प्रतियों के दिए जाने में विलम्ब होने के कारण यह हो सक
है कि राजनैतिक दल दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय के बढ़ाए जाने की म
करें। कुछ अन्य मुख्य निर्वाचन आफिसरों ने बताया कि जहां तक उनका सम्बन्ध है समय बढ़
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने 19 अक्टूबर, 1979 तक सभी अपेक्षाओं का अ
पालन कर दिया था। अतः यह विनिश्चय किया गया कि ऐसे राज्य जिनमें निर्वाचक नामावलि
की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को 19 अक्टूबर, 1979 तक नहीं दी जा सकीं, 1 नवम्
1979 से पूर्व आयोग से इस बात के लिए कहें कि दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए
समय दिया गया है वह बढ़ा दिया जाए। किन्तु जो राज्य उक्त अपेक्षा की पूर्ति कर चुके थे उ
यह विवेकाधिकार दिया गया था कि वे चाहें तो दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए नि
समय को एक सप्ताह अर्थात् 10 नवम्बर, 1979 तक और बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। यह
स्पष्ट कर दिया गया था कि एक सप्ताह की बढ़ायी गई अवधि के समाप्त होने के पूर्व प्रा
निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दे दी जानी चाहिए। तथ
सभी दशा में यह अपेक्षित था कि निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 26 नवम्बर, 19
तक हो जाना चाहिए जैसा कि पहले ही विहित किया जा चुका है किन्तु मुख्य निर्वाचन आफिस

से यह अनुरोध प्राप्त होने पर कि अन्तिम निर्वाचक नामावलियां मुद्रित कराने में उन्हें कठिनाई हो रही है, निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन की तारीख बढ़ाकर 30 नवम्बर, 1979 कर दी गई थी।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन नियत तारीख को सम्यक् रूप से हो गया था।

कोयला खानों में महिला कर्मचारियों की संख्या

*35. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977, 1978 और 1979 के दौरान कोयला खानों में कुल कितनी महिलायें काम कर रही थीं;

(ख) यदि महिलाओं के रोजगार में कमी हुई थी तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयला खानों में महिलाओं के रोजगार को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोल इंडिया लि० के मुख्यालय, नार्थ ईस्टर्न कोलियरी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	को० ई० लि०	ना० ई० को० लि०	वे० को० लि०	से० को० लि०
1977	37	69	3390	12,903
1978	37	66	3197	12,590
1979	38	66	3115	11,951

भारत कोकिंग कोल लि० और ई० को० लि० के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सूचना कोयला कम्पनियों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

*36. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय और उसकी सहायक कम्पनियों के अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता स्थित इसके कार्यालयों के श्रमिक संघों ने प्रबंधकों के इस प्रयास का विरोध किया है; और

(घ) सरकार ने श्रमिकों की मांगें पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस समय कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों में कर्मचारियों की संख्या घटाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

तूरा में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

29. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूरा, मेघालय में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) तूरा में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) के दौरान कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत किया गया है। इस समय इसके बारे में आवश्यक व्यय की मंजूरी पाने के लिए कार्रवाही की जा रही है । इसके बाद इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा ।

उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में विद्युतीकृत किये गये गांव

30. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान उन क्षेत्रों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा, और

(ग) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की कुल योजनाओं को मंजूरी दी गई है और उनके मंत्रालय ने वर्ष 1979-80 के लिये योजना वार कितनी राशि दी है?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उड़ीसा के जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में शामिल किए गए गांवों की कुल संख्या 18,683 है। उनमें से 31. 3. 1979 तक 3, 375 गांव विद्युतीकृत किए गए थे।

(ख) उड़ीसा के जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के दौरान 360 गांव विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, राज्य के अपने सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के और अधिक गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा जनजातीय उप योजना क्षेत्रों की दो स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। साथ ही, उड़ीसा के जनजातीय उप योजना क्षेत्रों की 3 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निगम ने 31.12.1979 तक 17 लाख रुपए संवितरित किए है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान (31-12-1979 तक) उड़ीसा के जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि
1.	कालाहाण्डी जिले में लांजीगढ़ ब्लाक	55 लाख रुपए
2.	कियोंझर जिले में जोड़ा और चम्पा ब्लाक	77 लाख रुपए
	जोड़	142 लाख रुपए

वर्ष 1979-80 के दौरान(31-12-1979 तक) उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा संवितरित की गई ऋण-राशि का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि
1.	बालासोर जिले में सिमुलिया, भरदरका और घीड़ी ब्लाक	3 लाख रुपए

1	2	3
2.	सुन्दरगढ़ जिले में तालासरा पुलिस स्टेशन	1 लाख रुपए
3.	कोरापट जिले में डाड्गांव ब्लाक	13 लाख रुपए
	जोड़	17 लाख रुपए

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

31. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य क्या था;

(ख) क्या वह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 (अप्रैल—दिसम्बर, 1979) में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिशत नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

	1978-79		1979-80	
उत्पाद	लक्ष्य (हजार टन)	प्राप्ति	लक्ष्य (हजार टन)	प्राप्ति
इस्पात पिण्ड	9,965	81.8 प्रतिशत	9,350	86.1 प्रतिशत
विक्रेय इस्पात	7,679	85.6 प्रतिशत	7,405	81.2 प्रतिशत

(ग) लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त न करने के मुख्य-मुख्य कारण नीचे बताए गए हैं :

1978-79 :

(1) मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से कोककर कोयले की अपर्याप्त सप्लाई ।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली बिजली की आपूर्ति में कमी तथा प्रायः रुकावटें/घट-बढ़;

(3) कुछ कारखानों में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे; और

(4) सितम्बर, 1978 में पश्चिमी बंगाल में अभूतपूर्व वर्षा हुई तथा बाढ़ आई परिणामस्वरूप कोयले के क्षेत्रों तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने में बाढ़ आ गई और रेल यातायात पर

प्रभाव पड़ा।

1979-80

(1) सार्वजनिक क्षेत्र, विशेषतया दामोदर घाटी निगम से इस्पात कारखानों को मिलने वाली बिजली की अपर्याप्त सप्लाई।

(2) इस्पात कारखानों में कोककर कोयले के स्टाक में अत्याधिक कमी हो जाने तथा समस्त अवधि में कोककर कोयले की निरन्तर कम सप्लाई के कारण 1 अप्रैल, 1979 से कोक ओवन पुशिंग की दर में काफी कटौती करनी पड़ी। धनबाद-रानीगंज कोयला क्षेत्र में बिजली की दिक्कत के कारण कोककर कोयले की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धनबाद क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होने के कारण यह स्थिति और भी गम्भीर हो गई।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामलों की संख्या

32. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) वहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कितने रिक्त पद नहीं भरे गये हैं ; और

(ग) इन रिक्त पदों के न भरने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 30-6-1979 तक लम्बित मामलों की संख्या 40785 थी।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कोई पद रिक्त नहीं है। किन्तु नये सृजित 4 पदों को, जिन्हें उस तारीख से मंजूर किया गया है जिस तारीख से वे भरे जाएं, अभी भरा जाना है। हाल में मध्य प्रदेश राज्य के प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

स्टाकयार्ड को इस्पात का आवंटन

33. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर इस्पात स्टाकयार्ड को पिछले वर्ष (1979) लोहे की कितनी मात्रा आवंटित की गई है ;

(ख) उनके द्वारा कितनी मात्रा की मांग की गई थी; और

(ग) कम आवंटन किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1979 में ग्वालियर स्टाकयार्ड द्वारा लोहे और इस्पात सामग्री की अनुमानित मांग तथा वास्तविक प्राप्ति के आकड़े नीचे दिए गए हैं :

	अनुमानित मांग		वास्तविक प्राप्ति
इस्पात	13,000 टन		11,391 टन
कच्चा लोहा	3,000 टन		2,237 टन
		कुल	13,628 टन

(ग) मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से कोयले की लगातार अपर्याप्त सप्लाई और बिजली की सप्लाई में कमी और इस पर अक्सर लगे प्रतिबन्धों/घट-बढ़ के कारण ग्वालियर सहित सभी स्टाकयार्ड को लोहे और इस्पात के प्रेषणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अक्सर रेल मार्गों पर प्राय: प्रतिबन्धों तथा खाली डिब्बों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धि के कारण रेल यातायात द्वारा इसके प्रेषण में कठिनाइयां आईं।

कोरापुट में एल्यूमीना संयंत्र सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन

34. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के जिला कोरापुट में एल्यूमीनियम एल्यूमीना संयंत्र की स्थापना के बारे में 'वाल्को' से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार क्या है;

(ग) परियोजना तथा संयंत्र पर निवेश सम्बन्धी कोई निर्णय भारत सरकार द्वारा कब लिए जाने की आशा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (वालको) ने कोरापुट जिले के एल्यूमिनि यम कम्पलैक्स के लिए फ्रांस की मैसर्स एल्यूमिनियम पैचीनी द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट भेजी है।

(ख) इस साध्यता रिपोर्ट में कोरापुट जिले के पंचपटमाली में बाक्साइड भंडारों पर आधारित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की परिकल्पना की गई है, जिसमें—

(i) 2,400,000 टन वार्षिक क्षमता की बाक्साइट खान ;

(ii) 800,000 टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमीना संयंत्र; और

(iii) 218,000 टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक शामिल हैं।

परियोजना के निर्माण में 5 वर्ष का समय लगेगा, कम्पलैक्स की अनुमानित पूंजीगत लागत 1000 करोड़ रुपये है। इसमें अवस्थापन और सम्बद्ध सुविधाओं पर आने वाली लागत भी शामिल है। इसके अलावा एक ग्रहीत बिजली घर भी बनाना होगा।

(ग) इस समय साध्यता रिपोर्ट सरकार की विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों के विचाराधीन है। विचार पूरा हो जाने के बाद अगले कुछ महीनों में परियोजना के बारे में पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बरहामपुर में एक अन्य आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

35. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में बरहामपुर (गंजम) उड़ीसा में एक अन्य आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या नीति अपनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नए रेडियो स्टेशन के स्थान का निर्धारण विभिन्न बातों यथा वर्तमान सेवा क्षेत्र में दूरियों, जनसंख्या के घनत्व और विन्यास, क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं, तकनीकी सम्भाव्यता, प्रतिभा की उपलब्धि संसाधनों की उपलब्धि, सापेक्ष प्राथमिकताओं और फ्रीक्वेंसी आवंटनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

कोरापुर जिले की बड़ानाला सिंचाई परियोजना

36. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुर जिले के बड़नाला सिंचाई परियोजना को शीघ्र ही पूरा किये जाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) उस राज्य द्वारा विशेष रूप से इस योजना को तैयार करने में और कार्यान्वयन के लिए सम्मिलित किए जाने हेतु जो विलम्ब किया गया है उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए वर्ष 1979-80 के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) बड़ा नाला सिंचाई परियोजना रिपोर्ट अभी भी उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। देर का कारण यह है कि अभी और फील्ड अन्वेषण किये जाने की आवश्यकता है।

(ग) 1979-80 के दौरान कोई खर्च होने की संभावना नहीं है।

वंशधारा नदी पर नेरेडो बांध के बारे में आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों के बीच विचार विमर्श

37. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा उड़ीसा सरकार ने वंशधारा नदी पर नेरेडो बांध सम्बंधी परियोजना प्रतिवेदन के मंजूर होने से पूर्व आपस में विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त चर्चा के विषय क्या थे और उन पर क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त विशाल बांध के कारण अनेक गांवों तथा बहुत सी भूमि के जलमग्न हो जाने की आशंका है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी रक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 15 दिसम्बर, 1978 को हुई एक अन्तर्राज्यीय बैठक में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों ने वंशधारा नदी पर नेरेडो सिंचाई परियोजना के बारे में विचार विमर्श किया था। इस विचार विमर्श की अनुपालना में, आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने नेरेडो परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1979 में उड़ीसा सरकार के पास भेजी।

उड़ीसा की सरकार ने परियोजना रिपोर्ट में कुछ संशोधनों का सुझाव देते हुए रिपोर्ट के बारे में अपनी टिप्पणियां भेजीं। दोनों सरकारों द्वारा स्वीकृत संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी

भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) मार्च, 1979 में आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा प्रस्तुत मूल परियोजना रिपोर्ट में एक बराज और भूमि को जलमग्न होने से बचाने के लिए बराज के प्रतिप्रवाह में नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों का निर्माण परिकल्पित है। इस समस्या की गम्भीरता तभी जानी जा सकेगी जब इन दोनों सरकारों द्वारा स्वीकृत संशोधित परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध हो जायगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दी गई वित्तीय सहायता की मात्रा

38. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या उर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने (एक) ऋण (दो) अनुदान के रूप में प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में अलग-अलग प्रत्येक वर्ष कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ;

(ग) क्या किसी राज्य बिजली बोर्ड ने इस प्रकार दी गई राशि को उपरोक्त तीन वर्षों में से किसी वर्ष व्ययगत हो जाने दिया है अथवा न व्यय किये गये के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को लौटा दिया है;

(घ) यदि हाँ, ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी बोर्डों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री : श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों की निधियां (एक) राज्य योजनाओं के माध्यम से सीधे योजना विनियोजन के द्वारा तथा (दो) ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से उनके सामान्य कार्यक्रम तथा संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-दोनों ही कार्यक्रमों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य बिजलीबोर्डों को वित्तीय सहायता सामान्यतः ग्राम विद्युतीकरण निगम, अपनी अनुमोदित विशिष्ट स्कीमों के लिए ऋण के माध्यम से प्रदान करता है। तथापि, जो राज्य ग्राम विद्युतीकरण के मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं उन राज्यों के मामले में लाइनमैन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय की व्यवस्था अनुदान वित्तीय सहायता के माध्यम से की जाती है। निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों (1976-1979) के दौरान विभिन्न राज्यों को (1) ऋण तथा (2) वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृति/संवितरित की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (1976-1979) के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युतीकरण हुए गावों की संख्या संलग्न विवरण-दो में दिखाई गई है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के पांच वर्ष तक की अवधि में सोपानवद्ध रूप में पूरा करने के लिए बनाई जाती है तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम, विशिष्ट स्कीमों के निर्माण के सोपानवद्ध कार्य-क्रम के अनुसार किस्तों में वित्तीय सहायता संवितरित करता है। स्कीम में परिकल्पित सोपान के अनुसार जो राशि निकाली नहीं जातीं वह समाप्त नहीं होने दी जाती अपितु स्कीम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के आधार पर उसे अगले वर्ष निकाला जा सकता है। यहां तक कि संवितरित की गई किन्तु निर्धारित समय सूची के अनुसार उपयोग में न लाई गई राशि को अगले वर्ष में खर्च करने दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों (1976-79) के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसमें निगम द्वारा स्वीकृति संवितरित की गई वित्तीय सहायता रद्द हुई मान ली गई हो अथवा खर्च न की गई राशि के रूप में उसे निगम को लौटाने के लिए कहा गया हो।

(घ) और (ङ) जो कुछ ऊपर कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

विवरण—एक

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता बताने वाला विवरण।

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	स्वीकृत वित्तीय सहायता						संवितरित वित्तीय सहायता					
		1976-77		1977-78		1978-79		1976-77		1977-78		1978-79	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनु०	ऋण	अनु०	ऋण	अनु०
1.	आन्ध्र प्रदेश	815		1067		1512		731		873		1077	
2.	असम	651		372	4	323		252		243	4	360	
3.	बिहार	731	3	879	1	1613		936	1	878	1	1434	1
4.	गुजरात	289		822		1366		340		503		708	
5.	हरियाणा	193		562		502		170		371		433	
6.	हिमाचल प्रदेश	233		338		482		151		213		299	
7.	जम्मू और कश्मीर	227		417	1	256		364		309	1	283	
8.	कर्नाटक	282		391		762		331		296		477	

9.	केरल	88	289	172	86	171	69
10.	मध्य प्रदेश	1131	2417 1	2858	1211	1689 1	1967
11.	महाराष्ट्र	1013	1051	2336	386	901	1321
12.	मणिपुर	—	—	288	—	17	67
13.	मेघालय	214 4	239	226	119 2	190 2	263
14.	नागालैंड	71	—	100	48	68	68
15.	उड़ीसा	619	663 1	2147	707	716 1	1429
16.	पंजाब	411	751	1288	449	509	728
17.	राजस्थान	986	1432 1	1321	811	1144 1	1132
18.	तमिलनाडु	140	751	1478	243	542	742
19.	त्रिपुरा	212	40	97	63	80	109
20.	उत्तर प्रदेश	1159	997	1981 1	699	697	1408 1
21.	पश्चिमी बंगाल	921	925	1913	624	679	1120
	जोड़	10386 7	14306 9	22951 1	8721 3	11089 11	15494 2

विवरण—दो

ग्राम विद्युतीयकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीयकरण स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	विद्युतीकृत गाँव		
		1976-77 सं०	1977-78 सं०	1978-79 सं०
1.	आन्ध्र प्रदेश	897	666	640
2.	असम	162	151	741
3.	बिहार	1753	535	346
4.	गुजरात	442	421	406
5.	हरियाणा	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	452	400	545
7.	जम्मू और कश्मीर	627	725	352
8.	कर्नाटक	251	349	407
9.	केरल	17	8	21
10.	मध्य प्रदेश	1154	1525	1175
11.	महाराष्ट्र	442	488	700
12.	मणिपुर	—	—	—

13.	मेघालय	71	56	75
14.	नागालैंड	21	23	28
15.	उड़ीसा	1409	1100	616
16.	पंजाब	1343	—	—
17.	राजस्थान	1175	1200	1259
18,	तमिलनाडु	1	—	—
19.	त्रिपुरा	57	120	155
20.	उत्तर प्रदेश	957	1759	700
21.	पश्चिम बंगाल	1047	674	597
	जोड़	12268	10200	8763

आकाशवाणी के कार्यक्रमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाएं

39. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और **प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी भाषाओं और बोलियों की संख्या कितनी है जिनमें आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक स्टेशन से प्रत्येक भाषा और बोली में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की अवधि कितनी है;

(ग) क्या कार्यक्रमों में प्रयोग हेतु और अधिक बोलियों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी भाषाओं की संख्या और नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 15 भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा,आकाशवाणी केंद्र 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करते रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग)और (घ) और बोलियों, भाषाओं को शामिल करने का प्रश्न किसी बोली-भाषा की आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धि और अतिरिक्त प्रेषणों के बारे में तकनीकी सीमाओं पर निर्भर करेगा।

विवरण

आकाशवाणी के केंद्रों से प्रसारित मुख्य भाषाओं-बोलियों के बारे में अवधि निम्नानुसार है :—

(1) केन्द्र की मुख्य भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल)

सिंगल चैनल वाले केन्द्रों के मामले में अवधि प्रतिदिन 180 और 465 मिनट के बीच भिन्न-भिन्न होती हैं तथा बहु चैनल वाले केन्द्रों के बारे में प्रतिदिन 20 घंटे तक होती है ।

(2) गैर-जनजाति बोलियों के समाचार, वार्ताएं आदि :
अवधि प्रतिदिन 20 और 60 मिनट के बीच भिन्न-भिन्न होती हैं ।

(3) जनजाति बोलियाँ :

अवधि प्रतिदिन 15 और 45 मिनट के बीच भिन्न-भिन्न होती है । यदि केन्द्र की मुख्य भाषा जनजाति बोली हो तो अवधि प्रतिदिन 65 मिनट तक पहुंच जाती है ।

(4) जिन बोलियों में केवल संगीत प्रसारित होता है, उनके बारे में कोई निश्चित अवधि नहीं है ।

वर्ष 1979-80 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

41. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1979-80 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य क्या था ; और

(ख) क्या इसे पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है । यदि नहीं तो यह कितना कम है ?

ऊर्जा सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1979-80 में कोयले का उत्पादन 118 मि० टन होने का अनुमान था ।

(ख) उत्पादन की वर्तमान प्रवत्ति से यह संकेत मिलता है कि इस वर्ष 104.3 मि० टन उत्पादन हो जाएगा ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

42. **श्री रामबिलास पासवान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में क्रमशः कुल कितने न्यायाधीश हैं।

(ख) विभिन्न स्तरों के इन न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कुल

कितने न्यायाधीश हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तारीख 24.1.1979 को उच्चतम न्यायालय में 16 न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों में 355 न्यायाधीश थे।

(ख) उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नहीं है। विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तारीख 19.4.79 को अनुसूचित जाति के 5 न्यायाधीस थे, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कलकत्ता और कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक-एक और मद्रास उच्च न्यायालय में दो। किसी भी उच्च न्यायालय में अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नहीं था।

(ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के उपबन्धों के अनुसार की जाती है और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में कोई उपबंध नहीं है।

निपटाये जाने वाले नदी जल विवाद

43. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी कितने नदी जल संबंधी विवरणों का निपटारा किया जाना है; और

(ख) उनको निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जो मुख्य नदी जल विवाद अनिर्णीत पड़े हैं वे गोदावरी, कावेरी और यमुना बेसिनों के जल के उपयोग और विकास से सम्बन्धित हैं।

गोदावरी बेसिन : गोदावरी के मामले में पक्षकार राज्यों ने जल के वितरण के लिए समय पर कई समझौते किए हैं। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गठित गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 27 नवम्बर, 1979 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आदेश दिया है कि पक्षकार राज्यों द्वारा समझौते का पालन और क्रियान्वयन किया जाए। उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पक्षकार राज्य और केंद्रीय सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के अन्दर व्याख्याएं, स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन मांग सकते हैं। इस प्रकार की व्याख्यायें स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन दिए जाने के बाद न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर दिए जाने पर अंतिम हो जाता है। स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगने की

तीन महीने अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है ।

कावेरी बेसिन : कावेरी के जल के उपयोग और विकास के बारे में सम्बंधित राज्यों, अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मध्य अगस्त, 1976 में एक समझौता हुआ था। इसके बाद अगस्त, 1976 में हुए समझौते का अनुसमर्थन कराने के उद्देश्य से तत्कालीन केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर 1978 में तीन बैठकें आयोजित की थीं ताकि समझौते की और बिलम्ब से कार्यान्वित किया जा सके। विचार विमर्श के दौरान यह देखा गया कि किसी सन्तोषजनक समझौते पर पहुंचने के लिए कोई सम्मत आधार नहीं है। तमिलनाडु ने इस समझौते का इस आधार पर विरोध किया कि यह समझौता उस समय किया गया था जब राज्य में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं थी तथा यह इच्छा प्रकट की कि उसका आयाकर मैत्तूर से कुछ निश्चित मात्रा में जल छोड़े जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करके पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए न कि उसके अपने वर्तमान उपयोग से निश्चित मात्रा में बचत करके। तथापि, हाल ही में तमिलनाडु ने फिर से बातचीत करने का प्रस्ताव किया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

यमुना बेसिन : सम्बन्धित राज्यों के साथ परामर्श करके यमुना के जल की उपलब्धता और उपयोग के बारे में विस्तृत अध्ययन किए गए हैं और इस विषय में उनके साथ और आगे विचार विमर्श हो रहा है ।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के अनुसार हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि व्यास परियोजना से उपलब्ध होने वाले जल को उत्तराधिकारी राज्यों में बांट दिया जाए। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने 24 मार्च, 1976 को एक आदेश दिया जिसके द्वारा हरियाणा को 3·5 मिलियन एकड़ फुट जल का आवंटन किया गया । पंजाब ने इस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और उसकी वैधता को चुनौती देते हुए एक मुकदमा उच्चतम न्यायालय में दायर किया है। हरियाणा सरकार ने भी मार्च, 1976 के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है ।

देश में सुपर ताप बिजली घर

44. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या उर्जा और सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन सुपर ताप बिजली घरों की संख्या कितनी है, और

(ख) वे किस चरण में हैं ?

उर्जा और सिचाई और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चोधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निर्माणाधीन पिट हेडों पर स्थित बड़ी साइज की ताप विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

	परियोजना का नाम	यथा अनुमोदित प्रतिष्ठापित क्षमता	चरम क्षमता
(1)	सिंगरौली	2000 मेगावाट	2000 मेगावाट
(2)	कोरबा	1100 मेगावाट	2100 मेगावाट
(3)	रामागुण्डम	1100 मेगावाट	2100 मेगावाट
(4)	फरक्का	600 मेगावाट	1000-1100 मेगावाट

इन परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति नीचे दी गई है :—

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना

अधिकांश अवसंरचनात्मक कार्य, जिनमें स्थल को समतल करने का कार्य भी शामिल हैं, पूरा हो गया है। सभी बड़े सिविल कार्य जिनमें जल शीतलन प्रणाली तथा कोयले के परिवहन के लिए मेरी-गो-राऊंड प्रणाली सम्बन्धी कार्य शामिल हैं, निर्माणाधीन है। मुख्य बिजलीघर की संरचनाओं के निर्माण तथा उत्थापन का कार्य तथा अन्य ठेकों के सिविल कार्य प्रगति पर हैं। 200 मेगावाट वाली युनिटों के लिए टर्बाइन जेनरेटर और बायलर के सप्लाई तथा उत्थापन के लिए मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० को ठेका दिया गया था। बायला के उत्थापन का कार्य नवम्बर, 1979 में आरम्भ किया गया था। आवास के स्थाई क्वाटरों तथा टाउनशिप सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है। 200 मेगावाट की पहली यूनिट को 1981-82 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना

स्थल को समतल करने का कार्य पूरा हो गया है। पायलिंग नोर्वो स्टोल संरचनात्मक गढ़ाई और उत्थापन के कार्य साथ में ले लिए गए हैं। सड़कों, कार्यालय के स्थान, स्टोरेज यार्डो अस्थाई आवास गृहों का निर्माण कार्य बिजली और जल आपूर्ति सम्बन्धी कार्य जैसी अवसंरचनात्मक विकास गतिविधियां प्रगति पर है। 200 मेगावाट की यूनिट के लिए टर्बाइन जेनरेटरों और बायलरों तथा सम्बद्ध उपस्करों की सप्लाई तथा उत्थापन का ठेका मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स लि० को दे दिया गया है। 200 मेगावाट की पहली यूनिट को 1981-82 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

रामागुन्डम सुपर ताप परियोजना

मुख्य संयत्र तथा अस्थायी बस्ती के क्षत्रों के लिए अधिकाश भाग का कब्जा ले लिया गया है। मुख्य संयत्र और टाऊनशिप के क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य तथा मिट्टी परीक्षण के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अवसंरचनात्मक विकास सम्बंधी कार्य चल रहे हैं। स्थल को समतल करने तथा ग्रैडिंग करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है, संयंत्र और उपस्कर के लिए निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं। 200 मेगावाट की पहली यूनिट को 1983-84 में चालू करने का कार्यक्रम है।

फरक्का ताप बिद्युत परियोजना

इस परियोजना के 600 मेगावाट के प्रथम चरण का अनुमोदन सरकार ने मार्च, 1979 में किया था। संयंत्र के क्षेत्रों में भूमि के अधिकांश हिस्से पर कब्जा ले लिया गया है। एक केन्द्र स्थल संगठन स्थापित किया है तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कारवाई आरम्भ कर दी गई है, आधारभूत इंजीनियरी के बारे में अध्ययन कार्य हाथ में लिया गया है तथा प्राप्ति के लिए कारवाई आरम्भ कर दी गई है। 200 मेगावाट की पहली यूनिट परियोजना के मुख्य संयंत्र व उपस्कर का ठेका दे दिए जाने के बाद 48 महीनों के अन्दर चालू कर दी जाएगी।

जिला केन्द्रों में आकाशवाणी के संवाददाता

45. **श्री पी० राज गोपाल नायडू :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सभी जिला केन्द्रों में आकाशवाणी के संवाददाता होते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालयों में आकाशवाणी के संवाददाता नहीं हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उन जिलों जिनके मुख्यालयों में आकाशवाणी का कोई संवाददाता नहीं है, की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

विवरण

उन जिलों की सूची जिनके मुख्यालयों में आकाशवाणी का कोई संवाददाता नहीं हैं।

क्रम सं०	राज्य	क्रम सं०	जिले का नाम	कैफियत
1.	आंध्र प्रदेश	1.	आदिलाबाद	
		2.	अनन्तपुर	
		3.	खम्माम	
		4.	महबूबनगर	
		5.	मेडक	
		6.	नालगोंडा	
		7.	प्रकाशम	
		8.	वारंगल	
		9.	वेस्ट गोदावरी	
		10.	के० वी० रंगारेड्डी	
2.	बिहार	11.	सहरसा	पद खाली
		12.	संथाल परगना	तथैव

		13.	भोजपुर	तथैव
		14.	गिरिडीह	तथैव
3.	गुजरात	15.	अमरेली	
		16.	भावनगर	
		17.	गांधीनगर	
		18.	जामनगर	
		19.	खेड़ा	
		20.	मेहसाना	
		21.	पंचमहलस	
		22.	साबरकंठा	
		23.	सुरेन्द्र नगर	
		24.	वल्साड़	
4.	हरियाणा	25.	फरीदाबाद	
5.	हिमाचल प्रदेश	26.	बिलासपुर	पद खाली
		27.	किन्नौर	
		28.	लाहौल स्पिति	
6.	जम्मू व काश्मीर	29.	कठुआ	पद खाली
		30.	पूंछ	तथैव
		31.	राजौरी	तथैव
		32.	उधमपुर	तथैव
		33.	मीरपुर	
		34.	मुजफ्फराबाद	(ये चार जिले (क्रम संख्या 33 से 36 तक) पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है ।
		35.	गिलगित एजेंसी	
		36.	हुंसा	
7.	कर्नाटक	37.	बिदर	
		38.	चिकमगलूर	
		39.	चित्रदुर्गा	
		40.	कूर्ग	
		41.	हस्सन	
		42.	कोलार	
		43.	माण्ड्या	
		44.	उत्तरी कनारा	
		45.	रायचूर	
		46.	टुमकुर	

8.	केरल	47.	एर्नाकुलम	पद खाली
		48.	इडुक्की	
9.	मध्य प्रदेश	49.	बालाघाट	
		50.	बेतूल	
		51.	भिण्ड	
		52.	छिंदवाड़ा	
		53.	दमोह	
		54.	दतिया	
		55.	देवास	
		56.	धार	
		57.	पूर्वी निमार	
		58.	गुना	
		59.	होशंगाबाद	
		60.	मंदसौर	
		61.	मांडला	
		62.	नरसिंहपुर	
		63.	पन्ना	
		64.	रायसीन	
		65.	राजगढ़	
		66.	रतलाम	
		67.	सतना	
		68.	सेहोर	
		69.	सिवनी	
		70.	शहडोल	
		71.	शाजापुर	
		72.	शिवपुरी	
		73.	सीधी	
		74.	टीकमगढ़	
		75.	विदिशा	
		76.	पश्चिम निमार	
		77.	राजनंदगांव	
10.	महाराष्ट्र	78.	अकोला	
		79.	भण्डारा	
		80.	भिड़	
		81.	चन्द्रपुर	

		82.	धुलिया	
		83.	कोलाबा	
		84.	कोल्हापुर	
		85.	नांदेड़	
		86.	ग्रोसमानाबाद	
		87.	थाना	
		88.	वर्धा	
11.	मणिपुर	89.	टेंगनौपाल	
12.	मेघालय	90.	पश्चिम खासी हिल्स	
13.	नागालैंड	91.	मोकोकचंग	पद खाली
		92.	मोन	
		93.	फेक	
		94.	ट्यूनसांग	
		95.	वोखा	
		96.	जोंहेबोटो	
14.	राजस्थान	97.	ग्रलवर	पद खाली
		98.	भरतपुर	
		99.	भीलवाड़ा	
		100.	बूंदी	
		101.	चित्तौड़गढ़	
		102.	चूरू	
		103.	डूंगरपुर	
		104.	जालोर	
		105.	झालावाड़	
		106.	झुनझुनु	
		107.	पाली	
		108.	सवाई माधोपुर	
		109.	सीकर	
		110.	सिरोही	
		111.	टोंक	
15.	सिक्किम	112.	उत्तर	
		113.	दक्षिण	
		114.	पश्चिम	
16.	तमिलनाडु	115.	धर्मपुरी	
		116.	रामनाथपुरम	

		117.	दक्षिण अर्काट	
		118.	पुड्डुक्कोट्टै	
17.	त्रिपुरा	119.	उत्तरी त्रिपुरा	पद खाली
18.	उत्तर प्रदेश	120.	अल्मोड़ा	पद खाली
		121.	आजमगढ़	
		122.	बहराइच	
		123.	बलिया	
		124.	बाराबंकी	
		125.	बस्ती	
		126.	बदायूं	
		127.	बुलंदशहर	
		128.	चमौली	
		129.	देवरिया	
		130.	एटा	
		131.	इटावा	
		132.	फतेहपुर	
		133.	गाजीपुर	
		134.	गाजियाबाद	
		135.	गोंडा	
		136.	हमीरपुर	
		137.	जालौन	
		138.	जौनपुर	
		139.	ललितपुर	
		140.	खेरी	
		141.	मैनपुरी	
		142.	मुरादाबाद	
		143.	मुजफ्फरनगर	
		144.	पीलीभीत	
		145.	पिठौरागढ़	
		146.	रामपुर	
		147.	शाहजहांपुर	
		148.	सीतापुर	
		149.	सुल्तानपुर	
		150.	उन्नाव	
		151.	उत्तरकाशी	पद खाली

19.	पश्चिम बंगाल	152.	24 परगना	पद खाली
20.	अरुणाचल प्रदेश	153.	कामेंग	तथैव
		154.	लोहित	तथैव
		155.	सियांग	तथैव
		156.	सुबांसिरी	तथैव
		157.	तिरप	तथैव
21.	गोवा, दमन	158.	दमन	
	और दीव	159.	दीव	
22.	पाण्डिचेरी	160.	कराईकल	पद खाली
		161.	माहे	
		162.	यनम	

मण्डी गोविन्दगढ़ में स्टील यार्ड के श्रमिकों की शिकायतें

46. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डी गोविन्दगढ़, पंजाब में लघु उद्योग निगम के प्रबन्धाधीन स्टील यार्ड में काम कर रहे श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त हुए अभ्यावेदन मूल सुविधाओं की व्यवस्था तथा ठेके की बजाए सीधे नौकरी दिए जाने के बारे में थे। चूंकि मण्डी गोविन्दगढ़ यार्ड को पंजाब सरकार का एक उपक्रम नामत: पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम, चंडीगढ़, सेल के लिए चला रहा है, इसलिए इन अभ्यावेदनों पर पंजाब सरकार से लिखा-पढ़ी की गई थी। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि कामगारों को सभी मूल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन इस बात को देखते हुए कि यह कार्य निरन्तर चलने वाला नहीं है, उन्होंने सीधे नौकरी दिए जाने की मांग स्वीकार नहीं की है।

देश में बिजली की कमी

47. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली की कमी निरन्तर बनी हुई है जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ी क्षति पहुंच रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बिजली-उत्पादन के लिए व्यापक कार्यक्रम आरंभ करने

का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं और कौन से उपाय करने का विचार है?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) देश के कुछ भागों में विद्युत की कमी है।

(ख) और (ग) विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं: देश के कुछ भागों में मानसून न आने के परिणामस्वरूप जल-विद्युत की कम उपलब्धता, सूखा पड़ने के कारण कृषि सम्बन्धी मांग में वृद्धि होना, चालू की गई नई यूनिटों को सुस्थिर होने में देरी लगने के कारण ताप विद्युत केन्द्रों से आशा से कम विद्युत उत्पादन होना, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ केन्द्रों में कोयला पर्याप्त न होना तथा पूर्वी क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों की जबरन बंदी की दर अधिक होना।

मौजूदा प्रतिष्ठानों से विद्युत उत्पादन अधिकतम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों को अनुदेश दे दिए गए हैं तथा राज्य बिजली बोर्डों की अपने वर्तमान प्रतिष्ठानों से विद्युत उत्पादन अधिकतम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अमल में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 1978-83 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में पर्याप्त अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके चालू हो जाने से विद्युत सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। वर्ष 1978-79 के दौरान 3000 मेगावाट क्षमता चालू की जा चुकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि प्रत्याशित ताप विद्युत उत्पादन कायम रखने के लिए अपेक्षित कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और ताप विद्युत केन्द्रों को उसकी ढुलाई हो।

कोयले की सप्लाई

*48. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि चालू वित्तीय वर्ष की तिमाही अक्तूबर-दिसम्बर, 1978 में कोयले के उत्पादन में सुधार हुआ है तथापि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को इसकी सप्लाई में सुधार नहीं हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या वर्ष 1979-80 के लिए इसके लक्ष्य पूरे करना सम्भव होगा;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सप्लाई की स्थिति में सुधार के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां चालू वित्तीय वर्ष की अक्टूबर-दिसम्बर की तिमाही में पिछली तिमाही से अधिक उत्पादन हुआ है। बिजली, इस्पात तथा रेलवे जैसे अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को कोयले की औसत मासिक सप्लाई में भी अप्रैल-सितम्बर, 1979 की तुलना में अक्टूबर-दिसम्बर, 1979 की अवधि में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में उत्पादन कम होने की सम्भावना है।

(घ) कोयले के उत्पादन पर, कोयला उत्पादक क्षेत्र में खासतौर से बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में--बिजली की भारी कमी की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी तथा विस्फोटक पदार्थों और डीजल जैसे उत्पादन-उपादानों की कमी की वजह से भी इन क्षेत्रों में उत्पादन में भारी कमी हुई।

(ङ) दामोदर घाटी निगम बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई करने वाली मुख्य संस्था है और यहां बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन कोयला क्षेत्रों में कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। विस्फोटक पदार्थों की की देश में उपलब्धि में हुई कमी को पूरा करने की दृष्टि से उनका आयात करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों से सम्पर्क किया गया है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने हेतु आवश्यक उपायों में समन्वय और निगरानी रखने के लिए गृह मंत्रालय में एक सेल स्थापित किया गया है। यह उपाय किए जाने के फलस्वरूप हाल ही के सप्ताहों में उत्पादन दर में कुछ वृद्धि हुई है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये स्वायत्तता

49. **श्री चित्त बसु** :)
श्री मधु दण्डवते :) : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता के प्रश्न पर नये सिरे से दृष्टिपात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता के प्रश्न की एक कार्य दल द्वारा जांच की गई थी। उसके आधार पर एक विधेयक छठी लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक सदन के भंग हो जाने से व्यपगत हो गया है। सरकार का मामले में नए सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की शेष समस्याएं

50 **श्री चित्त बसु :** क्या पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास सम्बन्धी शेष समस्याओं का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उस मूल्यांकन के मामले में पश्चिम बंगाल और शिपुरा सरकार का सहयोग लिया गया था; और

(घ) मूल्यांकन के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वंसत साठे) : (क) पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास संबंधी अवशिष्ट समस्याओं का मूल्यांकन सरकार द्वारा जुलाई, 1975 में गठित एक कार्यकारी दल के माध्यम से कराया गया था।

त्रिपुरा में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों को वहुत पहले बसा दिया गया था और वे राज्य की सामान्य जनसंख्या की मुख्य धारा में घुल-मिल गए थे। अतः वहां इस प्रकार के किसी मूल्यांकन का अवसर अथवा आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

(ख) पश्चिम वंगाल के संबन्ध में कार्यकारी दल द्वारा किए गए मूल्यांकन के पूर्ण तथ्य दल की रिपोर्ट में उपलब्ध है जिसकी प्रति जुलाई, 1976 में संसद के पुस्तकालय में रख दी गई थी।

(ग) कार्यकारी दल में पश्चिम वंगाल सरकार को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(घ) जहां तक पश्चिम वंगाल का सम्बन्ध है। कुल मिलाकर कार्यकारी दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और सुसंगत योजनाएं कार्यान्वियन के अधीन हैं।

वर्ष 1978 और 1979 के दौरान देश में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाएं

* 51. **श्री एल० भट्टाचार्य :** क्या ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 19-8 और 1979 के दौरान देश में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या क्या थी और उनके क्या कारण थे;

(ख) क्या अनेक दुर्घटनाएं खराब इमारती लकड़ी की सप्लाई के कारण हुई हैं; और

(ग) क्या खराब किस्म कि इमारती लकड़ी की सप्लाई को स्वीकार करने में ठेकेदारों के

साथ अधिकारियों की साठ-गांठ के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ० बी ० ए ० गनी खान चौधरी) :(क) वर्ष 1978 और 1979 में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या और उनके कारण नीचे दिये गए हैं :—

कारण	घातक		गंभीर	
	1978	1979	1978	1979
छत गिरना	64	48	198	140
दीवाल गिरना	12	11	149	145
रस्सा ढुलाई	26	23	403	369
अन्य मशीनें	28	28	259	211
विस्फोटक पदार्थ	7	9	38	34
बिजली	3	7	12	16
धूल, गैस और अन्य दहनशील सामग्री	1	—	—	—
व्यक्तियों का गिरना	6	10	303	315
वस्तुओं का गिरना	7	4	319	345
पानी फूट निकलना	3	1	—	—
अन्य	5	1	221	289
दुर्घटनाओं की कुल संख्या	162	142	1902	1864

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काम चलाऊ सरकार द्वारा जन संचार के माध्यमों का कथित दुरुपयोग

52. **श्री के० लकप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि काम चलाऊ सरकार ने गत छह महीनों के दौरान राजनीतिक उद्देश्य से जन संचार के माध्यमों का दुरुपयोग किया; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार का विचार इस मामले पर विचार करने और देखने का है कि 'जन संचार के माध्यमों के प्रयोग को लोक कल्याण के हित में व्यवस्थित किया जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) : जी, हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिकायतों की जांच की जा रही है और उसके बाद यथा आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

मैसर्स पावर टूल एण्ड एपलिएन्स कम्पनी कलकत्ता के कार्यों की जांच

53. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पावर टूल एण्ड ऐपलिएन्स कम्पनी लि०, कलकत्ता के कार्यों की उनके द्वारा किए गए कुछ गोलमाल के सम्बन्ध में जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी। कम्पनी की लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया है।

(ख) तथा (ग) निरीक्षण रिपोर्ट से कुछ अनियमितताओं और कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के कुछ उल्लंघन प्रकट हुए हैं। इस रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है और जो भी आवश्यक कार्यवाही समझी जाती है, की जायेगी।

मैसर्स इन्सीव आटो लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच

54. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स इन्सीव आटो लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कम्पनी अधिनियम के किसी उल्लंघन के बारे में जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत कम्पनी के कार्य-कलापों के निरीक्षण तथा परवर्ती धारा 237 (ख) अन्तर्गत की गई जांच से अधिनियम की धारा 76 (5), 81, 314, 292, 295 तथा धारा 209 के उल्लंघन प्रकाश में आये हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) में निर्दिष्ट, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघनों के लिए, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल द्वारा मुकदमे चलाये गए हैं। मुकदमों के अलावा, कम्पनी विधि बोर्ड ने निम्नांकित कार्यवाही भी की है :—

(1) जांच रिपोर्ट की एक प्रति पश्चिमी बंगाल सरकार को भारतीय दंड सहिता के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है।

(2) कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता को अधिनियम की धारा 433/439 के अन्तर्गत कम्पनी का परिसमापन करने के लिए, आवश्यक कार्यवाही करने के अनुदेश दिये गये हैं।

(3) पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम के उल्लंघनों की सूचना, पूंजी निर्गमन के नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये दी गई है।

कोल माइन्स अथोरिटी लिमिटेड कर्मचरियों से अभ्यावेदन

* 55. **श्री समर मुखर्जी :** क्या उर्जा, **सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवम्बर, 1979 में कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) कोयला खान प्राधिकरण लि० कर्मचारी यूनियन ने अपने अभिवेदन में उन विकल्प स्वीकार न करने वाले (नॉन आप्टी) कर्मचारियों की समस्याओं को उठाया है जो कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के कलकत्ता स्थिति कार्यालयों में काम कर रहे हैं। उनकी मागों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(i) स्टाफ तथा उप-स्टाफ के वेतनमानों में संशोधन;

(ii) महंगाई भत्ता, बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की वर्तमान स्कीम के अनुसार दिया जाए;

(iii) पश्चिम बंगाल मकान किराया भत्ता अधिनियम, 1974 के अनुसार मजदूरी पर 3·5 प्रतिशत का मकान किराया भत्ता,

(iv) विकल्प स्वीकार न करने वाले (नॉन आप्टी) प्रत्येक कर्मचारी को, जब वह छुट्टी पर न जाए तो, 300,00 रु० वार्षिक छुट्टी भत्ता दिया जाए।

(v) वार्धक्य सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो

(ग) कोल इण्डिया लि० को परामर्श दिया गया है कि वह अभिवेदन में उठाये गए मुद्दों पर यूनियन से विचार विमर्श करे तथा इस मामले का निपटारा शीघ्र करे ।

बोनस की मंजूरी के बारे में नांगल भाखड़ा कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन

56 **श्री समर मुखर्जी** : क्या ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंचाई विंग के कर्मचारियों को बोनस की मंजूरी के बारे में नांगल भाखड़ा कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह विवाद श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए भेजा जा रहा है ।

इस्पात का उत्पादन

57. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विगत कुछ वर्षों में इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। वर्ष 1977-78 और 1978-79 तथा चालू वर्ष में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का इस्पात का उत्पादन वर्ष 1976-77 के उत्पादन से कम रहा है।

(ख) इस अवधि में इस्पात के उत्पादन पर दो मुख्य कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जैसे बिजली की सप्लाई में कमी और उस पर अक्सर लगे प्रतिबन्धों/घट-बढ़ और मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से कोयले की अपर्याप्त सप्लाई ।

सितम्बर, 1978 में पश्चिमी बंगाल में अभूतपूर्व वर्षा हुई तथा बाढ़ आई जिसके परिणामस्वरूप कोयले के क्षेत्रों तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों में बाढ़ आ गई और रेल यातायात पर पड़े

प्रतिकूल प्रभाव और बाढ़ के बाद के प्रभावों के कारण वर्ष 1978-79 में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा ।

(ग) बिजली तथा बढ़िया किस्म के कोयले की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम, राज्य बिजली बोर्डों, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे से निकट तथा सतत सम्पर्क रखा जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए की स्थिति में सुधार पाने के लेए अत्यधिक प्रभावी समन्वित ढंग से आवश्यक उपाय किये जाएं, अंतरमंत्रालय/अंतर-विभागीय समितियों द्वारा विभिन्न स्थान पर बिजली और कोयले की स्थिति के बारे में नियमित निगरानी की जा रही है। कोयला विभाग तथा कोल इण्डिया लिमिटेड कोयले की खानों के काम को युक्तिसंगत बनाकर, खनन तकनीक में सुधार करके, खानों का यंत्रीकरण करके और हेण्डलिंग तथा शोधन सुविधाओं में सुधार करने जैसे कई उपाय करके इस्पात कारखानों को सप्लाई करने के लिए कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली की कमी के कारण कोककर कोयले आदि की सप्लाई में कठिनाई आई है। दस लाख टन कम राख वाला कोयला आयात करने के लिए दिए गए आर्डर में से जनवरी, 1979 से सप्लाई आनी आरम्भ हो गयी है।.इससे भिलाई और राउरकेला में कोयले के स्टाक में जो बहुत कम रह गयी थी, वृद्धि करने में बहुत मदद मिली है। बिजली की कमी दूर करने के लिए दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात कारखानों की रक्षित बिजली की क्षमता को 300 मेगावाट तक बढ़ाने की योजनाओं को स्वीकृत प्रदान कर दी गई है और इन्हें तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश की ऊर्जा और सिंचाई योजनाओं का नाम

58 **श्री एन० के० शेजवालकर : क्या ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन ऊर्जा और सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं जो इस समय विचाराधीन हैं; और

(ख) उनमें से वे योजनाएं कौन-कौन सी हैं जिन्हें मार्च, 1980 तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई विद्युत उत्पादन और सिंचाई स्कीमों के नाम और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 130/80]

नीचे लिखी सिंचाई स्कीमों का अनुमोदन तकनीकी सलाहकार समित ने कर दिया है और इनके लिए योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है :

बृहत

1. हसदेव बोंगो परियोजना

2. हलाली परियोजना

3. राजघाट बांध परियोजना

मध्यम

1. बनकी टैंक परियोजना
2. गोमुख टैंक परियोजना
3. चंडोरा टैंक परियोजना
4. बुन्डाला टैंक परियोजना

कोयले की कमी के कारण मिलों तथा कारखानों का बंद होना

*59. श्री एन० के० शेजवालकर : क्या ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण कितने मिल तथा कारखानों को बन्द कर देना पड़ा था और इसके फ़लस्वरूप कितने जनदिवसों की हानि हुई।

(ख) उपरोक्त मिलों को समय पर उचित मात्रा में कोयले की सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) और (ख): कुछ औद्योगिक इकाइयों से कोयले के स्टाक में गंभीर कमी होने की रिपोर्टें तो मिली हैं किन्तु सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि केवल कोयले के अभाव के कारण ही कोई इकाई पूरी तरह बन्द हो गई ।

(ग) खान मुहानों पर कोयले का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और वहां से उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक कोयला भेजने की दृष्टि से रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है। यदि आवश्यक होता है तो सड़क से ले जाने के लिए भी कोयला दे दिया जाता है ।

केरल राज्य में साइलेंट वैली जल-विद्युत परियोजना

60 श्री जी० एम० बनातवाला : क्या ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रोक आदेश को रदद किये जाने की बात को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार केरल की साइलेंट वेली जल-विद्युत परियोजना पर, जिसमें बनों को काटना पड़ता है, फिर से विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) संसार में साइलेंट वैली बन ही एक मात्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा बन बचा है । इसके नष्ट हो

जाने के संबंध में संसार भर के पर्यावरण-विशेषयज्ञों और परिस्थिति-विज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई आशांकाओं को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार को अनुरोध किया गया है कि जब तक इस मामले पर राज्य सरकार से विचार विमर्श हो नहीं जाता तब तक आगे का कार्य रोक दिया जाए।

कोयला की कीमत में वृद्धि

61. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान कोयले की कीमत में दो गुणा से अधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो लोक हित में कोयले की कीमत में कमी लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं। कोयले के उत्पादन की लागत पिछले वर्ष दो गुनी नहीं हो गई है औसत खान मुहाना कीमत उत्पाद लागत के अनुसार रहती है और सरकार के अनुमोदन के अनुसार 16 जुलाई, 1979 से यह कीमत रु० 64-71 पैसे से बढ़कर रु० 101.18 पैसे प्रति टन हो गई है। यह वृद्धि मजदूरी और उत्पादन के उपादानों की लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है।

अगले वर्ष के लिए कोयले के अधिक उत्पादन की जो योजना है उसके कारण और पर्याप्त परिवहन सुविधाएं मिल जाने पर आशा है कि उपभोक्ताओं के लिये कोयले की कीमत कम हो जाएगी।

उपज योग्य भूमि तथा अभरक के उत्पादन पर अपर सरकारी जलाशय योजना के प्रभाव

62. **श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या ऊर्जा, और सिंचाई और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर सरकारी जलाशय योजना (हजारी बाग, बिहार) जिस पर कि लगभग 46 करोड़ रु० की लागत आयेगी, के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप 16,000 एकड़ उपज योग्य भूमि जलमग्न हो जाएगी, 60 गांवों में रहने वाले लोग विस्थापित हो जायेंगे और अभरक की खानों में पानी भरने के कारण अभरक के उत्पादन में काफी कमी आ जाएगी;

(ख) क्या इस योजना के पास के गिरिडोह और उत्तरी नागपुर डिवीजन में हजारीबाग के जिलों के लोगों को किसी प्रकार के लाभ होने की अपेक्षा हानि होने की आशा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर हां में हों, तो क्या सरकार का विचार इस व्यर्थ की योजना को समाप्त कर देने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अपर सरकारी परियोजना योजना आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट (1977-78) के अनुसार 16,000 एकड़ (6475 हैक्टेयर) बंजर तथा कृषि योग्य दोनों प्रकार की भूमि जलाशय के 172 9 मीटर के अधिकतम जल-स्तर में जलमग्न हो जाएगी और 60 ग्राम प्रभावित होंगे। इस समय अभ्रक के किसी खान में काम नहीं हो रहा है और न ही इस क्षेत्र में नयी खान के जलमग्न होने की संभावना है।

(ख) गिरिडीह जिले को इस स्कीम से कोई सिंचाई लाभ नहीं मिलेगा। छोटानागपुर डिवीजन के हजारीबाग जिले में इस स्कीम से 4500 एकड़ क्षेत्र (1813 हैक्टेयर) को सिंचाई के लाभ प्राप्त होंगे।

इस परियोजना में 77,226 एकड़ (29817 हैक्टेयर) भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने और 584,85 एकड़ (22581 हैक्टेयर) भूमि में सिंचाई को स्थाई करना परिकल्पित है।

(ग) बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मतदाता सूचियों से नामों का काटा जाना

63. **श्री के० लकप्पा** : क्या विधि, न्याय और कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के गत माध्यावधि निर्वाचन के दौरान विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को अन्तिम मुद्रित सूचियों में से कितने नाम काट दिए गये थे;

(ख) इन नामों के काटे जाने के क्या कारण थे और इसके लिए कौन जिम्मेदार थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या अभिनिश्चित करना संभव नहीं है जिनके नाम लोक सभा के गत मध्यावधि निर्वाचन के दौरान विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम मुद्रित मतदान सूचियों में से काट दिए थे क्योंकि निर्वाचक नामावलियों से नामों के लोप के संबंध में निर्वाचन आयोग में प्राप्त अधिकार में अधिकतर शिकायत साधारण प्रकृति की हैं। इसके अतिरिक्त यह संभव है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मुद्रित मतदाता सूची से काटा गया कोई नाम किसी अन्यनिर्वाचन क्षेत्र की सूची में इस कारण से सम्मिलत कर लिया गया हो कि वह उस निर्वचिन क्षेत्र मैंमामूली तौर पर निवासी हो गया है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलत किया गया है, मर जाता है या उस निर्वाचन क्षेत्र का मामूलीतौर पर निवासी नहीं रह जाता है या किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है (उदाहरणार्थ, भारत का नागरिक नहीं रह जाना, विकृतचित्त होना, भ्रष्ट आचरण से संबंधित विधि

के अधीन मतदान से निरर्हता और निर्वाचनों के संबंध में अन्य अपराध) तो उनका नाम निर्वाचक नामावली से लुप्त किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। अनवधानता या गलती के कारण भी नामों का लोप हो सकता है। जहां निर्वाचक नामावलियों से नामों के लोप की कोई विनिर्दिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां जांच करने के पश्चात् उसके लिए विनिर्दिष्ट कारणों का पता लगाया जा सकता है और उन व्यक्तियों के नाम मालूम किए जा सकते हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। नामों के लोप या नामों के हटाए जाने के लिए कोई साधारण कारण बताना संभव नहीं है।

(ग) निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावलियों में से नामों के लोप को रोकने के उपायों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए 1 फरवरी 1980 को मुख्य निर्वाचन आफिसरों की बैठक बुलाने का विचार कर रहा है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर विपक्ष मे सम्बन्धित समाचारों को सेंसर करना

64. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से वर्तमान सरकार ने कार्य भार संभाला है, विपक्ष सम्बन्धी समाचारों को सेंसर किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर विपक्ष से संबन्धित समाचारों का किस सीमा तक प्रसारण किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों द्वारा अन्य समाचारों की भांति विरोधी दलों और ग्रुपों के कार्य-कलापों और अभिघोषणाओं को समाचारिक महत्व के आधार पर अपने समाचार बुलेटिनों और अन्य कार्यक्रमों में निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और संतुलित ढंग से स्थान दिया जाता है।

आकाशवाणी केन्द्रों पर समाचारों के प्रसारणों के संबन्ध में राजनैतिक दलों से प्राप्त शिकायतें

65. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से कैलेण्डर वर्ष 1979 के दौरान समाचारों के अपर्याप्त प्रसारणों के सम्बन्ध में राजनैतिक नेताओं/दलों से केन्द्रवार कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये;

(ग) क्या समाचार देने में भेदभाव करने, पर्याप्त समाचार प्र काशित न करने अथवा किसी समाचार के प्रसारित न करने के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई और उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी को डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति देने से इन्कार किया जाना

66. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के निर्वाचनों में श्रीमती इन्दिरा गांधी को डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई थी जबकि उन्होंने निर्वाचन आयुक्त से इसके लिए अनुमति मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति न दिए जाने के मुख्य कारण क्या थे ?

(ग) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री को डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 1980 के निर्वाचनों में कितने मामलों में डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति दी गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निर्वाचन आयोग ने बताया है कि हाल ही में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए डाक मतपत्र की सुविधा मांगने वाला कोई पत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ था और आयोग के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस निर्वाचन क्षेत्र के, जिसमें उनका नाम निर्वाचक के रूप में रजिष्ट्रीकृत है, रिटर्निंग आफिसर से डाक मतपत्र की सुविधा के लिए कोई अनुरोध किया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 959 तारीख 18 अप्रैल, 1960 और उस अधिनियम की धारा 60 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 18 के आधार पर कुछ उच्च पदों को धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि मंत्रिमण्डल के मंत्री, राज्य मंत्री आदि डाक मतपत्र की सुविधा प्राप्त

करते हैं। श्री चरण सिंह हाल ही में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में मतदान के समय प्रधान मंत्री का पद धारण करते थे और इसलिए वह उस निर्वाचन में डाक मतपत्र देने के लिए हकदार थे। इस बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है कि क्या उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग डाक द्वारा किया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) उन निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी निर्वाचन आयोग के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है जिन्होंने हाल ही में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में अपने मत डाक द्वारा दिये थे।

जनता पार्टी के लिए बी० बी० सी० के एक अधिकारी द्वारा कार्य करने के बारे में प्रेस रिपोर्ट

67. **श्री के० मालन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस (आई) के कार्यालय ने भारत स्थिति ब्रिटिस उच्चायुक्त को एक विरोध पत्र भेजा था जिसमें जनता पार्टी के चुनाव अभियान में बी० बी० सी० के अधिकारी रत्नाकर भारती के कथित भाग लेने पर आपत्ति की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि विरोध पक्ष में श्री भारती के इस कार्य की देश के आन्तरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का बी० बी० सी० माध्यम से सीधे हस्तक्षेप कहा गया है जो कोई स्वतन्त्र देश बर्दास्त नहीं कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है अथवा इस सम्बन्ध में सरकार का विचार कुछ निर्देश जारी करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह रिपोर्ट की गई है कि रत्नाकर भारती बी० बी० सी० के उद्घोषक हैं। श्री भारती मध्य प्रदेश के हैं और वे छुट्टी पर अपने घर आये थे। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पढ़ने पर विदेश मंत्रालय ने तत्काल दिल्ली स्थिति बी० बी० सी० ब्यूरो चीफ से सम्पर्क कर उनसे पूछा कि क्या श्री भारती वास्तव में बी० बी० सी० के कर्मचारी हैं। उन्होंने तत्काल लन्दन में अपने मुख्यालय से सम्पर्क कर विदेश मंत्रालय को यह सूचना दी कि श्री भारती बी० बी० सी० में किसी तरह के अनुबन्ध पर काम करते हैं और यह कि उनको एक उपयुक्त संदेश दे दिया गया है जिसमें उनसे यह कहा गया है कि यदि वे भारत के चुनाव अभियान में भाग लेना चाहते हैं तो उनको बी० बी० सी० से अपने आपको असहयोजित कर लेना चाहिए।

1980 के निर्वाचनों में निर्वाचन व्यय की सीमा

68. **श्री के० मालन्ना**
श्री छीतूभाई गामित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने वर्ष 1980 के लोक सभा के लिये निर्वाचन के अवसर पर निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित करने के बारे में निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 90 उस निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में है जो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपगत किए जा सकते हैं। यह नियम इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 767 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 1979 द्वारा संशोधित किया गया था और इसके द्वारा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1971 में जो सीमाएं नियत की गई थीं वे अवास्तविक हो गई हैं, ऐसे व्यय की सीमा बढ़ा दी गई थी। उक्त अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

[**ग्रंथालय में रखा गया : देखिये** संख्या एल० टी० 131/80]

बिहार राज्य के मुंगेर में किउल नदी से भू-कटाव

69. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के मुंगेर में पिछले अनेक वर्षों से किउल नदी से रेहुआ, ओलोपुर, रामचन्द्रपुर, मोहनपुर, खुटहा और अन्य गांवों में भू-कटाव हो रहा है;

(ख) क्या इन गांवों में भू-कटाव रोकने के लिए कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में भू-कटाव रोकने के लिए कोई कारगर कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता

70. **श्री के० ए० राजन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्धन व्यक्तियों को व्यापक कानूनी सहायता देने के कार्यक्रम हेतु

सिफारिश करने के लिए पिछली सरकारों द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय किया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो समितियों ने एक व्यापक कानूनी सहायता स्कीम तैयार करने के लिए सिफारिशें की हैं। श्री न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम समिति ने 27 मई, 1973 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और दूसरी समिति ने, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती थे और जिसके सदस्य न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर थे, अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अगस्त, 1977 को प्रस्तुत की।

कृष्ण अय्यर समिति की रिपोर्ट संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है और भगवती समिति की रिपोर्ट इस सदन के पटल पर 23 दिसम्बर, 1977 को रखी गई थी।

(ग) भगवती समिति की रिपोर्ट पर अधिकारियों की एक अन्तर-विभागीय समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

निर्वाचन के दौरान बागपत निर्वाचन क्षेत्र में की गई अनियमितताएं

71. **श्री के० लाकप्पा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के मध्यावधि निर्वाचन के दौरान बागपात निर्वाचन क्षेत्र में की गई अनियमितताओं की संख्या और उनका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि सैकड़ों हरिजन मतदाताओं को बलपूर्वक मतदान करने से रोका गया था और उनके स्थान पर अनधिकृत व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति दी गई थी और उनमें अवयस्क भी थे जिनके मतदान केन्द्रों के सामने पंक्ति में खड़े होने के चित्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि पीठासीन आफिसरों तथा अन्य अधिकारियों को की गई शिकायतों की अपेक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 81— बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उसके 402— बरनावा विधान सभा खण्ड के मतदान केन्द्र सं० 99— गढ़ीदुल्ला में, कुछ सशस्त्र बदमाश मतदान केन्द्र में घुस गए और पीठासीन आफिसर की अभिरक्षा में से तीन मतपेटियां (एक उपयोग की हुई और दो अप्रयुक्त) विधि-विरुद्ध रूप से ले गए। उक्त मतदान केन्द्र में मतदान शून्य घोषित करदिया गया था और 6 जनवरी, 1980 को फिर से मतदान कराया गया।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि ऐसे अभिकथन सिद्ध नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खान कल्याण निधि संगठन के कार्यकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

71. क-श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खान कल्याण निधि संगठन के कार्यकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति ने कोयला खान कल्याण निधि संगठन के कल्याणकारी कार्यों, प्रशासन, वित्तीय, साधन, आदि के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

18

सी० एल० आई० लि०, शिवसागर, जिला हजारीबाग

71. ख **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एल० आई० लिमिटेड, शिवसागर' जिला हजारीबाग गत 4-5 वर्षों से संकटग्रस्त है और 1 जनवरी, 1980 को कम्पनी के निदेशकों ने कारखाने को बन्द करने के लिए मजदूरों को नोटिस जारी किए हैं;

(ख) क्या 3000 मजदूर जो यहां से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे थे अब उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है;

(ग) क्या इस कारखाने को पंजाब नेशनल बैंक को 80 लाख रुपया देना है;

(घ) क्या इस कम्पनी के पास पट्टे पर 3,300 एकड़ अभ्रक वाला क्षेत्र है जहां सैकड़ों अभ्रक खानें हैं जिनका अव्यवस्था के कारण विदोहन नहीं हो रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक हित में इस कारखाने को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कारखाने को माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन को सौंप करके लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राहत देने का है ?

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) मैसर्स क्रिश्चियन माइका इन्डस्ट्रीज लि० के कामगारों को फैक्ट्री बन्द करने के बारे में नोटिस जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है।

(ग) कुप्रबंध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी के कार्यों की जांच का आदेश जारी किया था, परन्तु उच्च न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। कम्पनी की देनदारियों के व्यौरे केवल जांच कार्य पूरा होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे।

(घ) मैसर्स क्रिश्चियन माइका इन्डस्ट्रीज लि० को स्वीकृत खनन पट्टे का, जो 27-4-1973 को समाप्त हो गया था, नवीकरण नहीं किया गया था, परन्तु कम्पनी ने उच्च न्यायालय से स्थागन आदेश ले लिया है।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष न्यायालयों को समाप्त किया जाना

71-ग. **श्री चित बसु**
श्री सी० आर० महाटा) : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् के एक अधिनियम के अधीन गठित किए गए विशेष न्यायालयों को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन न्यायालयों के समक्ष कितने मामले लंबित हैं और लम्बित का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालयों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विशेष न्यायालय सं. 1 और 2 के समक्ष अन्तरित/फाइल किए गए मामलों की संख्या

क्र० सं०	नियमित मामला सं०	मामले का वर्णन	अधिनियम की धारा 5 (1) के अधीन घोषणा जारी करने और धारा 6 के अधीन अभिधान की तारीख	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय को मामला अन्तरित/फाइल करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
			विशेष न्यायालय सं० 1		
1.	1/78-एस. आई. यू. (एस आई. बी-(1)	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन प्रचार सामग्री तैयार करवाने के संबंध में श्री वी० सी० शुक्ल और अन्य के विरुद्ध मामला जो डी० ए० वी० पी० मामला के नाम से प्रसिद्ध है।	घोषणा ता० 4-6-79 को जारी की गई अभिधान तारीख 6-6-79 को जारी किया गया।	नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय सं० 1	14-6-1979
2.	9/77-एफ. एस. (1)	निर्वाचन प्रयोजनों के लिए जीपों के प्रयोग के संबंध में श्रीमती इन्दिरा गांधी और अन्य के विरुद्ध मामला (जो जीप मामला के नाम से प्रसिद्ध है।)	घोषणा और अभिधान तारीख 11-6-79 को जारी किया गया।	नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय सं० 1	15-6-79

1	2	3	4	5	6
		विशेष न्यायालय सं० 2			
3.	1/78-एसआई यू. (एस. आई. बी-1	श्री कृष्ण स्वामी और अन्य व्यक्तियों को झूठे भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित करने के संबंध में श्रीमती इन्दिरा गांधी और अन्य के विरुद्ध मामला (जो कृष्णस्वामी मामला के नाम से प्रसिद्ध है।)	4-6-79 को जारी की गई घोषणा 6-6-79 को जारी किया गया अभियान	नई दिल्ली स्थिति विशेष न्यायालय सं० 2	14-6-79
4.	2/78-एसआई. यू. (एस. आई. बी-1)	श्री भीम सेन सच्चर और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध किए जाने के संबंध में श्रीमती इन्दिरा गांधी और अन्य के विरुद्ध मामला (भीम सेन मामला)	घोषणा और अभिधान 3-7-79 को जारी किया गया।	नई दिल्ली स्थिति विशेष न्यायालय सं० 2	22-8-79

टिप्पणी : विशेष न्यायालय सं० 2 ने हाल ही में यह अभिनिर्धारित किया है कि उस न्यायालय का सृजन और उसकी स्थापना तथा उसके समक्ष मामलों के विचारण के लिए घोषणा और अभिधान संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं किए गए थे, इसलिए वे प्रभावहीन है और वे उस न्यायालय को कोई अधिकारिता प्रदान नहीं करते हैं। अतः उस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह मामलों में आगे अग्रसर होने से प्रवारित है।

अता० तथा ता० प्र० सं० 8027 तथा 401 का विवरण

असम में लोक सभा के लिए निर्वाचन कराया जाना

71. घ-श्री जार्ज फर्नांडिस : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का असम में लोक सभा के लिए निर्वाचन कब करवाने का विचार है; और

(ख) असम में मतदाता सूचियों से कुछ नाम निकालने की मांग पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) असम में 3-स्वशासी जिला अनुसूचित जनजाति (निर्वाचन क्षेत्र में असम सरकार से यह रिपोर्ट मिलते ही कि निर्वाचन क्षेत्र में स्थिति शान्तिपूर्ण है, निर्वाचन कराए जाएंगे। जहां तक असम में उन 11 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का संबंध है, जो सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहे हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(3) के अधीन निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षित है कि वह सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों से तब अपेक्षा करे जब उसका यह समाधान हो जाता है कि उनसे पुनः अपेक्षा की गई तो ये निर्वाचन क्षेत्र ऐसे असफल न रहेंगे। आयोग ने यह रिपोर्ट भी दी है कि इस समय यह बताना संभव नहीं है कि न निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन कब कराए जाएंगे।

(ख) निर्वाचक नामावलियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के लिए मांग का आधार यह है कि बड़ी संख्या में उन विदेशी राष्ट्रीकों के नाम, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, निर्वाचन नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं। इस मामले में जो मुद्दा है वह पेचीदा है इसलिए इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

गुजरात में सरस्वती नदी पर मोकेश्वर बांध के निर्माण के बारे में श्रीमोती भाई आर० चौधरी द्वारा लोक सभा दिनांक 23 अप्रैल, 1979 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 8027 के उत्तर में शुद्धि वाला विवरण।

ऊर्जा, सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : श्रीमान, गुजरात में श्री सरस्वती नदी पर मोकेश्वर बांध के निर्माण के बारे में श्री मोती भाई ग्रार० द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 8027 के भाग (ग) के उत्तर में निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

"राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना से राज्य के मेहसाना ग्रौर वंसकंठा जिलों में 4086 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लाभ प्राप्त होंगे। राज्य सरकार द्वारा परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों पर 21 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं ग्रौर इस स्कीम के लिए उन्होंने छठी योजना में 100 लाख रुपए की व्यवस्था की है"।

गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रश्न के बारे में उनके द्वारा पहले भेजी गई सूचना में टाइप सम्बन्धी एक गलती थी। उन्होंने सही ग्रांकड़े भेजे हैं। ग्रतः सही उत्तर निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :—

"राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना से राज्य के मेहसाना ग्रौर वंसकंठा जिलों में 4086 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लाभ प्राप्त होंगे। राज्य सरकार द्वारा परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों पर 2 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं ग्रौर इस स्कीम के लिए उन्होंने छठी योजना में 100 लाख रुपये की व्यवस्था की है"।

यह वक्तव्य लोक सभा के 20 ग्रगस्त, 1979 के लिखित उत्तरों के लिए निर्धारित प्रश्नों की सूची में शामिल किया गया था। चूंकि उस दिन संसद में कोई कार्य नहीं हुग्रा था ग्रतः यह वक्तव्य ग्रभी तक पटल पर नहीं रखा जा सका।

लोक सभा में दिनांक 27 मार्च 1979 की उत्तरित तारांकित प्रश्न सं० 490 के बारे में अनुपूरक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : श्रीमान जी, कम्पनियों में धन जमा करने वालों के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के पगों की बावत दिनांक 27 मार्च, 1979 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 490 के ग्रनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, उस समय के मंत्री ने बताया था कि उनके पास प्रस्तुत, 31 मार्च, 1978 तक की जमाधन, विवरणियों के ग्राधार पर, नवम्बर, 1978 तथा दिसम्बर 1978 के मध्य कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा सूचना के ग्रनुसार, 99 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा 41 प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियों ने परिपक्व होने पर ग्रथवा किए जाने पर भी जमाधन वापिस नहीं किए। मुझे सदन को सूचित करते हुए खेद है कि सदन को दी जाने वाली उक्त सूचना में भूल हो गई, जिसे मैं सही करना चाहता हूं। यह भूल उस समय ज्ञात हुई, जबकि इसके पश्चात् एक ग्रन्य लोक सभा प्रश्न की वावत सूचना रजिस्ट्रारों से प्राप्त हुई। कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा प्राप्त 31-3-70 तक की जमाधन विवरणियों के ग्रनुसार, 59 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा 27 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों ने परिपक्व होने पर जमाधन

वापिस नहीं किये हैं, न कि 99 पब्लिक कम्पनियों ने तथा 41 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों ने, जैसा कि पहले बताया गया था।

————

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान, रुड़की का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलंब के कारण बताने वाला विवरण, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, भारतीय विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 तथा कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1979।

ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला विभाग मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी ० 102/80)

(3) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखों का विवरण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 103/80)

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 104/80)

(6) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 886 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 105/80)

(7) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अंतर्गत कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1979 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)की एक प्रति जो दिनांक 28 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, सा० सां० नि० 1013 में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 106/80)

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण वताने वाला विवरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचनाएं ।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : मैं पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री श्री जे० बी० पटनायक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा वोर्ड के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बतलाने वाला एक विवरण, (हिंदी तथा अंग्रेजी संकस्रण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 107/80)

(4) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 108/80)

(5) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 938 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो, दिनांक 7 जुलाई, 1979 में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 109/80)

(6) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि, (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1979 जो दिनांक 21 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 982 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि, (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1979 जो दिनांक 11 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1062 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1979 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1118 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1979 जो दिनांक 5 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 25 में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखे गए—देखिए संख्या एल० टी० 110/80)

वर्ष 1979-80 के लिए अखबारी कागज के आवंटन संबंधी नीति पुनर्वास उद्योग निगम लि०, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि०, बम्बई के वर्ष 1978-79 चलचित्र वित्त निगम लि० बम्बई के वर्ष 1978-79 का वर्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षाएं, बाल चलचित्र समिति, बम्बई के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सार्वजनिक सूचना संख्या 1 पीआर-एनपी/79 दिनांक 18 मई, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसमें वर्ष 1979-80 के लिए अखबारी कागज के आवंटन सम्बन्धी नीति दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 111/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 112।80)

(ख) (एक) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी 113-80)

(ग) (एक) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चलचित्र वित्त निगम, बम्बई का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 114-80

(4) (एक) बाल चित्र समिति, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त ।(एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 115-80)

मरमुगाओ न पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1979 नाविक भविष्यनिधि स्कीम का वार्षिक प्रतिवेदन, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 और वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विलम्ब का विवरण

6 **नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर —ता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मरमुगाओ पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) संशोधन नियम, 197 संस्करण) (हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक प्रति जो दिनांक 25 अगस्त, 1979 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1088 में प्रकाशित हुए। **(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या** एल० टी० 116-80)

(2) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (**ग्रन्थालय में रखे गए,** देखिए। संख्या एल० टी० 117-80)

(3) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) निगम के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी० 118-80)

(4) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति।

(एक) मद्रास पत्तन न्याय के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) बम्बई के पत्तन न्यास के वर्ष 1978-79 वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (**ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए** संख्या एल० टी० 119-80)

(5) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वाणिज्य पोत (लोड लाइन) नियम, 1979 जो दिनांक 9 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 797 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना में इंजीनियरों की परीक्षा) (संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 12 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 37 में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी० 120/80)

विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण सहित विधि आयोग के अनेक प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम, !956 अधिवक्ता विधिअध्यापन अधिकार नियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, उच्च

नियम, 1979 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1256 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (साइकिल) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1270 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत लेखा अभिलेखा (टायर और ट्यूब) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1271 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लागत लेखा अभिलेख (बिजली के बल्ब) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1272 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) लागत लेखा अभिलेख (बिजली के पंखे) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1273 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) लागत लेखा अभिलेख (बिजली की मोटरें) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1274 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) लागत लेखा अभिलेख (उपयोगी औषधियां) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1275 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) लागत लेखा अभिलेख (रंग) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1276 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़े) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1277 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 605 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 8 जनवरी,

1680 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 5 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सा० सां० नि० 43 जो दिनांक 19 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 605 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(तेरह) सा. सां. नि. 583 (ङ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 1 फरवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 50 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चौदह) लागत लेखा अभिलेख (का) उन संशोधन नियम 1979 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां नि. 1528 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये,। खिये संख्या एल० टी-122/80**]

(10) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49क के अन्तर्गत अधिवक्ता (विधि अध्यापन अधिकार) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 587 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि पत्र जो दिनांक 28 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 651 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 123/80**]

(11) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1979 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि, 720 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार (सभापति तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 9 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 767 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 124/80**]

(12) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोशन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 1015 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-125/80**]

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 1269 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मक्कल माला अभिवृति निधि लिमिटेड (तमिलनाडु) को एक "निधि" घोषित किया गया है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-126/80**]

(14) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चुनाव-संचालन (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 518 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) विधान सभा चुनावों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 519 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) चुनावों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 767 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) अधिसूचना संख्या सां० आ० 846 (ङ) जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 नवम्बर, 1979 के अधिसूचना संख्या सां० आ० 767 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी-127/80**]

(15) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सां० आ० 470 (ङ) जो दिनांक 13 अगस्त 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में कुछ संशोधन किये गये थे।

(दो) सां० आ० 475 (ङ) जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में कतिपय संशोधन किये गये थे।

(तीन) सां० ग्रा० 3567 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन ग्रादेश, 1976 में कतिपय संशोधन किये गये थे।

(चार) सां० ग्रा० 617 (ङ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य के संबंध में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन ग्रादेश, 1976 में कतिपय संशोधन किये थे।

(पांच) सां० ग्रा० 754 (ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य के संबंध में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन ग्रादेश, 1976 में कतिपय संशोधन किये गये थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-128/80]

पौंड स्टर्लिंग और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन के बारे में ग्रधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : सीमा शुल्क ग्रधिनियम 1962 की धारा 159 के ग्रधीन सीमा शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पौंड स्टर्लिंग ग्रौर भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन के बारे ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 13 जो दिनांक 22 जनवरी, 1980 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-129/80]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं मद संख्या 7 पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के ग्रन्तर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सभा का ध्यान इस ग्रोर दिलाना चाहता हूं। इनमें विलम्ब क्यों किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : ग्राप नोटिस दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसी नोटिस की ग्रावश्यकता नहीं है। मैं ग्रापको 1967 से ग्रागे का कार्यवाही वृत्तांत दिखाऊंगा। मद संख्या 7 (1) ग्रौर (2), मद 7, उप पैरा (6) ग्रौर (7) में क्या ग्राप नोट देख रहे हैं ? इसमें कोई भी तिथि नहीं दी गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन की तिथियां क्यों नहीं दी गई हैं ?

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने ऐसा किया है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने ऐसा किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि मंत्री श्री शिव शंकर ऐसा कह सकते हैं ?

श्री शिव शंकर : यह ग्रावश्यक नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आवश्यक है। यह सदन आपका नहीं है। सभा को तिथियां जानने का अधिकार है (व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि तिथियां क्यों नहीं दी गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी···(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : विधि मंत्री अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं कहना है ?

श्री शि॰ शंकर : जब पत्र सभा पटल पर रख दिये जाते हैं तब कुछ भी कहने का प्रश्न नहीं उठता है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, अब हम नियम 377 के अंतर्गत विषय उठा रहे हैं। मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। (व्यवधान)*

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त स्वीकृत करने में कथित विलम्ब

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं सार्वजनिक महत्व के इस महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

"तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि मूल्यों के सूचकांक में 8 प्वाइंट की वृद्धि 12 महीने की समयावधि में हो तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त दी जानी चाहिए।

चूंकि मूल्यों के सूचकांक मे आवश्यक वृद्धि हो गई है, केन्द्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते की दो किस्तें पाने के अधिकारी हो गए हैं। पहली किस्त 1 नवम्बर, 1979 से और दूसरी 1 जनवरी, 1980 से मिलनी चाहिए।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि महंगाई के कारण परेशान केन्द्रीय कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखकर महंगाई भत्ता बढ़ाने की अविलम्ब घोषणा करें।

(दो) असैनिक राष्ट्रीय उपाधियां देना पुनः आरम्भ किया जाना

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने इस पर एक अलग से नोटिस दिया था और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय दें क्योंकि आपके सचिवालय ने टाईप करके जो मुझे दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि मुझे जो दिया गया है उसे आप पढ़ें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसको अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु मैंने नोटिस दिया है कि···

अध्यक्ष महोदय : यह आपने मुझे दिया है। यह मुद्रित रूप में है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें यह नोट करते हुए दुःख है कि सरकार ने असैनिक राष्ट्रीय उपाधियां देना आरम्भ कर दिया है जिसे कि पिछली सरकार ने बन्द कर दिया था। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 18 के उपबंधों का उल्लंघन है। उक्त अनुच्छेद की व्याख्या यह स्पष्ट बताती है कि असैनिक उपाधियां नहीं दी जानी चाहिए। यह उक्त अनुच्छेद के उपबंधों के अक्षरशः विरुद्ध होगा। सरकार का संविधान में बिना संशोधन किये इसके विशिष्ट उपबंधों का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली सरकार ने महा न्यायवादी का परामर्श लेने के बाद इसे समाप्त कर दिया था और उस परामर्श के आधार पर सरकारी आदेश जारी किया गया।

उपरोक्त बात को देखते हुए प्रधान मंत्री से निश्चित स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो महा न्यायवादी के परामर्श पर आधारित होना चाहिए।

(तीन) तमिलनाडु को हार्ड कोक का कम नियतन किया जाना

श्री एस० ए० दोराई सेबेस्टियन (करूर) तमिलनाडु : वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान हार्ड कोक का बहुत कम और मामूली आवंटन से, यथा एस० एस० आई० एककों की कुल मासिक आवश्यकता का केवल 30 प्रतिशत, 400 ढलाई घरों को कुछ समय के लिए बंद होना पड़ा है जिससे कुछ हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। जबकि दिल्ली को 100 वैगनों का आवंटन मिला है, तमिलनाडु को केवल 65 वैगनों का मिला है। हार्ड कोक की खपत कच्चे लोहे के खपत से सीधे सम्बन्धित है। तमिलनाडु को 43,295 मीट्रिक टन कच्चे लोहे का आवंटन मिला है। जबकि दिल्ली को 14,472 मीट्रिकटन और हार्ड कोक ले जाने के लिए 100 वैगन मिले हैं। तमिलनाडु को कम से कम 300 वैगन मिलने चाहिए थे। वैगनों का इस प्रकार गलत ढंग से किए गए आवंटन की पुष्टि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या टी० सी०/ए०/69 हार्ड कोक/पी० टी० वी० आई०, दिनांक 27.8.79 से की जा सकती है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि जबकि दिल्ली के मामले में 10 गुनी वृद्धि की गई है, राजस्थान के मामले में 3 गुनी से अधिक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मामले में दो गुनी वृद्धि हुई है, तमिलनाडु की उचित मांग भी पूरी नहीं की गई है।

मेरी मांग है कि तमिलनाडु को अधिक कोक और अधिक वैगन आवंटित किया जाना चाहिए।

(चार) कछार के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई न किये जाने का समाचार

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कछार के लोगों को शेष देश से आर्थिक नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने असम के भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों

की रक्षा करने के लिए लोक सभा के पिछले चुनावों में भाग लिया था। चावल, चीनी, नमक, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, बेबी फूड आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को 1.1.80 से कछार नहीं भेजा जा रहा है। चाय उद्योग को अपने कारखाने बन्द करने पड़े हैं। हाई स्पीड डीजल/पेट्रोल के न होने से सार्वजनिक बसें और ट्रकें सड़कों पर नहीं चल रही हैं। गांव और शहरों के लोगों को अपने दिन कठिनाई में गुजारने पड़ रहे हैं क्योंकि दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। क्या संबंधित मंत्री इस संकट से कछार के लोगों को बचाने के लिए अपेक्षित कदम उठायेंगे ?

(पांच) विश्व शांति परिषद के अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र को नजरबन्द करना और लन्दन हवाई अड्डे से बाहर निकाला जाना

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि ब्रिटेन की सरकार ने श्री रमेश चन्द्र को, जो भारत के एक गणमान्य नागरिक हैं और विश्व शान्ति परिषद के अध्यक्ष हैं, रोककर और उन्हें लंदन हवाई अड्डे से ही वापिस भेजकर एक अत्यधिक असाधारण कदम उठाया है। श्री रमेश चन्द्र लंदन जा रहे थे जहां उन्हें निरस्त्रीकरण सम्मेलन में शामिल होना था जो कि वहां ऐतिहासिक कनवे हाल, जहां इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी चर्चा हुई थी; यह ब्रिटेन की टोरी सरकार द्वारा भारत के प्रति किया गया अपमान है। यह पहली बार हुआ है कि न केवल एक भारतीय नागरिक अपितु राष्ट्र मंडल देश के एक नागरिक को शुद्धतः राजनैतिक कारणों से रोका गया है और निष्कासित किया गया है। इण्डियन वर्कर्स एसोसिएसन, दि इण्डिया लीग और फेडरल कांसिल आफ इण्डियन आर्गेनाइजेशन्स ने कड़े शब्दों में ब्रिटेन की सरकार की भर्त्सना की है। हाउस आफ कामन्स के अनेक प्रमुख संसद सदस्यों ने भी इसकी भर्त्सना की है।

मैं आपके द्वारा सभा के और भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ब्रिटेन सरकार के पास यह मामला तत्काल उठाया जाये ताकि भविष्य में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस पर सभा में बहस की जानी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने मांग की है, इस पर विचार किया जायेगा। यह सरकार पर निर्भर है, कृपया इन्तजार करिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मामला हाउस आफ कामन्स में भी उठाया गया था। उन्होंने इसे 'बर्बरता' की संज्ञा दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति की गम्भीरता को समझता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न है कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। इस विषय पर अनेक सदस्यों ने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जब समय आएगा, हम इस पर विचार करेंगे। अब यह बात सरकार के

ध्यान में लाई गयी है और कृपया आप सरकार के कार्यवाही करने तक रुकिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने श्री जे० आर० डी० टाटा के बारे में प्रस्ताव पर नोटिस दिया था यह कुछ समय हुआ है...... ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। अभी विशेषाधिकार समिति नहीं है। सभा को इसके बारे में सूचित किया जायगा। मैंने आपको इंतजार करने को कहा है कृपया अधिक समय नहीं लीजिए।

अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री चन्द्रजीत यादव : कल यह बात हुई कि आप वहां नहीं थे। मैंने यह मामला उठाया था कि इस वाद-विवाद के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने आज इसके लिए समय एक घंटा और बढ़ाया है, आज मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित नहीं होगी।

श्री यादव, आप कल भी यहां नहीं थे, मैंने सदन से यह अनुरोध किया था कि उन्हें अधिक समय की आवश्यकता है तो मैं समय को बढ़ा दूंगा। इस पर विरोधी पक्ष के सभी सदस्य सहमत थे इसलिए मैं सहमत हो गया था अन्यथा मैंने कल ही दो घंटे का अधिक समय दे सकता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन यह है कि श्री जे० आर० डी० टाटा का बचाव इस प्रकार से क्यों किया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु:, आप सदन का समय व्यर्थ क्यों करना चाहते है ? मैंने कह दिया है कि यह 2 तारीख से पहले ही कर लिया जायगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 2 तारीख को तो सदन स्थगित हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है.....(व्यवधान) मैं मामले के महत्व को जानता हूं। अब आप इसे बता चुके हैं और मैं सुन चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे सदन के स्थगित होने से पूर्व कर लिया जाना चाहिए। मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करने दीजिए।

श्री एन० जी० रंगा : एक सदस्य और अध्यक्ष महोदय के बीच सदन में इस प्रकार का वार्तालाप कैसे हो सकता है ? इस प्रकार का वार्तालाप कक्ष में कर लिया जाना चाहिए.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेष व्यवहार का कोई प्रश्न ही नहीं है। सदन में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता है। श्री बसु, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने इस पर वार्तालाप समाप्त कर दिया है। यदि आप अब भी बोलते जायेंगे तो दूसरे सदस्य इस पर आपत्ति करेंगे, कृपया एकाधिकार जमाने का प्रयास न करें। आप तो एकाधिकार के विरोधी हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्ता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरघाट) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई विस्तृत बातें आ गई हैं, परन्तु मुझे खेद है कि इस अभिभाषण में दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों, और मुझे कहना चाहिए कि दो बहुत ही नाजुक मामलों का, जो कि अब काफी समय से इस देश के राजनैतिक जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनमें से एक प्रश्न दल-बदल और प्रति दल-बदल का है जिसने कि इस देश के राजनैतिक स्तर को चौपट कर दिया है। मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दल-बदल विरोधी कानून को शीघ्र लाये जाने की आवश्यकता के विषय में कुछ उल्लेख किया जाना चाहिए था जिसको लाये जाने का मामला पिछले कई वर्षों से विचाराधीन पड़ा हुआ है परन्तु इसके विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और इसके कारणों का पता लगाया जाना भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र में जो कोई भी पार्टी शासनारूढ़ होती है वह किसी भी दल-बदल विरोधी कानून को लाये जाने के प्रश्न पर ढील-ढाल बरतनी चाहिती है।

यह भी हो सकता है कि इस समय सरकार, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो, उन राज्य सरकारों को जिनमें गैर-कांग्रेसी (इ) सदस्य शासन में हैं केन्द्र से सीधे ही बर्खास्त करने की स्थिति में न हो। इसलिए श्री यशपाल कपूर और कुछ अन्य व्यक्ति अपने पूरे देश के भ्रमण पर हैं और दल-बदल तथा प्रति दल बदल को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अन्दर-ही अन्दर कुछ राज्य सरकारों को गिराया जा सके।

मेरे दोस्त, श्री गनी खान चौधरी इतने अस्पष्टवादी नहीं हैं। वे बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने खुले रूप से दो बार यह घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी भी जिम्मेदार मंत्री को जो कि इस प्रकार से खुला वक्तव्य देता है इस सदन से क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें हमेशा ही मंत्रियों द्वारा यह कहा जाता रहा है कि वे पिछली जनता सरकार का रवैया अपनाने को तैयार नहीं हैं जिनका कि हमने, उस समय भी, उन राज्य सरकारों को, जिनकी कि जनता सरकार में निष्ठा नहीं थी, सीधे ही बर्खास्त किये जाने पर विरोध किया था। श्री गनी खान चौधरी ने पश्चिम बंगाल में उस सरकार को बर्खास्त करने का खुला आह्वान किया है जो सरकार कि काफी बहुमत में जीतकर शासन में आई है। श्री यशपाल कपूर एक गैर सरकारी दूत के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करने में व्यस्त हैं और यह प्रत्येक के लिए स्पष्ट हो जाता है कि उनका एक मात्र कार्य और उद्देश्य दल-बदल और प्रति दल-बदल को संगठित करने का ही है।

मैं विनम्रतापूर्वक यह बता देना चाहता हूं कि आज भारत में केवल वामपन्थी दल जैसे सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, आर० एस० पी० फारवर्ड ब्लॉक और अन्य वामपंथी दल ही ऐसे

दल हैं जिन पर कि इस प्रकार के दल बदल और प्रतिदल-बदल के खेल खेलने का दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। आप इन दलों से सम्बन्धित संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते हैं जो कि अन्य वस्तुओं की भांति बाजार में बेचे या खरीदे जा सकते हों। परन्तु खेद है कि दूसरे सभी दल इस बीमारी से लिप्त हैं। इसलिए मैं चाहता था कि राष्ट्रपति महोदय को इस मालले पर प्रकाश डालना चाहिए था और दल-बदल विरोधी अधिनियम की शीघ्र आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

दूसरा प्रश्न जिसका कि अभिभाषण में बिलकुल भी उल्लेख नहीं किया गया है वह इस देश में चुनाव प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता के विषय में है।

महोदय, 1977 के चुनाव में, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन नहीं हुआ था और यह उस समय कांग्रेस (इ) और कांग्रेस (अ) में विभक्त नहीं हुई थी। उन्होंने डाले गये कुछ मतों का 35 प्रतिशत मतदान प्राप्त करके इस सदन में 115 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। इस समय मतों की केवल 8 प्रतिशत वृद्धि से ही— लगभग 8 प्रतिशत जो कि उन्हें 35 प्रतिशत से अधिक मिले हैं, उन्होंने स्थानों की संख्या में लगभग 300 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की है। तो क्या आप इसे मतदान की उचित प्रणाली समझते हैं? यह केवल एक ही दल पर लागू नहीं होता है, यह सभी पर लागू होता है। यह सभी राज्यों पर भी लागू होता है। यह एक स्थान में किसी एक दल और दूसरे स्थान में किसी और दल के विरुद्ध जा सकता है। केवल मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जो कि गणतंत्र राष्ट्र के नाम से जाने वाले दूसरे कई अन्य राष्ट्रों में प्रचलित हैं, ही अच्छी प्रणाली है और वे उसी प्रणाली को अपनाते हैं।

फ्रांस में समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। हाल ही में हम फ्रांसीसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में आये एक बहुत ही उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल से मैत्रीपूर्ण वार्ता कर रहे थे जिनके साथ कि हम कई तकनीकी, आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए हम उन्हीं संसदीय प्रणाली से भी क्यों न कोई अच्छाई तो ले लें? उनके देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, यहां, किसी भी चुनाव में यदि दो या तीन प्रतिशत मत इधर या उधर हो जाते हैं तो इसका आशय स्थानों की संख्या में पूर्ण जीत अथवा हार से हो जाता है। इसीलिए मैं उसका समर्थन करता हूं जिसके लिए कि मेरा दल कई वर्षों से आन्दोलन करता हुआ आ रहा है कि इस सदन के विविन्न राजनैतिक दलों के भिन्न-भिन्न विचारों को प्रदर्शित करने हेतु हमारी निर्वाचन प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू कर दिया जाना चाहिए, अभिभाषण में इस विषय के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इसके पश्चात, महोदय, मैं उस शीत-युद्ध के प्रश्न पर आता हूं जिसका उल्लेख कि मेरे माननीय साथी श्री जगजीवनराम ने भी किया है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि शीत युद्ध हमारी सीमाओं के निकट आता जा रहा है। प्रधानमन्त्री ने भी इसका जिक्र किया है, मैं भी कहना चाहता हूं कि महोदय, लंदन हवाई पड्डे पर भी रमेशचन्द, जिन्हें कि दूसरे जहाज में स्थान दिया गया और फिर वापस भेज दिया गया, के टोके जाने के विषय में बात अभी-अभी ही उठाई गई है। इस घटना में २७ जनवरी के **'गार्जियन'** ने यह लिखा है, मैं उन्हीं शब्दों को दोहराता हूं :

"गृह सचिव ने कल रूस द्वारा समर्पित विश्व शान्ति परिषद् के नेता को सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोककर एक शीत युद्ध की वापसी का संकेत दे दिया है। इस प्रकार का निर्णय स्पष्ट रूप से रूस की ओर किए जा रहे वर्तमान प्रहारों का एक अंश सा लगता है।"

श्री चन्द्र को लन्दन के कान-वे हाल में एक दो दिवसीय सम्मेलन में सम्मिलित होना था . . . जो कि मजदूर संगठनों के उद्देश्य से किया जा रहा था और जिसकी रूप रेखा निःशस्त्रीकरण के प्रयोजन से बनाई गई थी।"

मैं समझता हूं कि भारतवर्ष संसार में निःशस्त्रीकरण के अग्रदूतों में से एक है और हमारे देश का एक नागरिक, एक प्रमुख नागरिक, जो कि विश्व शान्ति परिषद् के अध्यक्ष के उच्च पद पर आसीन है और जिसे कि इस सदन के कई सदस्य कुछ मंत्रियों सहित जिन्हें कि मैं यहां बैठा देख रहा हूं केवल भली भांति परिचित ही नहीं हैं अपितु उस संगठन की गतिविधियों के साथ सम्बद्ध भी हैं और जो उस संगठन से सम्बद्ध होने के कारण स्वयं लाभान्वित भी हो चुके हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या यह उचित नहीं है कि इस प्रकार के मामले पर लन्दन के हाउस ऑफ कामन्स से विरोध प्रकट किया जाय ? क्या हमारी संसद को उस मनमाने तथा अपमानजनक बर्ताव के विरुद्ध किसी विरोध को रिकार्ड नहीं करना चाहिए जो कि उन्होंने इस देश के प्रमुख नागरिक के साथ केवल इसलिए किया है कि वे एक विशेष संगठन से सम्बद्ध हैं ?

अब महोदय, यह शीत युद्ध हमारी सीमाओं के निकट आ गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हमें दलगत हितों से ऊपर उठना चाहिए और यह निश्चित करना चाहिए कि क्या किया जाये। इस विचार से जो एकमात्र बात हमें जाननी है वह है हमारी अपनी सुरक्षा, देश की प्रभुसत्ता की रक्षा और हमारे देश की क्षेत्रीय अखण्डता, इसके अतिरिक्त इस प्रश्न के किसी अन्य पहलू पर विचार करने के लिए और कोई मापदण्ड नहीं अपनाया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आजकल शासन प्राप्त करने की प्रतिद्वन्दता के इस सूत्र में प्रत्येक वस्तु पर दोषारोपण करना एक फैशन सा हो गया है। यह सत्य है कि विश्व में महाशक्ति प्राप्त करने की एक प्रतिद्वन्दता चल रही है और इन शक्तियों या महाशक्तियों में से एक शक्ति है समाजवादी महाशक्ति, दूसरी महाशक्ति है साम्राज्यवादी महाशक्ति और

मैं इस सदन से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि कभी-कभी इस तथाकथित महाशक्ति की प्रतिद्वन्दिता से अपने देश में हमें भी अपनी स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से लाभ हुआ है। हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए।

महोदय, मैं इस मामले में बाबूजी से पूरी तरह सहमत हूं, अर्थात् हम जो कुछ कहते हैं उसमें हमें अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी और गम्भीरता बनरनी चाहिए। जब कभी भी किसी एक बड़ी शक्ति द्वारा सुरक्षा परिषद में कश्मीर का सवाल उठाया गया, जब हमें उस वजह से हमलावर करार देने का प्रयास किया गया क्योंकि हमने अपनी धरती के ही एक भाग गोआ को स्वतंत्र करके के लिए अपनी सेनाएं वहां भेजी थीं, हमें अपनी भूमि वापस लेने के लिए सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश कराने भारत को हमलावर करार देने की मांग की गई। यदि कोई बड़ी शक्ति हमारे पक्ष का बचाव करने के लिए वहां न होती तो क्या होता ? क्या हमें उससे लाभ नहीं हुआ ? मैं मंत्री महोदय, और प्रधान मंत्री से भी चाहूंगा कि वे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें। महोदय 1965 में क्या हुआ ? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने के पहले, कई दिनों और कई सप्ताहों तक, पाकिस्तान सेना की नियमित यूनिटें तो नहीं बल्कि तथाकथित कबीलों—सशस्त्र कबीलों द्वारा जिन्हें सीमा पार काश्मीर में भेजा गया था, नियन्त्रण रेखा अथवा युद्ध विराम रेखा के पार घुसपैठ की जाती रही—क्या यह हमले की शुरूआत नहीं थी ? क्या इसका मतलब यह है कि जब नियमित सेना की वर्दी में लोग आएं केवल तभी उन्हें हमलावर समझा जा सकता है अन्यथा नहीं ? 1965 में क्या हुआ ? आज हम अफगानिस्तान में रूसी सेना के प्रवेश के बारे में ही क्यों चिल्ला रहे हैं ? इन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं जो सेना की वर्दी में तो नहीं थे लेकिन जिन्हें पिछले तीन चार महीनों से शक्तियों के एक दूसरे गुट द्वारा पाकिस्तान में प्रशिक्षित, संगठित, शस्त्र-सज्जित करके और धन देकर अफगास्तिान के अन्दर वहां के लोगों पर हमला करने, आगजनी करने और लोगों को मारने के लिए भेजा जाता रहा ? क्या वह हमला नहीं है ? हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे हम मुश्किल में पड़ जाएं।

महोदय, अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि यह उनका आंतरिक मामला है। वे कहते हैं कि उन्होंने रूस से मदद मांगी थी क्योंकि वे बड़ी मुसीबतों में थे और यह उस संधि के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत किया गया जो संधि उनके और सोवियत सघ के बीच हुई थी।

महोदय, अब मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस सरकार ने अफगानिस्तान में रूसी मदद मांगी, वह सरकार कम से कम काबुल में तो थी ही। लेकिन महोदय, क्या हम इस बात को मानेंगे, यदि कोई हमसे कहे : 1971 में आपने बंगला देश में प्रवेश किया, वह भी बंगला देश की एक ऐसी अस्थायी सरकार की अपील पर जो उस समय बंगलादेश की जमीन पर मौजूद नहीं थी ? इस बात को सभी जानते हैं मैं इस मुद्दे पर अधिक बल देना नहीं चाहता। वह अस्थाई सरकार मुजीबनगर में स्थित थी—जो बगलादेश की सीमा में नहीं था। तब क्या हमें इस

दलील की पेशकश किसी दूसरे ढंग से करनी होगी, क्या यह सच नहीं है, क्या यह कहना सही है कि क्योंकि 1971 में हमने सोवियत संघ के साथ मित्रता और परस्पर सहयोग की लम्बी अवधि की संधि की थी इसलिये राष्ट्रपति निक्सन उस संधि से भड़क कर सातवाँ बेड़ा हिन्द महासार में भेजा क्योंकि यह बड़ी शक्तियों का टकराव है ? क्या हर बात बड़ी शक्तियों का टकराव ही है ? हम उस दलील को नहीं मानते क्योंकि उस मामले में हमारी अपनी सुरक्षा और प्रति क्षा खतरे में पड़ी हुई थी।

फिर, महोदय, कहीं यह दलील भी दी जा रही है कि ये कबीले—ये अफगानी कबीले—जो सीमा पार से और पाकिस्तान से अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, उसी देश के राष्ट्रिक तो हैं। वे शरणार्थी बन गए हैं ; उन्हें वह देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है ; और इसीलिए, यदि वे विदेशी अड्डों से सैनिक कार्यवाही करते हुए तथाकथित मुक्ति संघर्ष जारी रखते हैं—तो हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। अतः महोदय, मैं इस सदन से निवेदन करता हूं कि किसी दलील का इस तरह इस्तेमाल न करें क्योंकि यही दलीलें फिर हमारे खिलाफ दी जाएंगी। इस देश में, इस देश के नागरिक हैं . . . उनकी संख्या भले ही अधिक न हो, लेकिन हमारे यहां नागालैंड के लोग हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं, और अब मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि असम से भी कुछ लड़के आए हैं . . . वे सभी इस देश के नागरिक हैं। वे भी वही तर्क देते हैं। वे शस्त्र प्राप्त करने और प्रशिक्षण लेने के लिए इस देश से बाहर जा रहे हैं ; हमें मालूम है वे सीमा पार करके कहां जा रहे हैं ! और फिर उन्हें वापस भेजा जा रहा है, देश के अन्दर संकट पैदा करने के लिए—हमारी सीमाओं पर जो तथाकथित द्रोही हैं वे यहीं हैं। उत्तर-पूर्व सीमा पर क्या हो रहा है ? क्या हमें यह तर्क मान लेना चाहिए कि चूंकि वे वास्तव में भारत के नागरिक हैं, इसलिए उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए ? क्या आप इस दलील को स्वीकार करते हैं ? फिर हम उन बातों से क्यों विमुख होते हैं जो अफगानिस्तान का आन्तरिक मामला है ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शक्ति इस समय पाकिस्तान को शस्त्र देकर उसकी मदद कर रही है, उन्होंने हमारे साथ पहले क्या किया है और वे हमें कितना मानते हैं। अतः महोदय, मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि यह ध्यान रखें कि वे कौन सी शक्तियां हैं जो इसमें उलझी हुई हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो परम्परागत, ऐतिहासिक रूप से हमारे खिलाफ रही हैं अथवा वे हैं जो एतिहासिक रूप से हमारे प्रति मित्रतापूर्ण रही हैं। हम उनके बीच कोई तथाकथित तटस्थ रवैया नहीं अपना कर यह नही कह सकते कि 'ओह, यह सब तो बड़ी ताकतों का टकराव है। हमने सोवियत संघ से दीर्घ-कालिक सन्धि भी की है। मैं नहीं कहता कि उस सन्धि के अन्तर्गत और रूस को यहां आने की दावतदेंगे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई ऐसी सन्धि विद्यमान हो और मान लो, कोई ऐसा समय आ जाए अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस सन्धि के अन्तर्गत आप विदेशी सहायता मांगने के लिए बाध्य हो जाएं, इस देश की सरकार ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाए, तब क्या आप उसे इस देश के खिलाफ आक्रमण कहेंगे ? यह बड़ा ही नाजुक प्रश्न

है और हमें उन लोगों की आवाज में अपनी आवाज नहीं मिलानी चाहिए जो आवाज एकाधिकारी और पूंजीपतियों के समाचार-पत्रों द्वारा उठाई जा रही है। मैं बस यही कुछ कहना चाहूंगा—महोदय क्या मेरा समय समाप्त हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : उससे भी ज्यादा समय हो चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि राष्ट्रपति के इन अभिभाषण में मूल्यों में वृद्धि और मूल्यों पर नियन्त्रण की आवश्यकता के बाते में बहुत कम उल्लेख है। मैं सदन को ध्यान दिला दूं कि इस पर हम फिर किसी समय चर्चा करेंगे। लेकिन, महोदय, यह केवल मूल्य वृद्धि का ही सवाल नहीं है। समस्या उन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की है जो आप और मैं खरीदते हैं—ये हैं आवश्यक वस्तुए तथा उत्पादित वस्तुएं आदि। किन्तु, मूल्यों में उस गिरावट की बात कोई नही करता है जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस देश में सभी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादकों को अलाभकारी मूल्य मिल रहा है। केन्द्र में चाहे जो भी सरकार रही हो, लेकिन मेरे अपने ही राज्य में कच्चे जूट के उत्पादकों को पिछले अनेक वर्षों से नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्हें कभी भी आर्थिक मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है और बड़े जूट मिल मालिकों, जिनके कारखाने कलकत्ता में और उसके आस-पास'स्थित हैं, का हित-साधन करने के लिए जूट उत्पादकों को धोखे में रखा जाता रहा है। अत: महोदय, हमें इन सभी प्रश्नों पर उनकी उचित आर्थिक समग्रता को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। (धन्यवाद)

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : सातवीं लोक सभा के चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि भारतीय मतदाता अब पूरी तरह परिपक्व हो गया है।

हमारे मतदाताओं ने एक ही बार में अस्तित्वहीन सत्ता के दौर को समाप्त कर दिया है। इन ढाई वर्षों में हमने सत्ता हथियाने की स्पर्धा का तमाशा देखा है जिसने न केवल राजनीतिज्ञों की छवि को धूमिल किया है बल्कि लोक तन्त्र की जड़ों को हिला कर रख दिया है। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। आंतिरिक लड़ाई में उलझे मत्री लोग इतने व्यस्त थे कि उन्हें किसी और बात के लिए फुर्सत ही नहीं थी। जो कुछ हमने उस समय अनुभव किया उसे केवल संकट की नहीं बल्कि लकवे की संज्ञा दी जानी चाहिए। सरकारी नीति छलावा मात्र रह गई और नैतिकता मात्र एक प्रतीक। जनता सरकार के अन्तगत, आपकी नैतिकता की 90 प्रतिशत गारन्टी तो इसी बात से मिल जाती थी कि आप जन्म से शाकाहारी और मदनिग्रही हों। शेष 10 प्रतिशत का इस्तेमाल धन और संपत्ति इकट्ठा करने, रिश्वत लेने और विदेशों का दौरा करने में किया जा सकता था। तब न तो दृष्टि थी और न पर्यवेक्षण -यदि कुछ था तो वह था विभाजन। राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थिति की गम्भीरता पर जो प्रकाश डाला गया है, वह उचित ही है। स्थिति को सुधारने के लिए, सर्व प्रथम हमें उन आन्तरिक क्षेत्रों को ठीक करना होगा जिनके गलत-संचालन

ने सारी व्यवस्था ठप कर दिया है। कोयले की सप्लाई कम है, बिजली की कटौती आम बात हो गई है, वैगन उपलब्ध नहीं है और पतनों पर माल का ढेर लग रहा है। इन सब बातों का असर कृषि, उद्योग और निर्यात पर पड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एक दूसरे को दोष दे रहा है। कोयला उद्योग विद्युत उपक्रमों को दोष देता है। विद्युत उपक्रमों का कहना है कि कोयला नहीं तो बिजली नहीं ! बिजली नहीं तो कोयला नहीं। हर सवाल इसी तरह उलझा हुआ है जैसे कोई पूछे कि पहले मुर्गी का बच्चा हुआ या अण्डा ? सचाई तो यह है कि कोयले का उत्पादन गत 3 वर्षों में 100 मिलियन टन से आगे बढ़ा ही नहीं है, बिजली की मांग और सप्लाई में 12 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है, और रेलों द्वारा माल की ढुलाई 210 मिलियन टन से आगे नहीं बढ़ी है। तब, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो ? इन सेक्टरों में, जो अर्थव्यवस्था का केन्द्र कहे जाते हैं, विकास की गति शून्य रहने के साथ ही भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है। मुझे बताया गया है कि दिल्ली क्षेत्र में जो उद्योग हैं, बिजली की कटौती के कारण उन्हें सप्ताह में केवल 2 दिन ही उत्पादन कार्य करने की सरकारी अनुमति है लेकिन वे उद्योग वास्तव में सप्ताह भर चल रहे हैं। कुछ लोगों को चुपचाप घूस दी जाती है और वे सीधे ही बिजली लेते हैं जो मीटर में नहीं आती। कितनी भयंकर स्थिति है यह ? पिछले तीनों बजट में सरकार ने विद्युत उत्पादन में 6112 करोड़ का, कोयला उत्पादन में 1220 करोड़ और रेलवेज में 1637 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। भारत के ये शिखरहीन आश्चर्य कहे जाने वाले वाले सेक्टर ऐसे गढ़े साबित हुए है जिनकी नींव का ही पता नहीं। यह सब प्रबंध करने की बात है। उदाहरण के लिए, विद्युत उत्पादन में, निर्धारित क्षमता के 45 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया गया। कुछ संयंत्रों में तो यह 25 प्रतिशत से भी कम रही। शेष राष्ट्रीय निवेश उपयोग के बिना व्यर्थ ही चला गया। निष्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए और जिन लोगों का कार्य नियत मानकों के अनुकूल न हो, उन्हें तत्काल हटा दिया जाए।

इन प्रबन्ध सम्बन्धी अवरोधों, साथ ही बजट में दिखाए गए 2500 करोड़ रुपए के घाटे और औद्योगिक विकास की दर शून्य रहने के कारण मूल्यों पर बड़ा भारी असर पड़ा और 3 वर्ष की अवधि में मूल्य 30 प्रतिशत बढ़ गए। सामान्य व्यक्ति और किसान इस बोझ के नीचे पिस रहा है। कड़े स्फीति-विरोधी उपाय किया जाना आवश्यक है लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस दबाव का उत्पादन स्तरों पर प्रतिकूल असर न पड़े।

यह देश किसानों का देश है और हमारे किसानों तथा गरीब तबकों के साथ जो अत्याचार होते हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। आदिवासी और अधिकांश हरिजन बहुत ही पिछड़ी आर्थिक स्थिति में जीते हैं। वास्तव में, बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति का शिकार सबसे अधिक हरिजन ही होते रहे हैं। बेलची में 14 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अनगिनत गांवों में हुई हैं। अतः मेरा सुझाव है कि हरिजन

ग्रौर ग्रादिवासी कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया जाए जो सीधे ही उनकी सुरक्षा से संबन्धित हो ग्रौर उनकी प्रगति के लिए सुविधाएं प्रदान कर सके ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक ग्रौर कठिनाई का उल्लेख किया है ग्रौर वह है 5000 करोड़ रु० का पैट्रोलियम बिल । इतनी बड़ी राशि का बिल हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार को खाली कर देने के लिए काफी है । इसका संरक्षण करने ग्रौर वैकल्पिक स्रोतों की खोज के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए ।

सौर ऊर्जा ग्रनुसन्धान एवं विकास में धन लगाना व्यर्थ नहीं होगा और यह भविष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकेगा । ग्रन्य उपायों जैसे, सप्ताह में एक दिन गैर-सरकारी गाड़ियों के चलने पर रोक लगाने तथा रात को 9.00 बजे के बाद 'नियान साइन्स' को बन्द करने ग्रादि से भी ईंधन ग्रौर बिजली की काफी बचत हो सकती है । इस के बारे में हर तरफ से सख्ती की जानी चाहिए ।

विदेशी मामलों के सम्बन्ध में भी इस क्षेत्र को विस्फोटक संभावनाग्रों वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । एक ही घटना से रातोंरात सारा विश्व चकमक की डिबिया बन गया । ग्रफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के कारण बड़ी शक्तियों के ग्रापसी सम्बन्धों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा । ग्रफगानिस्तान पर नियत्रण होने के कारण सोवियत सघ ग्ररब सागर से 350 मील के भीतर पहुंच गया जो कि पश्चिमी देशों ग्रौर जापान को तेल की सप्लाई का मार्ग है । ग्रफगानिस्तान स्थिति सोवियत संघ के लड़ाकू विमान जब भी चाहें इस मार्ग को बन्द कर सकते हैं । इस गर्म पानी में घुमने की रूस की जो ऐतिहासिक ग्रौर बहुत पुरानी इच्छा है । उसके रास्ते में ग्रब केवल ईरान-पाकिस्तान सीमा पर डांवाडोल स्थिति वाला बलूचिस्तान ही एक मात्र रुकावट है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में भारत इस समस्या को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

प्रथमत: यह ग्रारोप लगाया जाता है कि पाकिस्तान विद्रोहियों को हथियार दे रहा था ग्रौर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा था जिसका मुकाबला बार-बार सरकार पलटे जाने की घटनाग्रों से कमजोर हो चुकी ग्रफगानी सेना नहीं कर सकती थी । इसका पाकिस्तान पर भी प्रभाव पड़ा है ग्रौर यह उनके हित में होगा कि ये गतिविधियां तत्काल बन्द हो जायें ।

दूसरे, इस्लामाबाद को यह समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि बदली हुई परिस्थितियों में पाकिस्तान का शक्तिशाली होना भारतीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वह सोवियत संघ द्वारा नियन्त्रित ग्रफगानिस्तान ग्रौर भारत के बीच प्रतिरोधक का काम कर सके । यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनरल जिया ने हाल ही में हुए इस्लामी सम्मेलन में काश्मीर का

जिक्र किया क्योंकि इस सम्भावित खतरे का सामना करने का दिल्ली और इस्लामाबाद के पास केवल एक यही रास्ता है कि वे शिमला समझौते की भावना से चलें और इस क्षेत्र में शान्ति के लिए मिलकर कार्य करें लेकिन इसकी पूर्व-शर्त यह है कि पाकिस्तान अमेरीकी सैनिक सहायता को लेने से इन्कार कर दे। यदि पाकिस्तान अमेरिका और चीन से सैनिक सहायता लेना जारी रखता है तो यह अनिवार्य है कि भारत भी अपने आपको शस्त्रों से लैस करना शुरू कर देगा और यह कोई नहीं जानता कि शस्त्रों की इस बढ़ती हुई होड़ का कहां अन्त होगा जिससे कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

तीसरे, तेहरान को यह समझाया जाना चाहिए कि 'बन्धकों' वाले मामले को लेकर वाशिंगटन ईरान के खिलाफ बहुत गम्भीर कार्यवाही कर सकता है। लेकिन जैसे ही यह होगा सोवियत संघ को दक्षिण की ओर और अन्दर घुसने का बहाना मिल जायेगा जिसके कारण ईरान बड़ी शक्तियों के युद्ध का केन्द्र बन जाएगा। इसलिए यह ईरान के हित में है कि वे बंधकों को मुक्त कर दें और इस प्रकार ईरान में बड़ी शक्तियों की कार्यवाही और प्रतिकार्यवाही के खतरे को समाप्त कर दें।

अन्त में रूसियों को इसके लिए राजी किया जाना चाहिए कि वे विश्व-मत के आगे झुकें और शीघ्र-अति शीघ्र अपनी सेनाओं को वापस बुला लें।

चुनाव की लड़ाई की हलचल समाप्त हो गई है और इस समय देश निःसन्देह गम्भीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। संकट के समय गम्भीर खतरे का सामना करना पड़ता है लेकिन बेजोड़ अवसर भी मिलते हैं। आशाएं बहुत बड़ी हैं लेकिन लोगों में धैर्य सीमित है। आशाओं के अनुरूप अपने आप को सिद्ध करने के लिए हमें इस देश में क्रियात्मक मनोविज्ञान का सृजन करना होगा। श्रीमती गांधी ने बदले की भावना को छोड़कर इस मनोविज्ञान के सृजन में पहल की है। मेरे विचार में बदले की राजनीति कोई राजनीति नहीं है। बदले की भावना पहले भोगे जा चुके दुख को वर्तमान समय में खत्म करने के व्यर्थ प्रयास में भविष्य के प्रति लापरवाही है। हमने एक नए युग में प्रवेश किया है। बीती हुई बातों को हमें बहुत पहले भूल जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश, यद्यपि राजनीतिक पद्धतियां बदल चुकी हैं लेकिन मनोविज्ञान वही है। राजे-महाराजे बहुत पहले मर चुके हैं और गाड़े जा चुके हैं लेकिन सामन्तवाद अभी जीवित है। सामन्त-वाद का प्रतिनिधित्व केवल जन्म से ही नहीं होता है बल्कि यह मानसिक प्रवृत्ति के रूप में होता है। यह भोपाल में जनता पार्टी के एक मंत्री के कार्य में विद्यमान है जिसने अपने बच्चों की आलीशान शादी में सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों, मोटरों तथा अन्य सामान इस्तेमाल किया। यह दिल्ली के उस जनता मंत्री के मस्तिष्क में विद्यमान है जिसने हवाई पत्तन के सुरक्षा कर्म-चारियों को तलाशी देने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि मंत्री होने के नाते यह उनका विशेषाधिकार है, यह दिल्ली के ही एक अन्य जनता मंत्री के मस्तिष्क में विद्यमान है जिसने

दक्षिणी अमेरिका से अपनी वापसी पर हवाई अड्डे पर संक्रामक रोग का टीका लगवाने से इन्कार कर दिया और विमान में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों को बहुत बड़े खतरे में डालते हुए बम्बई से दिल्ली तक की यात्रा की । हमें इन जंजीरों को तोड़ना चाहिए और राष्ट्र को नए युग में ले जाने के लिए आडम्बर के अन्धेरे को छोड़ सूर्य की रोशनी में आना चाहिए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जिन सीढ़ीयों पर हम हर रोज चढ़ते थे उनके ऊपर दीवार पर टैगोर की एक कविता लिखी हुई थी । वे शब्द अब तक मेरी स्मृति पटल पर अंकित हैं । यदि आज के हालात के सन्दर्भ में उसमें से प्रत्येक वाक्य की समीक्षा की जाए तो हम लोगों में व्याप्त नैराश्य की स्थिति को समझ सकते हैं । मैं टैगोर के उन शब्दों को सुनाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप मुझे उन शब्दों के लिए थोड़ा सा और समय अवश्य देंगे । मैं अब उन पक्तियों को पढ़ता हूं :

"जहां मन में कोई डर न हो, और जहां सिर ऊंचा रखा जाता हो ;
जहां ज्ञान मुफ्त मिलता हो,

जहां बंटवारे की संकीर्ण दीवारें खड़ी करके विश्व को छोटे-छोटे खण्डों में न बांटा गया हो ;

जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों ;

जहां अथक प्रयास सफलता की ओर बांहें फैलाता हो,

जहां तर्क का स्वच्छ प्रवाह पक्की आदतों के शुष्क रेतीले रेगिस्तान में गुम न हो गया हो ;

जहां मस्तिष्क को निरन्तर विकसित हो रहे विचारों और कार्यों की ओर अग्रसर करने के लिए आपका मार्ग दर्शन मिलता हो ;

मेरे ईश्वर तू मेरे देश को आजादी के उस स्वर्ग में ले चल ।"

यदि इन शब्दों को आज की परिस्थितियों में लागू किया जाए तो ये किसी की भी आत्मा को आन्दोलित करने के लिए पर्याप्त हैं । हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम टैगोर, विवेकानन्द, सुभाष बोस, गांधी और नेहरू के सपनों के भारत का निर्माण करें। इस गम्भीर स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों को बहुत कठिन भूमिका निभानी है । आइए, हम उस भूमिका को निभाने का प्रयास करें । अन्यथा इतिहास हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा।

श्री केदार पांडे (बेत्तिआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह अभिभाषण बहुत सोच-विचार कर तैयार किया गया है और इसमें राष्ट्र से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया है।

श्री जगजीवनराम ने समाज के ढांचे की ओर संकेत किया है। हम एक पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं और हम इसे बदलना चाहते हैं। बल्कि हम इस पूंजीवादी समाज को बदल कर समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं। और इसके तरीके पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं। श्री जवाहर लाल नेहरू के शासन काल के दौरान—श्री जगजीवनराम जिनके मंत्री मण्डल में एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे—हमने कुछ सिद्धान्तों को स्वीकार किया था, अर्थात्, हमने इस देश को धर्मनिर्पेक्ष देश बनाना है, कि हमने एक समाजवादी समाज बनाना है और हमारी विदेश-नीति गुट-निर्पेक्षता की होगी।

(श्री त्रिदीव चौधरी पीठासीन हुए)

उस समय बंगलौर में एक अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन में 10 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम भी रखा गया था, समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किए गए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि सुधार लागू किए गए, और कई संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्योंकि हमारा समाज एक पूंजीवादी समाज है, इसलिए उसमें शोषण है। उसमें बहुत बड़े-बड़े और ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के श्रम पर जीवित रहते हैं। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया, प्रिवी पर्स समाप्त किए गए और भूमि सुधार किए गए। यह सब कांग्रेस ने किया और श्री जगजीवनराम भी इसमें भागीदार थे। इसलिए कांग्रेस के पिछले 30 वर्षों के शासनकाल के दौरान बहुत कुछ किया गया है। इसमें काई सन्देह नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। हम आज देखते हैं कि समाज में असमानता है, असतोष है और बहुत बेरोजगारी है। इसलिए हमें इस समस्या से निपटना है और इसके उपाय पहले ही तैयार कर लिए गए हैं हमें क्या करना चाहिए हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम देखने को मिलेगा। यह 20 सूत्री कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम के बारे में है इसमें खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और भूमि सीमा अधिनियम के बारे में दिया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम में ये सभी बातें दी गई हैं यह सच है कि इस सकटकालीन स्थिति वाली अवधि में तैयार किया गया था लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि संकटकालीन अवधि के दौरान इस 20 सूत्री कार्यक्रम में एकरूपता और वैज्ञानिकता नहीं थी। यह एक वैज्ञानिक कार्यक्रम था लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की।

अब पूंजीवादी समाज में भी खेतिहर मजदूर हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिलती होगी। उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें जनता पार्टी के शासन-काल में क्रियान्वित नहीं किया गया। जब वे शासन में आए तो क्या हुआ? उन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के बारे में कोई परवाह नहीं की। कांग्रेस शासनकाल में हमने कुछ कानून पास किए थे। मैं 1972 में बिहार का मुख्य मंत्री था। उस समय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम पास किया गया था। हमने उन्हें बहुत हद तक लागू करवाया। लेकिन जब जनता

पार्टी शासन में आई तो उन्होंने उन कार्यक्रमों के लागू किए जाने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टे उन्होंने पूंजीपतियों, राजों, महाराजों और कई बड़े जमींदारों के प्रति सहानुभूति जाहिर की। उन्होंने कई बड़े राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। हमने जो भी कार्यक्रम तैयार किए थे और लागू कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रद्द कर दिया। उस समय श्री जगजीवनराम भी उसमें शामिल थे। उन्हें क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ? वह जनता पार्टी और लोकदल की गलती थी। उन्होंने 2½ वर्षों के अपने शासनकाल में उन कार्यक्रमों को लागू करने की कोई परवाह नहीं की।

यदि आप इस समाज को, पूंजीवादी समाज को बदलना चाहते हैं, इस पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रजातान्त्रिक तरीके से उन कार्यक्रमों को लागू करना पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं किया। श्रीमती गांधी 11 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने वह सब कुछ पूरा किया तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस देश में आरम्भ किया था। आपको यह सच्चाई माननी पड़ेगी। लेकिन जब आप शासन में आए तो आपने इन आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लागू करने की कोई परवाह नहीं की। आपको यह करना चाहिए था। इसलिए आपकी इस गलती के कारण ही जनता ने आपको दण्डित किया है। आप अपनी पकड़ खो चुके हैं। आप अब विपक्ष में हैं और अल्पसंख्या में हैं।

जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है हम देखते हैं कि भूमि सुधार बिगड़ी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की ज्वलन्त समस्या को हल करने की कुंजी हैं। देश में 35.70 लाख चालू जोत हैं। यह संख्या चालू जोत की 70.50 लाख की कुल संख्या का 50.6 प्रतिशत है। केवल 36.70 लाख चालू जोतों में से प्रत्येक में एक एकड़ से भी कम भूमि आती है और इसमें कुल कृषि-योग्य क्षेत्र का केवल 9 प्रतिशत भाग ही आता है। 2.70 लाख जोतों में, जो कुल कृषि योग्य भूमि का 3.9 प्रतिशत हैं कुल कृषि योग्य भूमि का 31 प्रतिशत आता है। यह असमानता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

गत दस वर्षों से भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी बहुत से कानून लागू हैं लेकिन फिर भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुल कृषि योग्य भूमि का 40 प्रतिशत भाग अभी तक 5-6 प्रतिशत भू-स्वामियों के हाथों में है। कृषि जनसंख्या के 60-70 प्रतिशत के पास भूमि का केवल 5 प्रतिशत भाग ही है। जनता पार्टी की सरकार और लोकदल इस मोर्चे पर बुरी तरह असफल हुए हैं। योजना आयोग ने फालतू भूमि का सजग और सन्तुलित प्राक्कलन किया है और इसके आंकड़े 2 करोड़ 15 लाख एकड़ के हैं।

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि केवल 46 लाख एकड़ भूमि ही फालतू भूमि घोषित की गई है। केवल 25 लाख एकड़ भूमि ही सरकार के कब्जे में लाई गई है।

केवल 16 लाख एकड़ भूमि ही भूमिहीन लोगों को वितरित की गई है। वस्तुतः ये भूमि जनता शासन के आने से पूर्व वितरित की गई थी। इसमें जनता पार्टी के शासन अथवा लोकदल के शासन का श्रेय नहीं है। जो कुछ भी श्रेय है वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है। सचाई यही है। हमें माना पड़ेगा। आपने अपने 2½ वर्ष के शासन के दौरान भूमि सुधारों के लिए कुछ नहीं किया है। आपको यह महसूस करना चाहिए और आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि आपने निर्धन व्यक्तियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया गया है वह श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया है जब वह इस देश की प्रधान मंत्री थीं। सचाई यह है। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए।

मूल्यों के बारे में स्थिति क्या है? 1977-78 में मूल्यों में वृद्धि शुरू हो गई थी। वर्ष 1976-77 की तुलना में मासिक औसत वृद्धि 8 प्रतिशत थी। विगत में किसी समय की तुलना में इस समय मूल्य बहुत अधिक है। थोक मूल्यों का सूचकांक प्रचलित मूल्य स्थिति को सही दर्शाने वाला नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सही मार्ग दर्शक के रूप में माना जाना चाहिए। अप्रैल, 1978 और दिसम्बर, 1978 के बीच कम से कम 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले वर्षों में हुई व्यापक वृद्धि से सर्वोपरि है। यदि हम श्री चरण सिंह के बजट पर निगाह डालें तो हमें पता चलता है कि इसमें 1071 करोड़ रुपये का घाटा है। अनुदानों की दो अनुपूरक मांगों से घाटे में वृद्धि होकर यह 1400 करोड़ रुपये का हो जाएगा। गत तीन वर्षों में इसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई है। इस भारी घाटे से दुखद परिणाम होने वाले हैं। वित्तीय बुद्धिमता अथवा सावधानी को तिलांजलि दे दी गई है। 1972-74 के बीच धन को सप्लाई में 42 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह मुद्रा-स्फीति विषयक ऐसी अग्नि है जो खाद्यान्नों के बड़े भण्डारों तथा विदेशी मुद्रा के अधिकतम ससाधनों से नहीं बुझाई जा सकती और शमन की जा सकती। बढ़ी हुई धन की सप्लाई को मूल्यों पर प्रभाव डालने में कम से कम 16 महीने और 24 महीने के बीच लग जाते हैं। अतः मूल्यों में स्थिरता लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें मालूम है कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य स्थिरता लाना बहुत मुश्किल कार्य है। हमारे देश की एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था है। यह पूरी तरह से विकसित राष्ट्र नहीं है। वास्तव में यह स्वाभाविक है कि हमारे यहां कुछ मुद्रा-स्फीति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस समय इस देश में सर्वाधिक मुद्रा-स्फीति है। यही आजकल हम देख रहे हैं। यह जनता शासन की देन है। वह देन क्या है? हम कह सकते हैं कि यह एक दिवालिया अर्थ-व्यवस्था है। अब इसे किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए और इसमें सुधार लाया जाये यह एक कठिन प्रश्न है। अत्यधिक बेरोजगारी है और हतोत्साहित नौकरशाही है। आपने इस बारे में क्या किया है? क्या आपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ किया है? आपको इस बारे में सोचना चाहिए। गत 2½ वर्षों के दौरान आपने यह स्थिति प्राप्त की है।

ऊर्जा के बारे में स्थिति क्या है ? ऊर्जा की कुल क्षमता का केवल 48 प्रतिशत उपयोग किया गया है। ऊर्जा क्षमता का 52 प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ा है । इसका कारण क्या है ? यह कारण आपका कुप्रबन्ध और कुव्यवस्था है । यह स्थिति है । आपको इस बारे में महसूस करना चाहिए । अतः आपको निम्न दो महत्वपूर्ण कारणों से चुनाव में पराजय मिली है। एक कारण आपके शासन के दौरान कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से बिगड़ जाना है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि आप मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि वह हमें बतायें कि जिस समय जनता पार्टी ने शासन सम्भाला था उस समय देश की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति क्या थी ?

श्री केदार पांडे : उसका उल्लेख मैंने 1974-77 और 1972-74 के वर्षों के लिए किया है । उस समय व्यापार सन्तुलन और अन्य सभी बातें बहुत बेहतर थीं। इस समय मैं केवल दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं जिसका उत्तर आप लोगों को नहीं दे सके और इसलिए आपकी पराजय हुई। एक कारण जनता पार्टी और लोकदल के शासन के दौरान देश में कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से बिगड़ जाना है । दूसरा कारण मूल्यों में वृद्धि है । और आप इन दो मामलों पर जनता को उत्तर नहीं दे सके, इसलिए आपकी पराजय हुई । ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो आपकी हार के लिए जिम्मेदार हैं और जो हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। आपको यह स्वीकार करना चाहिए । सचाई यही है । आप प्रशासन चलाने में असफल रहे हैं ।

(व्यवधान) अब हम यह करेंगे । इस देश में कानून और व्यवस्था के बेहतर प्रशासन से हमें अपनी सफलता पर विश्वास है। दूसरे हमें मूल्यों को कम करने का प्रयास करना चाहिए । कुछ हद तक मूल्य स्थिर लाए जाने चाहिए । ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं और हमें अब इन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में होना चाहिए ।

इस देश में एक कठिनाई है । इस समय विभिन्न राज्यों में राज्य विधान सभाएं हैं। वे आपकी अर्थात् जनता पार्टी अथवा लोकदल, जैसी भी स्थिति हो, की बनाई हुई है। मुझे नहीं मालूम कि वे इन दो प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देंगी । इस समय यह कठिनाई है । क्योंकि हमारा संघीय ढांचा है अतः हमें कुछ समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए कि इस कठिमाई पर किस तरह काबू पाया जाए और इसको किस प्रकार हल किया जाए और कानून और व्यवस्था को किस प्रकार सही स्थिति में रखा जाए तथा मूल्यों को किस प्रकार कम किया जाए। ये दो बातें हैं। अतः आपको अपनी पराजय स्वीकार करनी चाहिए । 43 प्रतिशत और 57 प्रतिशत मत का हिसाब नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं श्री जगजीवनराम से पूरी तरह सहमत हूं जब उन्होंने कहा था :

"इस तर्क को मत करें ।" सचाई यह है कि आपकी हार हुई है जिसे आपको स्वीकार

करना चाहिए । इस मामले के महत्व को यह कह कर बचाव न करने का प्रयास करें कि हमें 43 प्रतिशत लोगों ने वोट दिए और आपको इतने प्रतिशत मत मिले हैं । यह गलत तर्क है । वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे में यह ऐसी पद्धति है जो इस देश में, ब्रिटेन में जिसका आप अनुसरण करते हैं, प्रचलित है । अत आपको अपनी गलतियों का पता लगाना चाहिए और महसूस करना चाहिए आपको जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और इस सरकार के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए और आपको इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए । स्थिति यही है और मैं महसूस करता हूं कि आप यह अनुभव कर रहे हैं । अतः आपकी आवाज, आपके भाषण और व्यवहार में पूरी तरह से आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं ।

श्री चित्त बसु (बारसात) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, जिस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश के राजनीतिक दृश्य-विधान की बड़ी-बड़ी वास्तविकताओं को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है । अभिभाषण में कुछ सीमा तक एकरूपता नहीं है । अभिभाषण में कुछ ऐसी गलतियां हैं और तथ्यों को इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है जो इस सदन के माननीय सदस्यों और लोगों के नोटिस में आने से नहीं रह सकते हैं ।

राष्ट्रपति ने सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा भारी जनादेश से प्राप्त की गई विजय का उल्लेख किया है । मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अन्य माननीय सदस्य उस कल्पना का भंडाफोड़ कर चुके हैं, क्योंकि तथाकथित भारी जनादेश में कोई व्यापकता नहीं है । तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि कुल मतदाताओं के केवल 57% ने अपने वोट डाले थे और उसमें से केवल 42.6 प्रतिशत वोट सत्तारूढ़ दल को मिले थे । इसका अर्थ यह है, आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे, कि कुछ मतदाताओं के केवल लगभग एक चौथाई मतों के प्राप्त होने से सत्तारूढ़ दल को दो तिहाई बहुमत मिल गया है जिसका अर्थ अन्तिम विश्लेषण में यह है कि अल्पमत का बहुमत पर शासन । यह विरोधाभास स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई है कि हमारी निर्वाचन प्रणाली में कुछ त्रुटियां निहित हैं जिससे एक बार पुनः चुनाव में सुधारों को तत्काल करने की आवश्यकता है । यह विरोधाभास स्थिति तभी समाप्त हो सकती है यदि हम व्यापक रूप से स्वीकृत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अपनी निर्वाचन प्रणाली का मूल आधार बनायें ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश में हुए आम चुनावों में साम्प्रदायिक और जातिवाद पर आधारित तत्वों की करारी हार का कोई उल्लेख नहीं है । चुनाव के परिणामों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि हमारे मतदाताओं ने राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर ली है और उन्होंने देश की राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति साम्प्रदायिक और जातिवाद की प्रवृत्ति को अस्वीकार कर दिया है। मतदाताओं ने हिन्दू राष्ट्र के घातक सिद्धान्त को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने साम्प्रदायिक और जातिवादी ताकतों की बजाय धर्म-निरपेक्ष शक्तियों के पक्ष में अधिक व्यवस्थित तरीके से अपना निर्णय दिया है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारे देश में उत्पन्न हुई नई स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विशेष रूप से उन्होंने सातवीं लोक सभा में बड़ी संख्या में वामपंथी और लोकतंत्रात्मक तत्वों के आने का कोई उल्लेख नहीं किया है। इन वामपंथी और लोकतांत्रिक तत्वों से भविष्य के लिए अच्छी आशा बंधती है जो बुर्जुआ जमींदारों की पार्टियों चाहे वे एकल हों अथवा मिली हुई हों, के स्थान पर एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प देने की स्थिति में हो सकती है। चुनाव के परिणामों से निःसंदेह यह भी सिद्ध हुआ है कि इस देश की जनता तीसरे विकल्प की खोज में है। जहां कहीं भी जनता को इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हुए हैं उन्होंने जान-बूझ कर, सचेत हो कर और दृढ़ता से इस विकल्प को अपनाया है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल के चुनाव परिणामों ने इस तथ्य को उजागर कर दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि आज एक दूसरे से भिड़ने की नीति के स्थान पर सहयोग की भावना अपनाई जाने की आवश्यकता है। परन्तु वास्तविक स्थिति से पता चलता है कि सत्तारूढ़ दल ने भिड़न्त की नीति अपनाई है, सहयोग की भावना नहीं। मैं हाल ही में केवल तीन केबिनेट मंत्रियों के वक्तव्यों का उल्लेख करना चाहता हूं।

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री, श्री पी० के० मुखर्जी, ने यह कहा है :

"केन्द्र में कमजोर सरकार के होने की बात उन्हें (पश्चिमी बंगाल) भूल जानी चाहिए। हमें अपनी शक्ति का पता है और जानते हैं कि राज्य सरकार से विधान को किस प्रकार कार्यान्वित कराया जाय" (नेशनल हेराल्ड' 27 जनवरी)।

एक अन्य केन्द्रीय केबिनेट मंत्री, श्री पी०सी० सेठी कहते हैं :

"यदि राज्य सरकारें केन्द्रीय कानूनों को कार्यान्वित नहीं करती हैं तो ऐसी राज्य सरकारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।" मैंने यह अंश 27 जनवरी के नेशनल हैराल्ड से उद्धृत किया है। श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी इन दोनों मंत्रियों से आगे बढ़ गए हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को बंगाल की खाड़ी के पानी में डुबोने की निष्ठापूर्वक शपथ ली है।

प्रो० मधु दंडवते : बंगाल की खाड़ी लाल समुद्र में बदल जाएगी।

श्री चित्त बसु : हमें प्रसन्नता होगी यदि बंगाल की खाड़ी लाल समुद्र में बदल जाए। क्या इससे सहयोग की भावना का पता चलता है? वस्तुतः इससे चुनौती का चलता है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1980 वर्ष 1970 से अलग प्रकार है। आठवां दशक सातवें दशक से भिन्न होगा। अपने अधिकारियों पर टिकी हुई किन्हीं गैर-कांग्रेस (आई) राज्य सरकारों पर किसी प्रकार के एकपक्षीय हमले के खिलाफ हम पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों का जनादेश प्राप्त किया हुआ है। ये राज्य सरकारें केन्द्र सतारूढ़ दल के किसी दान पर

नहीं टिकी हुई हैं जिसे वह अपनी सुविधा पर किसी उपयुक्त समय पर वापस लें ले। केबिनेट मंत्रियों के माध्यम से इस प्रकार की घोषणाएं करते हुए राज्य सरकारों को गिराने के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधान मंत्री के एक तथाकथित दूत देश का दौरा कर रहे हैं जो दल-बदल करवा रहे हैं और विद्यमान राज्य सरकारों को गिराने के तथाकथित प्रयास कर रहे हैं। इससे केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अत्यन्त तनावपूर्ण सम्बन्धों का पता चलता है। यह न केवल निन्दनीय है अपितु संघीय राज्य मूल सिद्धान्त के विपरीत भी है। यह वे हैं जिन्होंने हमारे संविधान के संघीय सिद्धान्त पर हमला करना शुरू किया है। लोगों को सावधान रहना चाहिए और उन्हें सत्तारूढ़ दल की ओर से किए जाने वाले ऐसे किसी प्रयास का विरोध करना चाहिए।

इन सभी घटनाओं से जो बड़ी तेजी घटित हो रही हैं। विश्वास करना पड़ता है कि संसदीय सत्तावाद और यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त संसदीय सत्तावाद के दिनों की वापसी शीघ्र आने वाली है और इससे लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, हमारे देश में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को भारी खतरा है और इन सभी प्रयासों का मुकाबला करना चाहिए और विरोध करना चाहिए। इसके बारे में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। हम इस तरफ से सदैव संसदीय सत्तावाद, अतिरिक्त संवैधानिक सत्तावाद के खिलाफ रहेंगे क्योंकि इससे लोकतांत्रिक प्रणाली को भारी खतरा बना हुआ है।

राष्ट्रपति ने राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित नई चुनौतियों का उल्लेख किया है। निःसन्देह ये चुनौतियां विशाल हैं। हम गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था वस्तुत: अधिक मूल्य, मूल्य के मोर्चे पर अस्थिरता, भारी मुद्रास्फीति, बढ़ता हुआ व्यापारिक घाटा, लड़खडाती हुई घाटे की अर्थ-व्यवस्था, भारी कर भार के प्रभाव के अन्तर्गत चल रही है जिससे गतिरोध बना हुआ है और कभी-कभी उत्पादन में गिरावट आई है। इस संकट से अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिए आमूल-चूल सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम की आवश्यकता है। संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन ही हमारी अर्थ—,व्यवस्था के मूल स्वरुप में रिवर्तन ला सकते हैं। परन्तु ऐसे आमूल-चूल आर्थिक कार्यक्रमों का उल्ले खकरने की बजाए राष्ट्रपति ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम का बड़ा-चढ़ा कर उल्लेख किया है। आवश्यकतया यह यथा स्थिति कार्यक्रम है, इससे तसल्ली देने के सिवाय और कुछ नहीं होता है और न ही इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था की संख्या तथा ढांचे में कोई मूल परिवर्तन होता है। अतः मैं कहना चाहूंगा कि यह बीस सूत्री कार्यक्रम, चाहे ईमानदारी से लागू किया जाए, अर्थव्यवस्था को इसकी बुरी हालत से उबार नहीं सकता है। विगत की भाति इस बार भी यह अर्थव्यवस्था को उसकी बुरी हालत से उबरने में बुरी तरह असफल रहेगा।

आज प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रहार किया जा रहा है। प्रेस की स्वतन्त्रता हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्रिमंडल स्तर के कतिपय मंत्रियों की कतिपय घोषणाओं का उल्लेख करता हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री वसंत साठे ने कहा था :

"यदि प्रेस को वास्तव में स्वतंत्र होना है तो वह पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकती ?"

इसका क्या मतलब है ? इसका स्पष्ट मतलब है कि जब प्रेस पक्षपातपूर्ण बर्ताव करेगा तो उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जायेगी । पक्षपातपूर्ण प्रेस की देख रेख करने के लिए कौन है ? इसके लिए आप नहीं, सरकार है । पाठक गण पक्षपातपूर्ण प्रेस की देख रेख करते हैं ।

इसके बाद श्री साठे ने कहा है कि : "अब हम प्रेस के बारे में निर्णय उसकी निष्पक्षता के आधार पर करेंगे ।"

तो प्रश्न उठता है । कि इस निष्पक्षता का मानदंड क्या चापलूसी है ? या निर्भीकता ? सरकार की मांग चापलूसी है ? निर्भीकता नहीं ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने आगे कहा है कि :

"यदि कोई जानबूझकर प्रशासन को बदनाम करता है तो मंत्रालय और प्रेस तथा संचार माध्यम के बीच पारस्परिकता समाप्त हो जायेगी ।"

"पारस्परिकता" से उनका क्या मतलब है ? क्या यह स्वतंत्र प्रेस के लिए चुनौती नहीं है ?

अतः अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि सत्तावाद के प्रति स्पष्ट प्रवृत्तियाँ, जोरदार प्रवृत्तियां हैं । सभा का यह कार्य है कि वह सत्तावाद की उन प्रवृत्तियों के विरुद्ध जोरदार ढंग से आवाज उठाये । इसे दृढ़तापूर्ण कुचला जाना चाहिए ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था । मुझे यह जानकर खेद है कि मुझे इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि राजनीतिक स्थिति बदल गई है और उन्हें वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में भिन्न भूमिका निभानी है ।

विपक्ष के माननीय सदस्यों ने चुनाव सुधारों के बारे में कहा है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा किए जाने की आवश्यकता है । इससे उत्पन्न किसी भी नई व्यवस्था का हम विरोध नहीं करेंगे । । परन्तु इस समय विपक्ष के सदस्यों द्वारा वाह-वाही के दौरान बार-बार यह बताया गया है कि हम इस देश के 45 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि वे 57 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि राजनीति गणित के नियमों से नहीं चलती और यह कि राजनीति में दो और दो सदैव चार नहीं होते हैं । यहां तक कि साम्यवादी (मा०) के नेता ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं और वह 57 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करने पर बड़ा जोर दे रहे थे । यहां वह किनके विचार व्यक्त करेंगे ? क्या वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूरे साम्प्रदायिक रंग सहित उसकी राय के

बारे में आवाज उठायेंगे ? क्या वह जनता पार्टी के सत्ता-लोलुप व्यक्तियों के मतानुसार चलेंगे ? या क्या वह अब भी लोक दल के धनाढ्य किसानों के विचारों के साथ रहेंगे ? मैं आशा और कामना करता हूं कि वामपंथी दलों को अपना बचाव करना चाहिए और यह कहना बंद करना चाहिए कि वे 57 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि विपक्ष के दल अब भी दलों के एक ऐसे सिद्धान्तहीन समूह, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है और जो अपने घोर आक्रोश और नैराश्य के कारण एक साथ बंधे हुए हैं, के रूप में काम करने को तरजीह देते हैं तो निःसंदेह उनकी हालत वर्तमान हालत से भी ज्यादा खराब होने वाली है। परन्तु यदि राजनीतिक दलों की कोई वैचारिक आधारशिला नहीं है और वे उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो 57 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करने का विचार कोरी कल्पना मात्र है। कांग्रेस (इ) भारतीय जनमत की वास्तविक राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व करती है।

इतने अधिक कटु अनुभव के बाद भी यदि विपक्ष यह नहीं समझता है कि 'ग्रांड एलाएन्स' की पुरानी नीति नहीं चलने वाली है तो उन्हें भगवान ही बचा सकता है। इस समय वे आने वाले उपचुनावों के लिए सीटों का विभाजन करने में व्यस्त हैं और श्री फर्नांडिस ने सभी दलों द्वारा संयुक्त अभियान के लिए प्रचार करने का बड़ा कदम उठाया है। यदि मूल आस्थाएं और विचारधारा आपके लिए कुछ भी नहीं हैं और आप साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद के कण्ठपाश को शान के नमगे के रूप में अपने गले में पहनना चाहते हैं तो आपका सर्वनाश अवश्यम्भावी है। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में लोगों की आस्था के उमड़ते हुए ज्वार को आप इस तरह नहीं रोक सकते हैं।

दूसरा भय जो उन्हें आंतकित किये हुए है वह है श्री संजय गांधी की छवि। वह इस सभा के माननीय सदस्य हैं और यहां पर लोगों की स्वीकृति से आए हैं और लोक दल को तो कम से कम उनका आभारी होना चाहिए जो उनकी नीति से उसके नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनने की जीवन की आकांक्षा फलीभूत करने में सहायता मिली। यह महान आश्चर्य है कि वह लोक सभा में बिना आवश्यक समर्थन के और एक दिन के लिए भी लोक सभा के समक्ष गये बिना ऐसा कर सके। **(व्यवधान)**

मैं आशा करता हूं कि आप यह महसूस करें मैं वास्तविक स्थिति दे रहा हूं।

अब हमने आप से विरासत में क्या लिया है ? कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है और देश के सभी भागों में प्राधिकार पूर्णतया समाप्त हो गया है परन्तु 33 मास लम्बे शासन की सर्वाधिक विशिष्ट बात यह रही कि आर० एस० एस० के खतरे का पुनरुत्थान हुआ और असीम शक्ति तक उसकी पहुंच हो गई। हमारे देश के लिए वह दुर्भाग्य का दिन था जब हमने देखा कि जनता पार्टी के सभी नेता एक पंक्ति में खड़े हुए, सिर झुकाए हुए और अपने हाथों में माला लिए हुए आर० एस० एस० के सर संघ चालक का सम्मान करने के लिए खड़े हैं।

उस समय आर० एस० एस० दस वर्षों के भीतरी सत्ता हथियाने की बात कर रहा था।

राष्ट्रपति का अभिभाषण इस तथ्य का प्रमाण है कि, सभी तरफ, हमारा तात्पर्य है कि हम लोगों को दिए आश्वासनों को पूरा करें। यह घोषणा की गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप शीघ्र ही बहाल किया जाएगा। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में उनका अधिकारपूर्ण स्थान प्रदान करेगी। वस्तुतः यह आश्वासन का प्रश्न नहीं है ; यह हमारी आस्था का प्रश्न है। मुझे यहाँ यह कहने का गर्व है कि हमारी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने आर० एस० एस० और जनसंघ को सदैव दूर रखा है और सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके साथ शक्ति का कभी वितरण नहीं किया है। कांग्रेस जन बहुत से प्रश्नों पर मतभेद कर सकते हैं परन्तु जहां राष्ट्रीय हित, धर्मनिरपेक्षता का सम्बन्ध है, मैं आपको स्वयं विपक्ष के सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम कभी नहीं डगमगाएंगे।

आज देश सुरक्षित हाथों में है। हमें विश्वास है कि प्रधान मंत्री आसाम की स्थिति तथा हमारी पूर्वोत्तर सीमाओं पर विस्फोटक स्थिति का समाधान करेंगी और शीघ्र ही हालत को सामान्य बनायेंगी। अफगानिस्तान में हमारी पूर्वी सीमा पर युद्ध भड़कने के लिए घटनाएं तेजी से घट रही हैं। इस स्थिति के सम्बन्ध में पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के अमरीकी रुख से हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसी प्रकार वर्तमान त्रिपक्षीय सम्बन्ध, अर्थात् अमरीका, पाकिस्तान और चीन में परस्पर गठबन्धन से समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि वर्तमान स्थिति पर समय पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो उससे देश में हमारी प्राथमिकताओं के पूर्णतया अस्तव्यस्त हो जाने की सम्भावना है। हम अपने मित्र, जिन्होंने अभी-अभी भाषण दिया है, मैं पूर्णतया सहमत हूं कि रूस एक ऐसा मित्र है जिस पर निर्भर किया जा सकता है और जिसने संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया है। प्रधान मंत्री ने पद ग्रहण करने से पहले ही पहल की और इस स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि संकट को कम करने तथा तनाव दूर करने के लिए हर प्रयास करने में ही हमारे राष्ट्रीय हित हैं।

आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में जनता पार्टी और लोकदल से मिली विरासत सर्वाधिक अवांछनीय है जो शेष बचा अत्यधिक आर्थिक संकट है। आर्थिक विकास कम होकर शून्य रह गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल राष्ट्रीय आय कम होकर एक प्रतिशत रह गई है। मुद्रास्फीति की दर प्रति मास लगभग डेढ़ प्रतिशत है। वस्तुतः यह तेजी से होने वाली मुद्रा-स्फीति है, आर्थिक गतिरोध है और एक ऐसी मुद्रा-स्फीति जो एक दूसरे की पूरक है। व्यापारिक घाटा लगभग 2000 करोड़ रुपये का है। तेल का बिल 5000 करोड़ रुपये तक होने वाला है जो निर्यात आय का 80 प्रतिशत है। विद्युत उत्पादन, जैसा कि श्री पांडे ने अभी बताया है, अधिष्ठापित क्षमता के 48 प्रतिशत के निम्न स्तर पर हुआ है। परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों से स्थिति और गंभीर हुई है। इस वर्ष लगभग 5 करोड़ जनदिवसों की हानि हुई है और श्रमिक अशान्ति

दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। बेरोजगारी को दस वर्षों में समाप्त करने की जनता पार्टी की घोषणा के साथ बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है तथा उपलब्ध रोजगारों की प्रतिशतता कम हुई है। घाटे की अर्थव्यवस्था को अंधाधुंध अपनाया गया और यहां तक कि सट्टे सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए भी ऋण सुविधाएं उदारता-पूर्वक उदार की गईं। योजना प्रक्रिया को ठप्प कर दिया गया, पूर्णतया छोड़ दिया गया। औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कमियों के साथ आर्थिक जगत में पूर्ण गड़बड़ी हो गई है।

अभिभाषण में प्रमुख क्षेत्रों में जन उपयोग की वस्तुओं की अधिकाधिक उपलब्धता और मूल्यनियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए कमियां दूर करने के तत्काल उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित और परिभाषित किए गए हैं। सभी प्रयास अप्रयुक्त क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किए जाने की ओर किए जाएंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का न केवल विस्तार किया जाना है अपितु उसे पूर्ण रूप से नई दिशा दी जानी है ताकि समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों के उचित हितों की रक्षा की जा सके।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को ठीक ढंग से बहाल किया गया है और मुझे आशा है कि इस पर पूरी गति के साथ आगे कार्यवाही की जाएगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उसे मिले भारी जनादेश का उपयोग करेगी तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के युग में पदार्पण करेगी जो केवल अस्थायी परिवर्तन नहीं होगा अपितु मौलिक स्वरूप का होगा ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में एक स्वचालित जन-समर्थक सन्तुलन बनाए रखा जा सके।

हमें खुशी है कि राष्ट्र के भाग्य का मार्ग-दर्शन करने के लिए श्रीमती गांधी का प्रभावशाली व्यक्ति एक बार फिर सत्ता में आया है। हम यह भी आशा करते हैं कि विरोधी वर्गों के साथ कांग्रेस-विरोधी होने का बर्ताव ही नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें भी चाहिए कि वे क्षणिक और मिथ्या लाभ के लिए अपने सिद्धान्तों और अस्तित्व की सौदेबाजी न करें।

हमारी नेता ने घोषणा की है कि उन्होंने तैंतीस महीनों के भयावह अनुभव को भुला दिया है और किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत बदले की भावना से काम नहीं किया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष भी बीते हुए समय से नहीं जुड़ा रहेगा परन्तु भविष्य की ओर देखेगा। उन्हें अपने वर्तमान नैराश्य को जीतना चाहिए और एक आत्म-निर्भर देश का निर्माण करने, समान और उचित व्यवस्था बनाने और हमारे लोगों के लिए श्रेयस्कर भविष्य सुनिश्चत करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

श्री सतीश प्रसाद सिंह (खगरिया) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए कुछ बातों की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो 1952 से ही कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न विचारधाराओं के लोग पार्टी के रूप में देश के सामने आये और उस समय मे यह प्रयास रहा कि कांग्रेस को अपदस्थ कर के शासन में आवें। लेकिन 12 वर्ष के बाद इन लोगों ने यह अनुभव किया कि अलग-अलग विचारधारा रख कर हम लोग सरकार में नहीं आ सकते। ऐसी हालत में सारी पार्टियों ने मिल कर संविद की सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी इस मल्क के लोगों ने पूरे-का-पूरा शासन इन लोगों के हाथ में नहीं दिया और दस राज्यों में संविद की सरकारें बनीं, लेकिन केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ही रही। उन संविद की सरकारों का जो रवैया रहा, उस से यह साफ जाहिर हो गया कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग मिल जुल कर सरकार नहीं चला सकते, वे सरकारें बिखरीं, टूट गईं और फिर सारे मुल्क में यहां की जनता ने कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया। उस के बाद जितने विरोधी दलों के नेता थे, उन सबने जनता के बीच में यह बात रखी कि अगर हम लोगों को सेन्टर में भी मौका मिलता तो हम द्रुत गति से जनता का फायदा कर सकते थे, जनता की समस्याओं को जो कांग्रेस धीरे-धीरे हल करना चाहती है, हम उसको द्रुत गति से हल कर सकते थे और कम समय में देश का नक्शा बदल देते। इन बातों के लिए भी प्रयास करने में उनको 10 साल का वक्त लगा। उसके बाद 1977 में जनता के सामने इन लोगों ने सब पार्टियों को मिलाकर कहा कि हम एक पार्टी हो जाते हैं, हमें मौका दीजिए। और जनता पार्टी नाम रख दिया, जनता के हितों के लिए। इससे जनता के मन में यह बात उठी कि हो सकता है कि कांग्रेस धीरे-धीरे देश में प्रोग्रेस कर रही है और अगर इन लोगों के हाथों में सत्ता दी जाए, तो हो सकता है कि द्रुत गति से हम लोगों को कुछ फायदा मिले, हम आगे बढ़ें और हम लोगों में खुशहाली आए। इसलिए सन् 1977 में जनता ने इन लोगों को जिताया और स्टेट्स में भी और केन्द्र में भी सरकार बनाने का मौका दिया और बड़ी उम्मीदें लेकर यह मौका दिया था कि अब हम लोगों के लिए अच्छे दिन लौटने वाले हैं। लेकिन जो कुछ हुआ, वह सबको मालूम है। इन लोगों ने शुरू-शुरू में जब सरकार का काम सम्भाला, तो कुछ दिनों तक तो लोगों के मन में यह आशा जगी रही कि हम लोगों की प्रगति होगी लेकिन बिभिन्न विचारों के इन लोगों ने एक नाम रख कर विभिन्न दिशाओं में खींचातानी शुरू कर दी। खींचातानी आपस में बढ़ने लगी और वह इतनी बढ़ी कि ढाई साल भी जनता पार्टी नहीं चल सकी और उसकी सरकार बिखर गई, दो भागों में वह बंट गई और फिर सरकार टूट गई।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक बात जनता पार्टी की ओर से पिछले आम चुनाव में बड़े जोरों से यह कही गई कि आप लोग जनता पार्टी को वोट देगें, तो हम श्री जगजीवन राम जी को प्रधान मंत्री बना देगें। जब जनता पार्टी बहुमत में चुनावों में आई थी, तो उस समय उन्होंने अपने यहां चुनाव नहीं करवाया। श्री जगजीवन राम जी को प्रधान मंत्री न बनाने के लिए कुछ लोगों ने चुनाव नहीं होने दिया और श्री मोरारजी भाई को प्रधान मंत्री बनाया। फिर भी जनता पार्टी ने इस बार एक इस तरह का काम किया है, जो कि मैं समझता हूं कि दुनिया की किसी भी प्रजातन्त्रीय प्रणाली में नहीं होता है। इन्होंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में प्रधान मंत्रीका नाम पहले लिख दिया। दुनिया में इस किस्म की एक भी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। यह सभी जानते हैं

कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली में जिसके ज्यादा लोग रहते हैं, उसका ही प्रधान मंत्री होता है लेकिन इन्होंने पहले ही डेक्लेयर कर दिया।

इसलिए कि जनता पार्टी यह दिखाना चाहती थी कि जगजीवन राम जी आथेरीटेरियन हैं और वे यह चाहते हैं कि मेरा नाम पहले से ही मैनीफैस्टो में दे दिया जाए। इसके बाद आप यह देखिये कि चौधरी साहब जनता पार्टी से अलग हुए और उन्होंने लोक दल बनाया और बीच में उनको सरकार से श्री मोरारजी भाई ने निकाल दिया था, तो एक बड़ा प्रदर्शन भी किया दिल्ली में और कोनउ फिर से सरकार में रख लिया गया लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी मुराद थी कि जिन्दगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो यों ही मरना बेकार है। इसलिए उन्होंने अथक परिश्रम किया और बाद में प्रधान मंत्री बन गये लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक दल के आदमियों को तो कम से कम इन्दिरा जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इन्दिरा जी ने ही चौधरी साहब का जीवन सुधारा है। इस बात को वे याद रखें कि अगर इन्दिरा जी उनका समर्थन नहीं करतीं, तो उनका नाम प्रधान मंत्री के लिए नहीं आता।

अब एक सवाल और उठता है। हमारे एक पुराने मित्र हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ बहुत दिनों तक काम किया है और वे हैं सी० पी० आई० के मित्र। अब वे भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। जब बीस-सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसकी ताईद करने वाले यही थे, इमर्जेन्सी की ताईद करने वाले सी० पी० आई० वाले ही थे लेकिन एक बात सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि इनका रवैया शुरू से ही एक जैसा रहा है कि यह पार्टी हमेशा सरकार के पीछे रही है। जिस समय अंग्रेज थे, और यहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी सी० पी० आई० अंग्रेजों के साथ थी। जब इन्दिरा जी का 20-प्वॉइन्ट प्रोग्राम आया और गरीबों के लिए भलाई की बात हुई, तो इन्होंने कहा कि हम भी गरीबों का भला करना चाहते हैं। उस वक्त वे कांग्रेस के साथ थे और जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो फिर वे जनता पार्टी के साथ हो गये। और जब लोक दल की सरकार बनी तो वे लोक दल के साथ हो गये, इससे साफ जाहिर हो गया है कि वह पार्टी सत्ता परस्त है और सत्ता के साथ रह कर ही फायदा उठाना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर वे हमारे साथ आ जाएंगे और यह कह करके आ जाएंगे कि आपके साथ रह कर गरीबों के लिए काम करेंगे।

सी० पी० एम० के लोग बहुत उतावले हो जाते हैं। वे कहते हैं कि गनी खां चौधरी साहब ने क्यों कहा कि इस पार्टी को बंगाल की खाड़ी में भेज देंगे। यह बात सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी के द्वारा ही इस पार्टी का जन्म हुआ और वहीं यह बनी है। इस पार्टी का प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है और न कभी था। न इस पार्टी की चुनावों में मान्यता थी और न अभी भी है। एक बात सभी सदस्यों को जान लेनी चाहिए कि जो रवैया पार्टी ने बंगाल और केरल में अख्तियार किया है, वह कोई भी प्रजातंत्र प्रेमी आदमी अख्तियार नहीं कर सकता है। चुनावों में इन्होंने गांव वालों के साथ जो व्यवहार किया वह मैं आपको बताना चाहता हूं। उन लोगों को इन्होंने जबर्दस्ती वोट डालने के लिए जाने नहीं दिया और जबर्दस्ती वहां बूथ कैपचरिंग किया गया। अगर गनी खान चौधरी साहब

ने ऐसी बात कही तो कोई गलत बात नहीं कही है। ऐसी पार्टी यहां नहीं पनप सकती है और न उसे पनपने देना चाहिए जो देश के हित में नहीं है और समाज के हित में नहीं है।

आप यहां कहते हैं कि हम लोगों को चुनावों में कम परसेंट वोट मिले। लेकिन मैं आप से कहता हूं कि आप अगर अलग-अलग चुनाव न लड़े होते तो आप का परसेन्टेंज बहुत कम होता और कांग्रेस का बहुत ज्यादा होता। क्योंकि बहुत से मतदाता किसी जाति विशेष पर वोट देते हैं, बहुत से लीडरशिप पर वोट देते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कांग्रेस को कम वोट मिले।

दूसरी बात सी० पी० एम० के सम्बन्ध में जो गनी खान चौधरी साहब ने कही है, उस पर हमारी प्राइम मिनिस्टर को भी ध्यान देना चाहिए।

जो वहां चुनावों में हुआ, उसके लिए वहां इंक्वायरी होनी चाहिए। लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया, उन्हें बूथ्स पर नहीं जाने दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पर यहां बहुत जोरों से कहा जाता है कि हम लोगों की केरल में जीत हुई, वेस्ट बंगाल में जीत हुई। वहां के सब लोगों को मालूम है और मेरा प्रान्त चूंकि बगल में है, इस लिए हम लोगों को भी मालूम है कि किस प्रकार से इन लोगों की वहां जीत हुई है। कोई भी राज्य सरकार इस ढंग से चुनावों में नहीं कर सकती है जो वहां की राज्य सरकार ने किया है। मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

एक बात आपको और जान लेनी चाहिए। यह सब कुछ हुआ और उसके बाद भी कांग्रेस शासन में आई, विरासत में हम लोगों को जो कृषि व्यवस्था खराब मिली है, वह बड़ी दुखद स्थिति है। मैं आपको खास कर बिहार में कृषि की हालत के बारे में बताना चाहता हूं। वहां हालत यह है कि रात को काश्तकार अपने खेत में नहीं रह सकता है। उसकी खेती का सामान गायब हो जाता है। पम्पिगसेट का सामान गायब हो जाता है। यह सामान उससे छीन लिया जाता है और उसे मारा जाता है। भले आदमी काम खत्म होते ही अपने घरों को चले जाते हैं। मैं एक ही क्षेत्र के दो प्रखण्डों में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में सारे सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपोजीशन के सदस्य भी इस बातों पर गौर करेंगे और विचार करेंगे।

मैं प्रधान मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि ये जो घटनाएं हैं, जिस ढंग से ये घटती हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए और जिस तरह से एक ही प्रान्त के किसी एक भाग में वे इस तरह से घटती हैं तो उनकी तरफ तो विशेष ध्यान जाना चाहिए। कांग्रेस के शासन में पहले भी हत्या हुई होंगी लेकिन इस तरह से नहीं। मैं दो ही प्रखण्डों की बात आप के सामने रखना चाहता हूं और वे हैं नौगछिया और गोपालपुर प्रखंड, जो एक ही विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं। वहां से जो रिपोर्ट मिली हैं उनके आधार पर ही मैं आपको ये सब डिटेल्ज दे रहा हूं। 1977 के इलैक्शन के बाद थाना नागाछिया के ए० एस० आई० को 31, राजपथ पर शाम को गुंडों ने गोली मार दी। उसके कुछ दिन के बाद एस० डी० ओ० ट्यूबवैल की पत्नी की हत्या नौगछिया बाजार में गुंडे तत्वों ने कर दी। जगदपुर ग्राम, थानानौगछिया के बासा पर तीन व्यक्तियों की हत्या कुल्हाड़ी

से काट कर 1978 में कर दी गई। एक सप्ताह के अन्दर बारह व्यक्तियों की हत्या असामाजिक तत्वों ने कर दी। इन सारे व्यक्तियों की लाशें बरामद हुईं। 7 अगस्त, 1979 को महेन्द्र मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत मालपुर, थाना गोपालपुर की डेढ़ बजे दिन में नौगछिया बाजार में गोली मार कर हत्या कर दी गई। इसके बाद चौदह अगस्त 1979 को ग्राम लतरा, गोपालपुर थाना, में तीन व्यक्तियों को कुल्हाड़ी से काट कर मार दिया गया। सात नवम्बर 1979 को पांच बजे संध्या हजारों लोगों के बीच नौगछिया बाजार में डाका पड़ा जिसमें नौ व्यक्ियों को गोली मार दी गई एक व्यक्ति की मृत्यु...पी० एम० सी० एच० पटना में हुई। फिर इसी साल 1979 में वैजू शरीफ के सिपाही, ग्राम इसलामपुर, थाना गोपालपुर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पन्द्रह जनवरी 1980 को बारह बजे दिन में पूरन भगत और टेंगर मण्डल की हत्या लतीपाखर ग्राम में कर दी गई। पूरन भगत ग्राम अभिया, थाना गोपालपुर और टेंगर मण्डल, ग्राम परबत्ता थाना नौगछिया के थे। पूरन भगत को गोली मार दी गई और टेगर मण्डल को काट-काट कर टुकड़ों में फेंक दिया गया। 23 जनवरी 1980 को लतीपाखर के लाला सिंह जो कांग्रेस (आई) के एक सक्रिय कार्यकर्ता तथा नौगछिया प्रखण्ड कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मंत्री थे, की चार बजे दिन में सैकड़ों लोगों के बीच गोली मार कर हत्या कर दी गई।

1977 से अभी तक इस प्रकार की 34 निर्मम हत्याएं एक ही विधान सभा क्षेत्र में जिसमें दो थाने पड़ते हैं—नौगछिया और गोपालपुर——की गई हैं। विधि व्यवस्था की जब यह हालत हो तो यह चिन्ता की बात हो जाती है। यह हाल वहां बिहार में हो रहा है। इन मुद्दों पर और इस सारे मामले पर आपको ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि वहां की सरकार अगर कारगर नहीं है तो वहां पर प्रधान मंत्री जी या गृह मंत्री जी या दोनों मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि वहां के लोगों की जान और माल की रक्षा हो सके और शान्ति स लोग अपना जीवन बिता सकें। वहां पर लोग तबाह हो रहे हैं, लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं और परेशानी में पड़े हुए हैं। इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिए।

श्री बालनन्दन (मुकन्दपुरम): मैं नहीं कह सकता कि मैं अपने उन दोस्तों की तरह खुश हूं, जो दूसरे पक्ष की ओर से बोले हैं। हमारे राष्ट्रपति देश में पैदा हुई स्थिरता के बारे मे बोल रहे थे। लेकिन स्थिरता किनके लिए? बड़े उत्पादकों, एकाधिकार-वादियों और पूंजीवादी श्रेणी के बड़े पुजारियों के लिए? यदि अब तक अपनाई गई नीति में परिवर्तन नहीं किया गया तो स्थिरता नहीं आ सकती। स्थिरता तभी आ सकती है, जबकि सम्पूर्ण नीति में परिवर्तन किया जाए और इस लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह यह बताए कि उसकी क्या बड़े नीतिगत परिवर्तन करने का विचार है?

दूसरी बात यह है श्रीमान, कि किसी ने लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा प्राप्त भारी बहुमत का हवाला दिया है। यह एक तथ्य है। लेकिन मैं तस्वीर के पहलू का उल्लेख करना चाहता हूँ। त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और केरल में आप यह स्थिति पाएंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी—कांग्रेस (आई) पार्टी को जनता ने अस्वीकार दिया। लोक सभा चुनावों के बाद केरल में राज्य विधान

सभा के लिए चुनाव हुए। हमारी प्रधान मंत्री केरल आईं और उन्होंने जनता को कांग्रेस (आई) के सत्तारूढ़ होने पर जो लाभ हो सकते थे, वे गिनवाए। लेकिन क्या हुआ? मैं सारी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझता। वे केरल आईं और हिन्दुओं के वोट प्राप्त करने के विचार से वे पद्मनाभ स्वामी मन्दिर और गुरुवायूर मन्दिर गईं। राष्ट्रपति ने सम्प्रदाय—तालमेल की बात कही है और चुनाव के दौरान सम्प्रदायिता की बात का कोई सन्दर्भ नहीं होना चाहिए। केरल में कांग्रेस (आई) ने सभी जातिगत और साम्प्रदायितावादी पार्टियों से गठबन्धन किया। और तो और जनता पार्टी से भी उनका गठबन्धन था। कल प्रधान मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस (आई) पार्टी का जाति-पाँति पर आधारित अन्य पार्टियों से कोई समझौता नही है। मैं आपको बता सकता हू कि राजगोपाल और श्री सुकुमपन नय्यर को जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता हैं केरल में कांग्रेस (आई) का भी समर्थन प्राप्त था।

परिणाम यह निकला कि 140 सीटों में से वे केवल 17 सीटें जीत सके। इस प्रकार केरल में जनता ने कांग्रेस (आई) को अस्वीकार कर दिया। लेकिन आप पूरे देश में भारी बहुमत का दावा करते हैं। मुझे उन लोगों को, जो भारी बहुमत की बात करते हैं, यह याद दिलाना है कि दूसरे पक्ष की बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ मिनट पहले ही बोले माननीय सदस्य की इच्छा है कि पश्चिम बंगाल में सी० पी० आई०(एम०) को बंगाल की खाड़ी में फ़ेंक दिया जाना चाहिए। यह एक आश्चर्यजनक सुझाव है। लेकिन आपको यह याद रखना है कि हमारे राष्ट्रपति ने सतत रूप से केन्द्र और राज्यों के बीच स्नेहपूर्ण सम्बन्धों की बात कही है। जबकि आप दूसरे स्वर में बोल रहे हैं। बहुत से लोगों का विचार है कि केरल में सी० पी० आई० (एम०) को अरब सागर में और पश्चिम बंगाल को बंगाल की खाड़ी में फ़ेंका जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आप दिवा-स्वप्न देख रहे हैं। यदि आपके मन में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का आदर नहीं है, तो आपको हिन्द महासागर में फ़ेंक दिया जाएगा।

यहां मैं मूल्यों में वृद्धि की बात का उल्लेख नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति इसका जिक्र कर चुका है। कालाबाजारियों और जमाखोरों के कारण ही हमें मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। यह एक तथ्य है कि वे दुराचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मूल्य नीति यह है कि सरकार हर वर्ष करों की दरों में वृद्धि करती जा रही है और घाटे की अर्थ व्यवस्था पर आश्रित है। इस कारण से और अन्य उपायों ने कीमतें आसमान को छू रही हैं। यदि आप मूल्य-वृद्धि पर रोक लगाना चाहते हैं तो आपको नीति में परिवर्तन करना होगा। तभी आप बदले हुए मूल्यों को रोकने में समर्थ होंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में वातावरण को स्वच्छ बनाने और प्रदूषण समस्या के हल का जिक्र किया, लेकिन इन सब बातों पर विचार करने से पहले सरकार से यह आशा की जाती है कि वह कोई ऐसी योजना तैयार करे जिससे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाली भारत की 50% से भी अधिक जनता की हालत में कुछ सुधार हो। कोई भी आदमी इस बात का विरोध नहीं करेगा कि वैज्ञानिक तरीकें से देश के पेड़-पौधे और जीव जन्तुओं की रक्षा की जाए। यहां मैं

राष्ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी सुरक्षा समिति की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा, जिसमें पश्चिमी घाटों के पर्यावरण सम्बन्धी दशाओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने तीन परियोजनाओं पर अपनी रिपोर्ट भेजी है। एक कुद्रेमुख, दूसरी साइलेंट वैली और तीसरी कोडाचद्री परियोजना से सम्बन्धित है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वन्यजीवन निधि द्वारा 10,000 डालर की राशि प्रदान की गई थी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारी सरकार निधि देने की स्थिति में नहीं थी ? कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना को चालू करने की अनुमति प्रदान करके समिति की रिपोर्ट स्वीकार किया गया। यह एक ऐसी परियोजना है जो पूर्णतः पर्यावरण सम्बन्धी तथा परिस्थिति की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है। कुद्रेमुख परियोजना में दो ऐसे बांध भी हैं, जो कोयला धोने के कारखानों के लिए 1000 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। इसकी अनुमति दी जा चुकी है। मैसूर में कोडाचाद्रीर नामक एक और परियोजना की भी स्वीकृति दी जा चुकी है। केवल साइलेंट वैली परियोजना के बारे में इस समिति ने कुछ आपत्तियां की हैं। अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां, जो दूसरों को ऐसे कामों के लिए पैसा देती है, केवल एक बात की इच्छुक होती है और वह यह कि विकासशील देश सस्ती ऊर्जा और सस्ता भोजन प्राप्त न कर पाएँ। अतः वन्य जीवन विशेष पक्षियों आदि की सुरक्षा के नाम पर वे सभी प्रकार के तरीके अपनाते हैं और जंगलों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं और सभी प्रकार की जासूसी करते रहते हैं। क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ा है ? उसने नहीं पढ़ा। केरल के किसी आदमी ने केरल उच्च न्यायालय में यह मामला दिया; उच्च न्यायालय ने इस परियोजना की अनुमति दे दी, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा आपत्ति की गई। मैं जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूँ कि यह आपत्ति समाप्त की जाए क्योंकि इस परियोजना की वजह से केरल राज्य को सस्ती ऊर्जा और सस्ता भोजन प्राप्त होगा और इसके लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

एक बात और है। कांग्रेस (आई) पार्टी का समर्थन करने के बदले में देश भर के एकाधिकारवादी बड़ी-बड़ी माँगे कर रहे हैं। वे अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी घुसपैठ करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में वे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं। वे बिजली के, कोयले के और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी घुसना चाहते हैं फिर, अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी भी यह चाहते हैं कि निजी क्षेत्र अथवा उनके एच्छिक किसी अन्य क्षेत्र में पूंजी लगाने के मामले में उन्हें पूर्ण स्वतत्रता दी जानी चाहिए। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूँगा कि यदि हम वर्तमान आर्थिक संकट से उभरना चाहते हैं तो हमें इन एकाधिकारियों से उचित ढंग से और सख्ती से निपटना होगा, हमारे सरकारी क्षेत्र को ऐसे ही रख दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में किसी को भी घुसने नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री मान, राष्ट्रपति ने बहुत से विषयों पर बोला है, लेकिन मेरे पास उन पर अपने विचार प्रकट करने के लिए समय नहीं है। मैं केरल के पारम्परिक उद्योगों के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। सरकार को यह देखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये उद्योग न केवल बचे रहें, वल्कि उन्नति करें। केरल में लाखों लोग नारियल जटा, काजू, बाँस और चटाई बनाने के उद्योगों में लगे हुए हैं। मैं इसलिए यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को केरल के बारे में विशेष ध्यान

देना चाहिए। जब इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, केवल तब ही देश में आर्थिक सन्तुलन कायम हो सकेगा।

और अन्त में, मैं यह कहना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिससे केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध बिगड़ जाएं। दूसरी ओर इस सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। राज्यों को और अधिकार सौंपे जाने चाहिए। एक मंत्री द्वारा दिखाया गया वह रवैया जो पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में बात करते समय दिखाई दिया था, किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है। उनसे भली-भांति व्यवहार करने के लिए कहा जाना चाहिए। हमें देश को आगे ले जाना है और वह अपनाई गई मूल नीतियों में परिवर्तन करने के द्वारा ही सम्भव है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद-प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान इस देश में बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था की तरफ खींचना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की है कि स्थिति को सुधारने के लिए पूरी ताकत के साथ कोशिश की जायगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि तमाम राज्यों में जो सरकारें काम कर रही हैं, वे केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहती हैं। कुछ राज्यों की सरकारें तो अपराधी तत्वों के साथ मिल कर और अपनी पुलिस तथा पी० ए० सी० के जवानों को साथ लेकर जनता पर अत्याचार कर रही है। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

यह अखबार है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से निकलता है। देवरिया जिले में लोकदल के एक विधायक, पुलिस और मैजिस्ट्रेसी के अफसरों ने मिलकर जितना भयंकर अत्याचार नारायणपुर गांव में किया है, सबसे पहले मैं उसका रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं।

इसमें लिखा हुआ है—

"देवरिया के नारायणपुर गांव में पुलिस व पी० ए० सी० का अमानुषिक अत्याचार—लाखों की सम्पत्ति लूटी गई। ग्रामवासी पीटे गये—महिलाओं की अस्मत लुटी।"

समाचार में लिखा हुआ है—

"ग्रामीणों ने बताया कि यह लोमहर्षक कांड एक विधायक की उपस्थिति में हुआ।"

फिर आगे लिखा हुआ है—

"पुलिस ने वृद्ध महिलाओं तथा दस-ग्यारह वर्ष की मासूम बच्चियों तक के साथ मुंह काला किया।"

आगे लिखा हुआ है—

"ग्रामीणों ने बताया कि गांव के हिन्दुओं को मुसलमानों का मूत्र पीने और मुसलमानों को हिन्दुओं का मूत्र पीने के लिए बाध्य किया गया। पुलिस ने हिन्दुओं की चोटी और मूंछ नोचने के लिए तथा मुसलमानों की दाढ़ी नोचने के लिए हिन्दुओं को मजबूर किया।"

यह काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने और उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के विधायकों ने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पहले बड़ी बेशर्मी के साथ इस बात को कहा कि इस प्रकार की कोई भी घटना वहां पर नहीं घटी, लेकिन जब उनके मंत्रि-मण्डल के एक मंत्री ने यह ऐडमिट किया बाहर भी और सदन के भीतर भी कि इस तरह की घटना हुई है तो मुख्य-मंत्री आज अपनी जान बचाने के लिए तरह-तरह की दोहाई दे रहे हैं। इस तरह की निकम्मी सरकारें तमाम राज्यों के अंदर काम कर रही हैं। अगर इसी तरह की सरकारें राज्यों में काम करती रहीं तो केन्द्र सरकार देश के अंदर कानून और व्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकती। यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना है जो वहां घटी है और मैं इसलिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस घटना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की इस प्रकार की भ्रष्ट और बेशर्म सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाय और वहां पर फिर से चुनाव कराया जाय। वहां के मुख्य मंत्री.........**(व्यवधान)**.........आप अपने काले कारनामों को सुनिए और देखिए। आज जिस बेशर्मी के साथ आप इन तमाम कार्यों को करा रहे हैं उनको भूलिए मत......**(व्यवधान)**......

यह अखबार है कि जिसमें कहा गया है कि हरिजनों और अल्पसंख्यकों के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार उत्तर प्रदेश की सीमा में किए जा रहे हैं। अलीगढ़ के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर कितने अत्याचार किए गए? मैं इस बात का गवाह हूं, उस समय भी मैंने जाकर वहां पर आवाज उठाई थी और उस मुख्य मंत्री से कहा था कि आप वहां के अपराधी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस मुख्य मंत्री ने जिन्होंने कि हमेशा ही अल्पसंख्यकों के विरुद्ध काम किया है, उन्होंने कोई भी कार्यवाही इस पर नहीं की और उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार की निकम्मी सरकारों को तत्काल बर्खास्त किया जाय।

कल चौधरी साहब जाति पांति की बात कर रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जातिवाद का विष किसी ने फैलाया है, अगर जातिवाद के भयंकर विष से इस देश को कई टुकड़ों में तोड़ने की साजिश किसी ने की है तो वह चौधरी चरण सिंह जी हैं जिन्होंने यह कुकृत्य किया है। इस बात का उन्हें जवाब देना चाहिए और देश को आश्वस्त करना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। आज देश में केवल कौम के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर इस प्रकार के तमाम संघर्ष फैलाये जा रहे हैं और लोकदल के नेताओं ने खुले आम यह भाषण किया है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका तिलक जूते की नोंक से पोंछ देना चाहिए। यह लोकदल के लोगों ने कहा है। इस तरह से संघर्ष फैलाने का काम किया जा रहा है और आज जात पांत को मिटाने की भी बात की जाती रहती है। शर्म की बात है इस तरह की बातों को लेकर आप देश को नहीं चला सकते, यह मैं आप से कहना चाहता हूं।

मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को आश्वस्त करने के लिए विधेयक अगले सत्र में लाया जायगा। यह एक अच्छी बात है। इसके साथ अल्पसंख्यकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इस विश्व विद्यालय का माइनारिटी कैरेक्टर रेस्टोर कर दिया जायगा।

हमारे देश में साइंस और टेकनोजी की क्या स्थितिहै इस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आज भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों का बहुत ही डिमारेलाइजेशन किया गया है। उनके साथ इतना अन्याय हुआ है कि वहां पर वैज्ञानिक सूसाइड कर रहे हैं। अभी तक ऐसी घटनाएं आई० सी० ए० आर० में हुआ करती थीं लेकिन आज वी० ए० आर० सी० में भी यह घटना हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नई सरकार इस दिशा में ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे इस प्रकार का डिमारेलाइजेशन जो हमारे देश के वैज्ञानिकों का हुआ है उसकी समाप्ति हो सके।

मैं सरकार से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा और वह यह कि डा० भीमराव अम्बेडकर का एक चित्र संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगाया जाय क्योंकि वह देश के एक महान नेता थे और उन्होंने देश की आजादी की लड़ाइयों और देश के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चुनाव के समय में कितनी रिंगिग हुई है—यह सब को विदित है। इस काम को कराने में राज्य सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। इस बात की जांच कराई जानी चाहिए और जांच में जो राज्य सरकारें दोषी पायी जाएं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनको बर्खास्त करने के लिए यही एक मुद्दा काफी है। आज देश में कानून और व्यवस्था बिगड़ रही है। किसी की इज्जत, किसी की सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रह गई। है। केवल यही ऐसी बात है जिसको लेकर इन सरकारों को बर्खास्त किया जा सकता है, इसके लिए फिर से जनता के सामने, जनता की अदालत में जाने की जरूरत है और वहां सेमेण्डेट लेकर हम उस असेम्बली में बैठ सकते हैं, जिस प्रकार हम संसद में आये हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए, बढ़ती हुई महंगाई को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठायें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा—आज देश में दिन-प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे देश के नौजवान, जो स्कूलों में, कालिजों और विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलते हैं, निराशा के वातावरण में इधर-उधर भटकते रहते हैं। अगर इस निराशा को खत्म नहीं करेंगे तो देश में हिंसा भड़केगी। जनता पार्टी और लोकदल के शासन काल में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर बहस हुई थी और उसको पास किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिये—अगर देश में नौजवानों में व्याप्ति इस अशान्ति को दूर नहीं किया गया. देश के लोगों का शोषण करने का प्रयास किया गया, यहां सत्ता की कुर्सियों पर बैठ कर उनको गुमराह करने का प्रयास किया गया तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है इसलिए मैं कहना चाहूंगा—छठी पंच वर्षीय योजना जिसको लागू

करने के लिए पिछली सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, अगर यह सरकार उस पर प्रभावशाली तरीके से कार्यवाही करेगी तब ही हम इस देश की बेरोजगारी को दूर कर सकेंगे और इस देश के नौजवानों के जीवन में उजाला लाने का काम कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करता हूं।

प्रोफेसर के० के० तिवारी (बक्सर) : संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस अवसर पर उनके अभिभाषण के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और जो कार्य हमें भविष्य में करना है, उसके बारे में तथा जनता राज्य के विषय मे बोलते हुए उन्होंने जो वक्तव्य दिया, मैं उसका समर्थन करता हू। मैं वक्तव्य से तथा उन समस्यायों के बारे में सहमत हूं जिनका हमें एक देश के रूप में और एक सरकार के रूप में सामना करना है।

श्रीमान, मैं जनता पार्टी के शासन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनता पार्टी एक नया शिशु नहीं है। इसका जन्म 1974 में नहीं हुआ। वास्तव में जनता पार्टी का जन्म 1967 में हो गया था। जनता पार्टी ने देश में बार-बार अस्थिरता की स्थिति पैदा की। यह खेल उन्होंने 1967 में ही खेलना प्रारम्भ कर दिया था। यह एक उल्लेखनीय राजनीतिक असंगति थी, जबकि विभिन्न सिद्धान्तो में श्रद्धा रखने वाली राजनीतिक पार्टियां एक ही झण्डे तले आई; और उनका यह मिलन कांग्रेस के कार्यक्रमों के विरोध में नहीं था, बल्कि एक अकेले व्यक्ति श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध था। यह लड़ाई 1967 में चालू हो गई थी; और फिर वे जनता की आंखों में धूल झोंककर तथा उल्टी-सीधी आडम्बरपूर्ण बातें बनाकर सफल हो गए। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को हिलाने में वे सफल हुए और उन्होंने अपनी सरकारें बनाईं, जिसके क्या परिणाम रहे, आप जानते हैं। पूरे देश को उनकी विघटनकारी भूमिका के बारे में ज्ञान है। उन्होंने जनता का नैतिक पतन किया, देश में अनुशासन भंग किया और अच्छा हुआ था कि उन्हें इतिहास के ढेर में सुरक्षित कर दिया गया था। फिर कांग्रेस पार्टी की नेता के रूप में श्रीमती गांधी को विदेशों में भारत की छवि को निखारने के लिए तथा गरीबों की बिगडती हुई आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ ठोस आर्थिक उपाय करने थे, जिसके परिणामस्वरूप 1969 में कांग्रेस का विघटन हुआ। उनमें से बहुत से अब विपक्ष में बैठे हुए हैं। उस समय वे हमारे साथ थे। वे कुछ आर्थिक मुद्दों पर मतभेद होने के कारण हमसे अलग हो गए थे और उन लोगों के साथ जा मिले थे जो लोकतन्त्र की बढ़-चढ़कर बातें कर रहे थे और लोकतन्त्र बनाम तानाशाही जैसे तीसरे दर्जे के नारे लगा रहे थे। 1967 का ड्रामा पुन: 1971 में खेला गया। यह बदनाम गठजोड़ जो महा गठबन्धन के नाम से जाना गया, फिर किया गया। जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूं, वह यह है कि यह सारा आन्दोलन कार्यक्रमों और नीतियों के खिलाफ नहीं था। यदि वे कार्यक्रमों के खिलाफ थे, तो पूंजीपतियों के समर्थक और विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने वाले जनसंघी लोगों का कम्यूनिस्टों के साथ कैसे मेल हुआ ? कैसे ये एक साथ आ गए ? अत: मेरी बात का यही निष्कर्ष निकलता है कि

वे कांग्रेस के कार्यक्रमों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी से उनकी खिलाफत थी। यह पुनः हमारे पुराने कांग्रेसी दोस्तों और सम्पूर्ण विपक्ष के समर्थन से पुनर्जीवित हुआ। अब उनमें केवल कहने मात्र का ही अन्तर है, वे चाहे लोकदल के हों अथवा जनता पार्टी के या कम्युनिस्ट दोस्त हों, क्योंकि कम्युनिस्टों और सम्प्रदायवादियों में कोई अन्तर नहीं है। फर्क बहुत कम है और वह भी तर्क की गर्मी में मिट जाता है, जैसा कि वे करते रहे हैं।

1971 में पुनः वे एक नए झण्डे तले आए। इस बार वे एक नया चोंगा पहने थे। लेकिन भारत की जनता को इन्दिरा गांधी की अच्छी पहचान थी। जनता ने फिर उन्हें मात दी। उसने उन्हें एक जबरदस्त घूंसा मारा और उन्हें अपदस्थ कर दिया। उन्हें घासपात पर कई वर्षों बिताने पड़ें। लेकिन दुर्भाग्यवश समय हमारे लिए कोई बहुत अनुकूल नहीं था। हम उसे याद रखेंगे और पूरा सदन उसे याद करेगा। उस समय के दौरान जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनीं, क्या घटित हुआ।

बंगला देश एक नई संकटमय स्थिति के रूप में सामने आया था क्योंकि उस देश क अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था परन्तु श्रीमती गांधी ने बांगला देश का युद्ध जीता और भारत का गौरव बढ़ाया। जो विपक्षी सदस्य श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक 'देवी', 'दुर्गमाता' और 'भारत की रक्षक' कहकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, वही लोग इन सभी लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली कठिनाइयों का लाभ उठाने लगे और तब, दुर्भाग्य से देश के बहुत से भागों में सूखे और बाढ़ की स्थिति का एक दौर आया। इसका लाभ उठाते हुए उन लोगों ने एक आन्दोलन चलाया। वर्ष 1967 तथा 1971 की स्थिति वर्ष 1974 में पुनः देखी गई और मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि वर्ष 1967 तथा 1971 के दौरान फिलिस्तीनियों के जो झुंड मैदान में उतरे थे उन्हें बाद में सम्पूर्ण क्रांतिकारियों के रूप में जाना गया। रेलगाड़ियां उड़ा देने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले क्रांतिकारी बन गये और द्रुत क्रांति का नाम लेकर उन प्रतिक्रियावादियों के अत्यन्त शक्तिशाली ढंग से अस्थिरता फैलाने की प्रक्रिया पुनः आरम्भ कर दी जो अब विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये लोग भारतीय जनता की आंखों में भारी धूल झोंककर, उन्हें उल्लू बनाकर कांग्रेस पार्टी से सत्ता हथियाने में सफल हो गये थे। बाद में जो कुछ हुआ आप कृपया अपने कान खोलिए और मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

आप कृपया मेरी बातें सुनें इससे आपको, आपमें से कुछ एक का ज्ञानवर्द्धन होगा। जब आप लोग सत्ता में आये, जब जनता पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई तो सर्वविदित नारा यह था कि आप लोकतंत्र के नाम पर लड़ रहे थे। मैं चाहूंगा कि श्री शास्त्री जो कि विपक्षी सदस्यों में सर्वाधिक तथा तर्कहीन प्रचंड वक्ता हैं, ये बातें सुनें। क्या हुआ था ? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपकी भूमिका क्या थी ? मैं आपको वर्ष 1942 का स्मरण कराना चाहूंगा। आप और आपके जनसंघी मित्र जनसंघियों तथा साम्यवादियों के मुंह से लोकतंत्र की बात निकलनी तो नहीं चाहिए। जब हम लड़ रहे थे, जब हमारा देश स्वाधीनता के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, आप और हमारे साम्यवादस्दी तो उस समय क्या कर रहे थे यह सारी दुनिया जानती है। मुझे वे सब बातें मकानों

की छतों पर चढ़कर नहीं कहनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप तो वर्ष 1942 में पैदा भी नहीं हुए थे।

प्रो के० के० तिवारी : यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां सभा में उपस्थित हैं तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जनसंघी क्या कर रहे थे। क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1942 में आधा दर्जन लाठीधारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघियों ने भी गिरफ्तारियां नहीं दी थीं? वे क्या कर रहे थे? और अब वे लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। उन्हें अपनी किस्मत को धन्यवाद देना चाहिए। **(व्यवधान)** जब आप गतियों में पहुंचे तो आप लोगों ने 1974 में श्रीमती गांधी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। आपने यथोचित रूप से चुनी हुई सरकारों के कार्यकरण में बाधायें उपन्न कीं। इस सम्मानित सभा को हर प्रकार की अवमाननाओं का शिकार बनाया गया। सभा की दीर्घाओं से सभा में पर्चे फिकवाये गये। इन सब के लिए आप लोग उत्तरदायी हैं। इस पर भी श्रीमती गांधी ने चुनाव कराये और उनके परिणाम घोषित होने पर आप लोगों को सम्मान के साथ सत्ता सौंप दी। और आपने क्या किया? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आपको वह नारा याद है कि आपने भारत से भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रण लिया है और मैं अपने उन साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब जनता पार्टी सत्ता में थी, जब मुरारजी भाई प्रधान मंत्री थे, तब अप्रकाशनीय तथा बोले जाने के भी अयोग्य आरोप आपके गृहमंत्री ने (भूतपूर्व) प्रधानमंत्री (श्रीमती गांधी) तथा उनके पुत्र के विरुद्ध लगाये। उनका आपको पता ही होगा। भ्रष्टाचार दूर करने के क्षेत्र में यही आपके कारनामें हैं। आपको याद होगा कि आपके महान नेता मोरारजी भाई देसाई, श्री जगजीवनराम, चौधरी चरण सिंह के स्थान पर रातोंरात उनके पुत्र तथा उनके दामाद 'सत्तारूढ़' हो गये। कैसे? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में समूचे विश्व में नाम कमा रखा था। वे आरोप कहां है? मैं चाहूंगा कि यह सभा चौधरी चरण सिंह द्वारा श्री कांति भाई देसाई के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर विचार करे। उनकी जांच की जाए, उन्हें सिद्ध किया जाये और आपको उक्त जांच के लिए सहमत होना चाहिए। फिर आप भ्रष्टाचार की बातें करते हैं? मैं श्री जगजीवनराम, दिल्ली में वितरित किये मित्रों और उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में बोलूंगा। यह किसने किया? क्या यह कार्य कांग्रेस जन ने किया था? यह कार्य आपके लोकदल नेता राजनारायण ने किया था। उन्होंने जगजीवनराम के विरुद्ध आरोप लगाये थे। श्री चरण सिंह ने श्री मोरारजी भाई के विरुद्ध आरोप लगाये थे। आप भ्रष्टाचार दूर करने हेतु बड़े ही तत्पर और चाक चौबंद थे। यही कुछ कारनामें हैं जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार दूर करने के क्षेत्र में किए थे। इन बातों को मत भूलिये और आपका नाम तो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया है। आपका नाम इतिहास में भ्रष्टाचार के पोषकों के रूप में आयेगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार को अमरता प्रदान कर दी। और फिर आप दल बदल की बात करते हैं। **(व्यवधान)** जब आपकी तथाकथित क्रांति शुरू हुई उस समय आप दल-बदल विरोधी कानून बनाना चाहते थे। मैं आपको याद दिला दूं कि भारत में दल बदल का गन्दा खेल किसने शुरू किया। आपने श्री चरणसिंह को उनके नामों से पुकारा है। आपने उन्हें दल-बदलुओं का बादशाह कहा है। किसने उन्हें दल-बदल के इस गन्दे खेल में शामिल किया था? क्या आप वर्ष 1967 की बातें भूल गये? वह एक कांग्रेस जन थे। आपने उन्हें लालच देकर कांग्रेस से अलग किया। आपने उन्हें

मुख्यमंत्री जी पद की पेशकश की थी। आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। आपने उन्हें दलबदल करना दिखाया। अतः वह जनसंघियों के कहने पर पहले दलबदलू बने और इसीलिए मैं कहता हूं कि जनसंघ और चरण सिंह के बीच वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। भारत की जनता ने जनता पार्टी के दलों को, जो कि इस समय विपक्ष में बैठे हुए हैं, गन्दे नाले में फेंक दिया है। आप लोगों को यह बात भूलनी नहीं चाहिये। फिर आप पुनः दलबदल का राग अलापते हैं। मैं आपको पुनः याद दिलाऊंगा कि दलबदलू कब शुरू हुए और कि जिस दलबदलू को सर्वाधिक लाभ दिया गया वह श्री जगजीवन राम थे। श्री जगजीवन राम ने चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद दल बदला था। सबसे अधिक लाभ उठाने वाले दलबदलू श्री जगजीवन राम रहे और आपने उनका दिल खोलकर स्वागत किया था और आप कहते हैं कि आपने लोकतंत्र को बचाया और आप कहते हैं कि आपने देश में दलबदल को समाप्त कर दिया ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : श्री बहुगुणा के बारे में आप क्या कहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरी बात सुनिये। मेरे पास बहुत ही कम समय है। अन्यथा मैं आप में से एक-एक का नाम लेकर ब्यौरा देता। सबसे आगे की कुर्सियों में बैठने वालों में एक बहुत बड़े दल बदलू श्री चन्द्रजीत यादव हैं। बहुत समय नहीं गुजरा जबकि वह अखिल भारतीय कांग्रेस दल के महासचिव थे। और मैं सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से उनसे प्रायः मिलता रहता था। वह कांग्रेस दल के भीतर की समाजवादी मंच के संयोजक भी थे। उनकी भूमिका को याद कीजिये। वह समाजवाद ला रहे थे। और अब वह बड़ी खुशी के साथ एक बार प्रसिद्धि पाये श्री चरण सिंह के साथ बैठे हैं जो कि इस समय निकृष्टतम जातिवाद, सम्प्रदायवाद तथा दलगत के प्रतीक माने जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देश के सम्मुख उपस्थित उन जटिल समस्याओं पर विचार करें जिनकी ओर माननीय राष्ट्रपति ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आप लोग परस्पर लड़ पड़े, बिखर गये। कैसे ? कांग्रेस जनों के कारण नहीं बल्कि अपने भीतरी अन्तर्विरोधों के कारण। और मुझे आपके शासन के समय के अनेक दृष्कृत्य की याद आ जाती है। इन बातों पर हमारी ओर के मेरे कई माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। मैं तो बस एक या दो बातों पर और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

जब मैं इस स्थान से बोलता हूं तो मुझे उस कड़े संघर्ष की याद आ जाती है जो हमने आपके कुशासन के विरुद्ध किया था। इस संघर्ष के लिये, जैसा कि इससे पहले के अवसरों पर भी हुआ है, श्रेय श्रीमती गांधी को जाता है। इस बार भी यह कड़ा संघर्ष आरंभ करने का श्रेय उन्हें ही जाता है जबकि आप लोग देश में तबाही ला रहे थे, जबकि आप लोग देश की अर्थ व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रहे थे, जबकि आप विश्व में अपनी शान घटा रहे थे, जबकि आप देश का महत्व ही समाप्त करते जा रहे थे और जबकि आप लोग यह सब कुछ कर रहे थे। (व्यवधान) आप लोग पिछड़े हुए लोगों तथा हरिजनों के कल्याण की बात करते हैं। मैं खेद के साथ आपको वे बातें स्मरण कराना चाहता हूं जो आपके अपने शासन के दौरान हुई। बेलची में लगभग 23 लोगों को जीवित जला दिया गया था। तब आपकी सरकार शासन में थी और आपके पास ट्रागन हार्स के रूप में श्री जगजीवन

थे। आप उन्हें आगे लाये और आप भारत के लोगों से वोट मांगे और आप उन्हें प्रधान मंत्री बनाना चाहते थे। बेलची कौन गया ? कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती गांधी ही बेलची गईं और हाथी की पीठ पर बैठकर गईं। (व्यवधान) इस तरह की भड़काऊ कार्यवाहियों और सम्पूर्ण बर्बादी के बावजूद भी श्रीमती गांधी ने कांग्रेस जनों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने को कहा। सौभाग्य से, देश के लिये आप लोगों को उचित दण्ड मिल गया है।

आप विदेश नीति की बात करते हैं। आपकी विदेश-नीति क्या थी ? जनता पार्टी के शासन के दौरान विदेश-नीति में जो अनिश्चय की स्थिति व्याप्त थी उसने हर आत्माभिमानी भारतवासी को शर्म से अपना सिर झुकाने को विवश कर दिया था। आप चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रहे थे जबकि चीन अमेरिका के साथ अपने सम्बन्ध बढ़ा रहा था। इस तरह आप अन्तर्राष्ट्रीय सामन्तवादी राजनीति के शिकार हो रहे थे। आप, मेरे साम्यवादी मित्र, अपने समूचे विगत को और साथ ही अपने मार्क्स को भूल गये हैं और आप अपनी ओर बढ़े सामन्तवादियों से बड़ी सुगमता से दोस्ती गांठ सकते हैं। इसी प्रकार चीन अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा है। आप उस नीति का शिकार हो रहे थे। विदेश नीति के क्षेत्र में आपकी यही सफलता थी।

अभी अभी मेरे युवा मित्र कुछ राज्य सरकारों के बारे में बात कर रहे थे। मुझे राज्य सरकारों की उपलब्धियों के बारे में कुछ जरूर कहना है। इसके बारे में सभा के सदस्यों को खूब मालूम है। आपको अपनी कमियों तथा आपकी सरकार द्वारा की गईं भूलों को स्वीकार करने में शर्म आयेगी। परन्तु मुझे बताईये कि क्या आज बिहार में कोई सरकार काम कर रही है ? बिहार शासन-हीनता के कारण त्रस्त है। बिहार में कोई सरकार नहीं है। मैं यह बात शपथ उठाकर कह सकता हूं। मैं बिहार में आपके एक सशक्त नेता श्री रामानन्द तिवारी के विरुद्ध चुनाव संघर्ष कर रहा था। बिहार के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री रामानन्द तिवारी के पुराने शिष्य हैं। उन्होंने वहां पूरे एक सप्ताह के लिये अपना शिविर लगाया था, फिर उन्होंने उक्त चुनाव-क्षेत्र के छः खण्डों में छः मंत्री मंडलीय मंत्रियों को तैनात किया था और वे पैसा बांट रहे थे, पिस्तौलों और राइफलों हेतु लायसेंस प्रदान कर रहे थे, सड़कों के निर्माण के लिये आदेश जारी कर रहे थे, अस्पताल बनाये जा रहे थे हालांकि यह सब कुछ केवल कागज पर हो रहा था। परन्तु हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लड़े और केवल एक व्यक्ति के नेतृत्व के अधीन लड़े और वही नेतृत्व जो कार्य कर सकता है, जिसने पहले भी देश को बचाया था और अब भी भविष्य में भी देश को बचायेगा। (व्यवधान) आपके महान नेता श्री फर्नेन्डीज को जो कि एक तोड़-फोड़ कर्ता हैं, रातों रात एक क्रान्तिकारी नेता बना दिया गया। श्री फर्नेन्डीज ने मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा। क्या किया उन्होंने ? ये बातें समाचार पत्रों में आ चुकी हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर चुनाव क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये खर्च किये। अनेक अपराधी किराये पर लिये और इन अपराधियों ने चुनाव के दिन चुनाव क्षेत्र में धावा बोलकर एक सौ मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया था, और मुझे तो यह भी जानकारी है कि श्री फर्नेन्डीज ने मोटर साइकलें तथा साइकलें भी बांटी···और···

सभापति महोदय : व्यवस्था रखिये। माननीय सदस्य को सभा के अन्य सदस्य के विरुद्ध इस

प्रकार बेतहाशा आरोप नहीं लगाने चाहिये । मैं उनसे कहूंगा कि···

प्रो० के० के० तिवारी : वह अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। जो आरोप मैंने उनके विरुद्ध लगाये हैं आप उनकी जांच के लिये सभा की एक समिति गठित कर दीजिये । मैंने जो आरोप लगाये हैं मैं उन पर दृढ़ हूं । यदि मेरे आरोप सिद्ध नहीं हुए तो मैं हर वह दण्ड भुगतने को तैयार हूं जो आप मुझे देना चाहें ।

सभापति महोदय : मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कुछ सब्र से काम लें ।

श्री एम० एम० लॉरेन्स : हमने भी सुना है कि आपके दल ने साइकलें और कम्बल बांटे थे ।

सभापति महोदय : चुनाव याचिका नाम की भी एक चीज होती है । यदि आप यह सोचें कि श्री फर्नेन्डीज ने भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाई थी तो कोई भी व्यक्ति अदालत में उसे चुनौती दे सकता है। इस सभा को न्यायालय तथा परस्पर आरोप लगाने का मंच न बनायें ।

प्रो० के० के० तिवारी : आरोप लगाने के दर्शन में मैं विश्वास नहीं करता ।

सभापति महोदय : मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने पर कुछ नियंत्रण रखें ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । जैसा कि आपने कहा है कि किसी भी सदस्य को दूसरे सदस्य पर निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए···

प्रो० के० के० तिवारी : पिछले चुनावों में जिनके द्वारा भारत के भाग्य का निर्धारण होना था, भारत के लोगों ने अपने स्वविवेक से ऐसे लोगों को सरकार चलाने के लिए चुना है जो मार्गदर्शन ठीक से कर सकते हैं और जिन्होंने पहले भी मार्गदर्शन ठीक से किया था । मुझे विश्वास है कि हमारे कल्याणकारी समाजवादी कार्यक्रमों और नीतियों को लागू किया जायेगा और सरकार सभी प्रकार के विध्वंसक तत्त्वों से, चाहे वे लोकतंत्र की दुहाई देने वाले हों चाहे समाजवाद का आवरण ओढ़े हुए हों, कड़ाई से निपटना होगा, क्योंकि वे भारत के लोगों पर एक इस प्रकार का शासन थोपना चाहते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाता है तथा जो हमें जाति-पांति, अलगाव और संकुचित हितों पर आधारित गृह-युद्ध की स्थिति की ओर ले जाना चाहते हैं, जैसा कि जनता सरकार और लोकदल सरकार के शासनकाल में हुआ था । मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि भारतीय साम्यवादी दल एवं मार्क्सवादी साम्यवादी दल से सम्बद्ध मार्क्स के नाम की शपथ लेने वाले मेरे मित्र किस प्रकार जनसंघियों के साथ बैठ सकेंगे, जैसा कि वे शेखी बघारते हैं ? रामावतार शास्त्री सदा ही खड़े हो जाते हैं··· (**व्यवधान**) वे इसका बुरा क्यों मानते हैं ? वे ऐसा करके 'मार्क्सवाद' को बदनाम कर रहे हैं । वे साम्प्रदायिकता से बुरी तरह से सम्बद्ध हैं । उनका ऐसे लोगों से सम्बन्ध जुड़ा है जो भारत की एकता के विरोधी हैं और जाति-पांति में गहरा विश्वास रखते हैं । वे ऐसे लोगों से सम्बद्ध हैं, जो हमारे समाजवादी और आर्थिक कार्यक्रमों के स्थान पर जातिवाद पर आधारित कार्यक्रम रख रहे हैं, वे

चौधरी चरण सिंह के समर्थक हैं। क्या आप यह भूल गये हैं कि 'पचास' वाले दशक में आप उसे भारत के 'कुलक' नेता के नाम से पुकारा करते थे। आज साम्यवादी उसके घनिष्ठ मित्र बन रहे हैं। आप उसके घातक 'जातिवाद' का समर्थन कर रहे हैं...(**व्यवधान**)। आप शब्द-जाल में फंसाना चाहते हैं। मैं अपने माननीय मित्रों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे मेरी बात शान्तिपूर्वक सुनें क्योंकि मैं ऐसे तर्क देने जा रहा हूं जो इतिहास पर आधारित है और जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मैं शब्दों के माध्यम से आपको छलना नहीं चाहता। मैं तो तथ्यों का निरूपण कर रहा हूं। यदि आपके पास कोई और तर्क हैं तो आप उनका उल्लेख कीजियेगा। इसके लिए आपको अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय : कृपया आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं अपने माननीय मित्रों से यह अपील गम्भीरतापूर्वक कर रहा हूं ताकि उनको एक ओर तो साम्प्रदायिकता भड़काने वालों के तथा दूसरी ओर साम्यवादियों की घृणित करतूतों का परिणाम न भुगतना पड़े। भारत के लोग इसे नहीं भूलेंगे।

अब सभा के सामने एक ऐसा विधेयक है जो मुनाफाखोरों से निपटा जा सकता है। मुझे यह देखकर दुख हुआ है कि यहां पर भी 'बम्बई लाबी' सक्रिय है जिसमें दूसरे पक्ष पर बैठे मेरे साथी भौतिकशास्त्र के एक वरिष्ठ प्रोफेसर तथा बम्बई के प्रसिद्ध वकील भी सम्मिलित हैं। जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध लाये गए विधेयक का इन्होंने बड़े जोश के साथ विरोध किया है। यह हो सकता है कि इस विधेयक के अभाव में उक्त 'बम्बई लाबी' को लाभ हो और वह और अधिक समृद्ध हो। परन्तु इससे भारत के आम लोगों को भारी हानि होगी और ऐसे लोगों को आवश्यक वस्तुओं के अभाव का सामना चारों ओर करना पड़ेगा।

मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि वे उक्त विधेयक का विरोध करने वाले लोगों पर ध्यान दें और यह देखें कि वे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और लोकतंत्र के बारे में कैसी बात करते हैं। लोकतंत्र की झूठी हिमायत करने वाले इन लोगों पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे दिन-रात लोकतंत्र का नाम लेकर लोकतंत्री व्यवस्था का गला घोंटते जा रहे हैं।

अब मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव को लेता हूं। वह जनता पार्टी, लोक दल तथा साम्यवादियों द्वारा पैदा की गई बाधाओं के बावजूद अत्यधिक बहुमत से जीती हैं। वह चिकमगलूर निर्वाचन क्षेत्र से भी जीती थीं। परन्तु तब हुआ क्या था? तब जो कुछ हुआ था क्या उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तब सभा में एक ऐसा अशोभनीय ड्रामा खेला गया, जो स्वतंत्र भारत में एक अनोखा था। उस नाटक में एक ऐसे नेता की, जिसने 11 वर्ष तक भारत का शानदार नेतृत्व किया और जिसके प्रशासन में भारत ने नाम और ख्याति कमाई, सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई, केवल थोड़े से लोगों को प्रसन्न करने के लिए। तब आप सब मौन-दर्शक बने रहे। आप सभी का उस घृणित नाटक में कुछ न कुछ योगदान रहा —कुछ ने अपने साथियों के कहने पर और

कुछ ने विदेशी प्रभाव में आकर उस कार्य में मदद की। अब आप इसे छिपाने का प्रयास न करें। आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं क्या वह लोकतन्त्र ऐसा ही है ? मैं आपको यह चेतावनी देता हूं, धमकी नहीं, कि आप कल्पित आधार पर आलोचना न करें। यह आपके अपने ही हित में होगा। आप श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित महान सिद्धान्तों पर अमल करने का प्रयास करें। समाजवादी कार्यक्रमों की बात करते समय आप महात्मा गांधी को न भूलें। आज आप ऐसी घटिया पुस्तकें छपी हुई पाते हैं जिसमें महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू का भी विरोध किया गया है। ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन का वित्तपोषण कभी जनसंघियों ने किया तो कभी भारतीय साम्यवादी दल के मित्रों ने।

यह देश अस्तित्व में रहेगा, भले ही आप आपस में बंटे रहें। हमारा सर्वोपरि लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत के करोड़ों लोगों का कल्याण हो। आज हमारे दल को चुनावों में विजय मिली है और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। भारत के लोगों ने उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया है और हमें अपने पथ से हटाने में आपका प्रयास सफल न होगा। अतः मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभायें। आप हमेशा ब्रिटिश प्रजातंत्र और अमरीकी प्रजातन्त्र की बात करते हैं परन्तु सभा में और सभा से बाहर आप ठीक उनसे उलटा व्यवहार करते हैं। आज सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु तथा उनके अन्य साथी असम में हो रहे आन्दोलन पर बेचैनी अनुभव कर रहे हैं। श्री वाजपेयी ने कहा है कि हम असम में हो रहे आन्दोलन को पूरा समर्थन देंगे। यह आप क्या कर रहे हैं ? भारत की आधारभूत एकता को खंडित करने में क्या आपका योगदान नहीं रहा है। याद रखिये कि आप चाहे जो कहते फिरें, परन्तु अब भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी और वह आपको पुनः इतिहास के गर्त में धकेल देगी और आप लोगों को सदा के लिए भुला दिया जायेगा।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, इस सभा में यह परम्परा है कि सभा में किये गए पहले भाषण के लिए उपयुक्त शब्दों में बधाई दी जाती है। मध्याह्न भोजन-अवकाश से पूर्व मेरे युवा मित्र श्री माधवराव सिंधिया ने सभा में अपना सर्वप्रथम भाषण दिया था। मैं उनके सुन्दर भाषण के लिए उनकी सराहना करता हूं। मैं यह केवल परम्परा निभाने के नाते ही ऐसा नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं वास्तव में उनकी सराहना कर रहा हूं। परन्तु मुझे यह कहने के लिए भी बाध्य होना पड़ रहा है कि उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा और उनके घरेलू प्रभाव एक दिन उन्हें अवश्य ही ठीक संगत में लायेंगे।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव एक ऐसा अवसर होता है जबकि सरकार अपने विधायी एवं प्रशासनिक प्रस्तावों की ओर संकेत करती है तथा देश की समस्याओं के समाधानों का संक्षिप्त ब्यौरा देती है। यह एक ऐसा अवसर होता है जबकि विपक्ष अपनी बुद्धि एवं ज्ञान के अनुसार सरकार की नीतियों में त्रुटियों एवं कमियों की विवेचना करती है तथा इस सम्बन्ध में अपने रचनात्मक सुझाव देती है जिन्हें यदि सरकार चाहे तो स्वीकार कर लेती है। अतः मैं इस अवसर का दुरुपयोग न करके उसका उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए

करूंगा जिसके लिए यह अवसर होता है। मैं कम से कम आरोपों और प्रत्यारोपों से बचना चाहूंगा और न ही किसी को अपशब्द कहना चाहूंगा। मेरा विचार है कि मेरे दल को गालियां सभा के नेता को संतुष्ट करने के लिए दी गई है।

मैं अब श्री केदार पांडे के बारे में कुछ कहना चाहूंगा (जी हां, वह यहां उपस्थित हैं) उसने हमें अपने भाषण के दौरान कम से कम 6 बार यह बताया है कि जनता दल को अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमने अपनी हार मान ली है तथा मान रहे हैं और इसी वजह से सभा में विपक्ष में बैठे हैं।

इस संदर्भ में मुझे एक पुरानी कथा याद आती है। एक बार सम्राट ने महान बीरबल को यह पता लगाने के लिए कहा था कि दिल्ली शहर में कितने अन्धे हैं। बीरबल एक सार्वजनिक सड़क पर बैठकर दूसरों के जूतों पर पालिश करने लगा। यह देखते हुए भी उसके प्रत्येक मित्र ने उसके पास आकर पूछा कि "बीरबल, आप क्या कर रहे हैं ?" इस आधार पर बीरबल ने यह निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली के सभी लोग अन्धे हैं। यदि मुझे श्री केदार पांडे के गुणों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा जाय, तो मुझे आशंका है कि मुझे रिपोर्ट उनके खिलाफ ही देनी पड़ेगी, भले ही वह विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हों।

श्री चन्द्रशेखर सिंह तो भविष्यवाणी कर्ता ही बन गए और उन्होंने यह भविष्यवाणी कर भी दी थी कि···

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : महोदय, नियम 352 के अन्तर्गत मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहूंगा कि नियम 352 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि एक सदस्य को बोलते हुए दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाने चाहिए . . .

सभापति महोदय : यह व्यक्तिगत आरोप नहीं है। आप बैठ जायें। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री जेठमलानी अपना भाषण जारी रखें ?

श्री राम जेठमलानी : मैं श्री चन्द्र शेखर सिंह के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जनता दल के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की है और कहा है कि जनता पार्टी कुछ समय बाद बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। वह दिन देश के लिए बड़े दुख का दिन होगा जबकि पार्टी समाप्त होगी क्योंकि यह दल उस समय समाप्त होगा जबकि देश से लोकतंत्र का सफाया हो जायेगा और यहां पर अधिनायकवाद की पूरी तरह से स्थापना हो जायेगी। यह दल उस समय तक जिन्दा रहेगा, जब तक यहां लोकतंत्री व्यवस्था कायम रहेगी, यह दल आप से ही, आपकी सुरक्षा के लिए अस्तित्व में रहेगी।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ऐसी सुरक्षा के बारे में हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं।

श्री राम जेठमलानी : मेरे मित्र श्री तिवारी ने दल-बदल और दलबदलुओं के 'राजा' के बारे में कुछ कहा है, मैं इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु लोकतन्त्र में आस्था होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि लोकतन्त्र में प्रत्येक को अपनी राय बदलने, दल छोड़ने और अन्य दल में मिल जाने का अधिकार होता है। **(व्यवधान)** परन्तु मैं इसके लिए एक शर्त रखना चाहूंगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने विचार एवं अपनी नीतियों को बदलता है, उसे उन सब लाभों को त्याग देना चाहिये, जो उसे अपनी पहली नीतियों और घोषणाओं के नाम पर प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर श्री जगजीवन राम को दल-बदलू नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने निर्वाचन से पूर्व दल छोड़ा था और मंत्री पद से त्यागपत्र देकर जनता के सामने आए थे तथा चुनाव लड़ा था। जो लोग दल-बदल की बात करते हैं, उन्हें यह भली-भांति समझना चाहिए कि दल-बदल का वास्तव में अर्थ क्या है। जहां तक मैं समझता हूं हम कुछ ऐसी अभिव्यक्तियों को बिना सोचे-समझे दोहराते रहते हैं और हवाई किले बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी लोकतंत्र की असली भावना को पूर्णतः नहीं समझ पाया है। **(व्यवधान)** श्री जार्ज फर्नांडिस ने जनता दल से दल-बदल किया, जो इस सभा के माननीय सदस्य हैं, मैं उनके अतीत के या मौजूदा कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वह भी अपने निर्वाचन-क्षेत्र से अत्यधिक बहुमत से जीतकर आये हैं। हम प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव का विरोध करेंगे जिसमें इस सभा के किसी भी सदस्य का निरादर किया जायेगा। यदि श्री तिवारी यहां सभा में शपथ लेना चाहते हैं, जो कि उन्होंने ले ली है। सभा में शपथ लेने की परम्परा ही नहीं है बल्कि हम माननीय सदस्यों के शब्दों पर विश्वास करते हैं। यदि श्री तिवारी शपथ लेना ही चाहते हैं तो उन्हें यह शपथ निर्वाचन-न्यायालय में लेनी चाहिए और उनके निर्वाचन को रद्द करा देना चाहिए और साथ ही अगले 6 वर्षों के लिए उसे चुनाव के 'अयोग्य' घोषित करा दिया जाए। यदि वह ऐसा करा देंगे तो हमें प्रसन्नता होगी।

परन्तु हमें आशा है कि न्यायालय उसके शब्दों और शपथ को स्वीकार करेगा जिसकी विश्वासनीयता का वह दावा करते हैं... ...**(व्यवधान)**

अब मैं कुछ समस्याओं की चर्चा करूंगा जिनकी ओर मेरा ध्यान सबसे अधिक जाता है। जिस पहली समस्या पर मैं बोलना चाहता हूं वह ऐसी समस्या है जिसके बारे में मैं वर्तमान सरकार से मार्मिक अपील करना चहता हूं। यह राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह वोट लेने का प्रश्न नहीं है, यह लोकप्रियता हासिल करने अथवा लोकप्रिय नारों का प्रश्न नहीं है। मैं इस देश के लोगों में से बहुत ही अभागे लोगों की, यथा वे लोग जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, दीन दशा की बात कह रहा हूं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 25,000 लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है ..... **(व्यवधान)** क्या आप कृपया बैठेंगे, परिवर्तन के बारे में सुनेंगे ?......

श्री हरिकिशन शास्त्री : वर्ष 1977 में आपने कहा था।

श्री राम जेठमलानी : मैं चाहता हूं कि सरकार तीन सिद्धान्तों को स्वीकार करे।

पहला सिद्धान्त यह है कि सरकार इस बात को स्वीकार करे कि ऐसी गंदी बस्तियां, जो समूचे देश में केन्द्रीय सरकार की जमीन पर बसी हुई है—ऐसे चार विभाग हैं—रक्षा, रेलवे, नागर विमानन तथा संचार—ऐसे सभी गरीब लोगों को जो इस प्रकार की जमीन पर निर्मित गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, राज्य सरकारों अथवा स्थानीय निगमों से वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरी जमीन पर गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं......(**व्यवधान**) क्या आपने बहुत नहीं चिल्लाया है ? आपके नेता प्रभावित हुए हैं। आप इतना अधिक क्यों चिल्ला रहे हैं ?

मैं चाहता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये। दूसरा सिद्धान्त यह है जिसे मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करें कि किसी भी निर्धन व्यक्ति को उसकी झोंपड़ी से निकाला न जाए चाहे उसका वैध रूप से निर्माण हुआ हो या अवैध रूप से। उसे उसकी झोंपड़ी तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक राष्ट्रीय आपात स्थिति न आ गई हो। उसे तब हटाया जायेगा जब कोई राष्ट्रीय आपात स्थिति आ गई है और वह भी तब किया जा सकता है, यह तीसरा सिद्धान्त है, जब निर्धन व्यक्ति के मकान को हाथ लगाने से पूर्व उसके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था न कर ली गई हो......(**व्यवधान**)। मेरे पास समय नहीं है कि मैं दूसरों की दीन स्थिति को एक राजनीतिक विषय बनाऊं। परन्तु यदि आप इसको राजनीतिक प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह गंदी बस्तियां तीस वर्ष या इससे अधिक समय से बसी हुई हैं। यह गंदी बस्तियां जनता शासन के दौरान अस्तित्व में नहीं आई। यह तब से अस्तित्व में है जब से कांग्रेस पार्टी ने हर पांच वर्ष के पश्चात् चुनाव लड़ा है और प्रत्येक चुनाव में आपको उनके वोट मिले हैं और आपने उनको धोखा दिया है। यह सच है कि जनता पार्टी ने अपने ढाई वर्ष के शासन में गंदी बस्तियों में रहने वाले इस देश के निर्धन व्यक्तियों को दिए गए वचनों को पूरा नहीं किया है। मैं इस आरोप के लिए अपने को दोषी मानता हूं कि इन ढ़ाई वर्षों में हम वह नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। यही कारण है कि आज हम इस ओर बैठे हैं। हमने इसे ढाई वर्षों में पूरा नहीं किया है परन्तु आपके पास तीस वर्ष का समय था और फिर भी आप इसे नहीं कर सके हैं। हम इसे करने की कोशिश कर रहे थे कि बीच में बेईमान व्यक्तियों ने इन लोगों के रहन-सहन को सुधारने की प्रक्रिया में रोड़ा अटका दिया... ..(**व्यवधान**)

श्रीगिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इन्होंने यह किया कि जिन बड़े-बड़े आदमियों ने गरीबों के मुकदमें लड़े उनको हटा दिया गया।

श्री विक्रम महाजन : जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का राज्य था तब उन्होंने इन्हें वैकल्पिक स्थान दिए। परन्तु आपने उन्हें कभी वैकल्पिक स्थान नहीं दिए।

श्री एच. के एल. भगत (पूर्वी दिल्ली) : आप पर लानत है। जवाहरलाल नेहरू की नीति को अस्वीकार कर दिया गया था।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मगरमच्छ के आंसू कब तक बहाते रहोगे ?

श्री राम जेठमलानी : सभापति महोदय, सभा को व्यवस्थित रखना आपका काम है, मेरा नहीं, जब तक सभा व्यवस्थित नहीं होती है, मैं चुप रहूंगा ।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें । उनके पास समय बहुत कम है ।

श्री राम जेठमलानी : चुनाव प्रचार के दौरान बहादुर ईसाई समाज को— यद्यपि इनकी संख्या कम है फिर भी ये बहादुर लोग हैं—यह वचन दिया गया था कि उनके उचित मौलिक अधिकारों विशेषकर अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से बनाए गए विधान को सहन नहीं किया जायेगा और उसे रद्द कर दिया जायेगा । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपने वर्तमान प्रधान मंत्री के उस व्यक्तत्व को याद करें जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि वह इसके पूरी तरह से विरुद्ध हैं और उसने श्री त्यागी के विधेयक का विरोध किया था । श्री त्यागी इस सभा में नहीं रहे हैं परन्तु उन्होंने जनता पार्टी के सदस्य के रूप में उक्त आशय के विधेयक को प्रस्तुत किया था परन्तु जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और अन्ततः पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस प्रकार के प्रयास को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि सरकार चुनावों के दौरान दिए गए वचनों का पालन करेगी और उस विधान को रद्द करेगी जो पहिले ही उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल में लागू हो गए हैं । यदि चुनावों के दौरान वचनों को गम्भीरता से दिया गया है तो मुझे आशा है कि इस वचन को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री जेठमलानी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री राम जेठमलानी : मैं क्या कर सकता हूं सभापति महोदय ?

सरकार ने इस देश में स्वतन्त्र न्यायपालिका का और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने का जो वचन दिया है उसके लिए मैं उसे बधाई देना चाहता हूं । राजनीति में आने काएकमात्र कारण मेरा यही है । यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं होता तो मैं राजनीति में नहीं होता। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अब इसका वचन दिया है । खाने से ही पुडिंग का पता चलता है । मुझे आशा है कि भविष्य में जो नियुक्तियां की जायेंगी वे व्यक्ति की अर्हता तथा योग्यता पर आधारित होगीं और स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम द्वारा प्रतिपादित प्रतिबद्ध न्यायपालिका का घृणित सिद्धान्त त्याग दिया जायेगा; प्रतिबद्ध न्यायपालिका के सिद्धान्त को त्याग दिया जायेगा । न्यायालयों में लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जायेगा **(व्यवधान)** जनता सरकार ने एक असाधारण काम किया है उसने 1966 का मानवीय अधिकारों का राष्ट्रसंघ प्रसंविदा की संपुष्टि की है । परन्तु फिर भी उन्होंने उतना नहीं किया जितना मैं चाहता था । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रथम प्रसंविदा के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत-- जिसमें नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है—घोषणा करने पर गंभीरता से विचार करे और मेरी सरकार से अपील है, यदि वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहती है, कि वह वैकल्पिक प्रोतोकोल की संपुष्टि करे और मानवीय अधिकारों के बारे में नए सिरे से आश्वासन दे ताकि प्रत्येक नागरिक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार

निकाय के समक्ष शिकायत रखने में स्वतंत्र हो यदि उसका यहां उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि राज्य विधान सभाएं भंग की जायेंगी और इसके लिए वर्ष 1977 का उदाहरण दिया जा रहा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं··· **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या किसी को बोलने नहीं दिया जायेगा ? सभापति महोदय, यदि सभा में इसी तरह गुंडागर्दी चलती रही, यदि कोई अपने विचार रखना चाहता है और यदि उसे बोलने नहीं दिया गया तो इस सभा म हम किस प्रकार काम कर सकते हैं ? उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने विचार व्यक्त नहीं करने दिया जा रहा है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। सब बैठ जायें। श्री जेठमलानी को अपनी बात खत्म करने दें। वह अपनी बात खत्म करने वाले हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि श्री जेठमलानी को अपने विचार नहीं रखने दिया जाता है तो यह सभा कैसे चलेगी ? उन्होंने केवल यही कहा है कि ऐसी चर्चा है कि सरकार विधान सभाओं को भंग करने पर विचार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री राम जेठ मलानी : मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1980 में जो स्थिति है वह वर्ष 1977 की स्थिति से वहुत भिन्न है। प्रथम 1977 के चुनावों में राज्य सरकारों का संचालन भी प्रत्यक्ष रूप से एक मामला था क्योंकि राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा लागू आपात स्थिति के उपायों को अपने यहां लागू किया था। इसलिए 1977 के चुनाव आपात स्थिति की भर्त्सना करने के सिद्धान्त पर लड़े गए थे और आपात स्थिति लागू करने में राज्य सरकारों का भी उतना हाथ था जितना केन्द्रीय सरकार का। **(व्यवधान)** इसके अतिरिक्त जो विधान सभाएं भंग कर दी गई थीं उनमें दो को छोड़कर सभी ने पांच वर्ष की सामान्य उचित अवधि को पूरा कर लिया था। वे संविधान के 42वें संशोधन पर निर्भर थीं। 42वां संशोधन और उसका औचित्य 1977 के चुनावों में प्रत्यक्ष रूप से एक मुद्दा था। मैं विधि मंत्री से सिफारिश करूंगा कि वह निर्णय को पढ़ें। सरकार को उच्चतम न्यायालय का निर्णय विशेषकर न्यायमूर्ति फजल अली का निर्णय पढ़ना चाहिए और तब उन्हें पता चलेगा कि किस आधार पर विधान सभा के भंग को वैध ठहराया गया था। यह केवल मतदान प्रक्रिया के आधार पर नहीं था अपितु यह इस आधार पर था कि राज्य सरकारों का संचालन प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में एक मुद्दा था। आज की स्थिति से उससे तुलना नहीं की जा सकती।

जनरल आर० एस० स्पैरो (जलन्धर) : सभापति महोदय, मैं आज इस महान सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अपना प्रथम भाषण देने को आपके समक्ष खड़े होते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं।

महोदय, पहला मुद्दा जिस पर मैं इस सदन तथा अपने देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा बाहर के व्यक्तियों के हित में है जो यह जानना चाहते होंगे कि हम अपने देश में किस प्रकार घूमते

फिरते हैं तथा यहां संवैधानिक प्रजातंत्र चल रहा है तथा सुचारु रूप से चल रहा है। उन्नति और अवनति हमारे यहां भी है किन्तु मध्य एशिया तथा अन्य स्थानों में विभिन्न प्रकार की उथल-पुथल के बावजूद भारत की 66 करोड़ जनता संवैधानिक प्रजातंत्र का पालन कर रही है तथा मेरे विचार से हम सभी को इसका गर्व होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति भाषण से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। विपक्ष के सदस्यों ने यह टिप्पणी की है कि सम्भवतः राष्ट्रपति अभिभाषण आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी है। मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक उन्हें बताना चाहता हूं कि जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है तो ऐसा होना चाहिए जिसे प्राप्त करना कुछ कठिन हो जिसकी प्राप्ति की आशा की जा सकती हो तथा जो व्यवहारिक दृष्टि से लाभप्रद हों।

अतः यह विशेष दस्तावेज जिसे तैयार किया गया है वह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण फलदायक है। मैं इसका व्यक्तिगत रूप से पूर्ण समर्थन करता हूं।

इसके पश्चात् हमें पिछली घटनाओं से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से देखना होगा। मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, भारत प्रगति कर रहा था। अन्य देशों को देखते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि हम अत्यन्त संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहे थे। तथा हमने वास्तव में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था अथवा करने वाले थे।

अब मैं दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, हम पर कई बार विदेशी आक्रमण हुआ। 1947 में जम्मू और काश्मीर आपरेशन आरम्भ हुआ तथा जनवरी, 1949 तक चला। आपको याद होगा तब हमारी सीमाओं के बारे में कई बार समस्याएं उत्पन्न हुईं। मैं आपका ध्यान रन आफ कछ में हुए आक्रमण की ओर दिलाना चाहूंगा। उसके बाद वर्ष 1960 में गोआ रेंगल हुआ। उसके पश्चात् 1962 में चीन ने आक्रमण किया तथा उसके बाद 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसके बाद तिकौना संघर्ष हुआ जिसमें बंगला देश, पाकिस्तान और भारत का हाथ था और जिसकी चरम सीमा 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के रूप में देखी गई। हम में से बहुत से व्यक्ति उस बात को सरलता से समझ सकते हैं कि कुछ बड़ी शक्तियां अर्द्ध विकसित तथा विकासशील देशों को किस प्रकार मोहरा बनाना चाहती हैं। किन्तु ऐसी घटनाएं होती हैं। पहली ऐतिहासिक घटना जिससे भारत का स्तर ऊंचा हुआ, मैं उसका संक्षेप में उल्लेख करूंगा। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध आरम्भ हुआ। दूसरी ओर से याह्या खां तथा उनके साथी हमें धमकियां दे रहे थे। हमने अपनी ओर से उनपर हमला नहीं किया। उन्होंने स्वयं हमारे देश पर आक्रमण करके गलती की। पाकिस्तान हमें धमकियां देता रहा। इतना ही नहीं कुछ अन्य देश भी इसमें उसके साथ मिल गये। किसी ने अमरीका के सातवें बेड़े के बंगाल की खाड़ी में आने का उल्लेख किया भी है। उन्होंने सम्भवतः पाकिस्तानी शासन को बताया कि हम पूरी शक्ति के साथ आ रहे हैं। वोइस आफ अमरीका तथा बहुत से समाचारपत्रों ने स्पष्ट रूप से उस बारे में समाचार प्रकाशित किये। उस मामले में चीन ने भी यह सन्देश भेजना

आरम्भ कर दिया कि पाकिस्तान को युद्ध जारी रखना चाहिये तथा यह कि उसको सभी प्रकार के हथियार भेजे जाएंगे। तब यह स्थिति थी जो उस समय मेरे ध्यान में आ रही है। मित्रता बदल सकती है। यह एक बात है किन्तु चीन ने याह्या खान सरकार का समर्थन किया तथा उसे बताया कि वह युद्ध जारी रखे तथा उसको सब प्रकार का असला भेजा जायेगा। भारत ने अकेले ही मुकाबला किया। हमने इन सभी लड़ाइयों को अकेले ही लड़ा। उस समय दो बड़ी ताकतों का विचार यह था। वे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एक महिला को डराने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे उन्हें शीघ्र झुक जाने के लिये डरा सकते थे। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की चालाकी से वह कह देंगी कि 'अच्छा ठीक है' और यह कि शायद इस प्रकार के डराने धमकाने से वह सुरक्षा परिषद में अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना स्वीकार कर लेंगी तथा कह देंगी कि हम सब भाई-भाई हैं, अब इसे जाने दो, आदि। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि वह बिल्कुल नहीं डरीं। वह ठोस तत्वों की बनी हुई हैं तथा वह बिल्कुल विचलित नहीं हुई तथा प्रधान मंत्री के नाते उनका जो दायित्व था वह उसका दृढ़ता से पालन करती रही तथा इसका परिणाम बड़ी सनसनी खेज निकला—ऐतिहासिक दृष्टि से सनसनी खेज। उन्हें इन सब बातों से बड़ा सावधान रहना पड़ा क्योंकि तरह तरह की धमकाने वाली कहानियां गढ़ी जा रही थीं, वह बहुत शांत रहीं और सामरिक दृष्टि से तथा तकनीकी दृष्टि से उनका व्यवहार संतुलित रहा। उन्होंने युद्ध की स्थिति को दृढ़ता तथा बहादुरी से सम्भाला। अन्त में हुआ क्या ? परिणाम यह निकला कि पाकिस्तानी सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। हमारी सेना ने हमारे प्रधान मंत्री के मार्ग दर्शन में युद्ध में जीत हासिल की, गौरव पूर्ण विजय पाई तथा पाकिस्तान में दो भाग हो गये। जनरल याह्या खां पहले महमूद गजनी और चंगेज खां जैसे पुराने विजेताओं का उल्लेख करते थे। वह कहते थे 'बिस्मार कर देंगे, फ़ना फिल्लाद कर देंगे।' किन्तु यह नहीं हुआ बल्कि इससे उल्टा ही हुआ। दूसरे शब्दों में जनरल न्याज़ी को हथियार डालने पड़े—हथियार घर जमीन जिससे मुझे एक अन्य ऐतिहासिक घटना की की याद आती है। मैं आपकी जानकारी के लिये इस घटना को दोहराता हूं। यह घटना 2300 वर्ष पूर्व चन्द्र गुप्त मौर्य से सम्बन्धित है जो सिकन्दर महान के साम्राज्य को नष्ट करने के लिये गये थे। उन्होंने बगदाद से 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मदायन (क्टेसिफोन) में भयंकर युद्ध किया था। कुछ वर्ष पूर्व मुझे उस स्थान को देखने का अवसर मिला था। उन्होंने प्रसिद्ध जनरल निकाटस सेल्यूकस के साथ यह युद्ध किया था जो सिकन्दर महान का उत्तराधिकारी था। भयंकर युद्ध हुआ तथा सेल्यूकस पराजित हुआ। उनकी सेना नष्ट हो गई। चन्द्रगुप्त मौर्य ने उस समय उससे कहा था कि अपने हथियार डाल दो। ज० नियाजी के मामले भी इसी प्रकार की घटना हुई। इस ऐतिहासिक तथ्य को एक प्रसिद्ध परसियन कवि खाकानी ने कवितावद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय ने कल पूछा था कि क्या इस सन्दर्भ में कोई फारसी में कविता है। यह पद्य है जिसमें मदायन में हुये विनाश का वर्णन मिलता है :—

आवख कि मदायन बूद
बैतुलशर्फ इहां का।
कर दे खजल अफरूगश
खुरशीदे दरख शां का।

बुद रोजे फितव मामुन
असकंदरो खाकां का।
इमरूज बमा बिगर
किं बुंगाए वीरां का।

अध्यक्ष महोदय, बहुत समय पश्चात भारत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। हमने सारी दुनिया को अपनी सामूहिक शक्ति दिखाई थी। इतना ही नहीं दूसरी ऐतिहासिक घटना को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जिसमें 1971 के भारत पर युद्ध की विजेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की महानता का पता लगता है। वह जानती थीं कि शत्रु बुरी तरह पराजित हुआ, जनरल याह्या खां भी जानते थे कि उनकी भारी पराजय हुई किन्तु फिर भी उन्होंने उदारता से यह निर्णय किया कि भारत की ओर 48 घंटे के अन्दर युद्ध विराम किया जाए। उन्होंने विजय के बाद अगले दिन 8 बजे म०प० इसकी घोषणा कर दी। जो व्यक्ति यह कहता था कि दस हजार वर्ष तक लड़ेंगे उसने भी पाकिस्तान की ओर से आधे घंटे में युद्ध विराम करने की घोषणा की।

विश्व के इतिहास में पहली बार कब्जे में ली गई एक-एक इंच भूमि का एक-एक टुकड़ा सम्मान सहित पराजित देश को लौटाया गया था। विश्व के इतिहास में पहली बार विजेता ने उसमें किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं की थी। उदाहरण के लिए जर्मनी को लीजिये। वर्ष 1944 में दूसरे विश्व युद्ध की सामग्री से लेकर आज तक किसी न किसी रूप से जर्मनी नाटो अथवा उनकी भूमि पर अन्य सेनाओं की हर्जाना देता है। ऐसे कुछ अन्य देश भी हैं जो अन्य देशों की भूमि पर अभी तक कब्जा किये हुए हैं और वहां से हट नहीं रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मूल संभावना और मैत्री का या जो भी इसे नाम दें उदाहरण प्रस्तुत किया और पराजित शत्रु के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था। भारत की महान परम्पराओ, सभ्यता और संस्कृति को व्यवहारिक रूप दिया गया। मैं यह बात माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता था। इस कार्य-वाही में भारत का सम्मान बढ़ा। जब तक वास्तव में हम शक्तिशाली नहीं बनते, शक्ति नहीं बढ़ा लेते तब तक हमारी कोई परवाह नहीं करेगा। पहली बार भारत ने महसूस किया कि हम आत्म निर्भर हैं, हम किसी देश के पिट्ठू नहीं हैं और न ही किसी देश के अधीन हैं, भारत स्वतन्त्र है और गौरवपूर्ण है।

इतना ही नहीं, फिर हम ने पोखरन में परमाणु विस्फोट किया। निःसन्देह उसकी कुछ आलोचना की गई, परन्तु मुख्य बात यह थी कि सभी ने हमारी तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की योग्यता को मान लिया। उन्होंने बिना किसी उल्लेखनीय विदेशी सहायता के औद्योगिक और भारी शक्ति एकत्र करने के बारे में प्रगति के विचार से भारत को विश्व के पहले 6 देशों में दर्जा दिलाया। ये कुछ ऐसी बातें है जिन्हें मैं संक्षेप में पृष्ठ भूमि से रूप में रखना चाहता था।

अब मैं आर्थिक क्षेत्र की ओर आता हूं। मैं पंजाब में खाद्य तथा कृषि मंत्री रहा हूं। उस नाते मुझे केन्द्रीय 'पूल' के लिए अनाज पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे स्थिति का

पता है, मैंने श्री चरण सिंह को कुछ आंकड़ें देते हुए सुना था। मैं बताना चाहूंगा कि अन्य लोगों के भी आंकड़े हैं। हमें पी० एल० 480 के बारे में बहुत चिंता होती थी जब वे हमें एक घटिया सी किस्त का गेहूं देते थे और अपनी मनमानी शर्तें रखते थे। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री पद की 11 वर्ष की अवधि के दौरान हमारा भंडार बहुत बढ़ गया। मुझे याद है कि हम किसी समय केन्द्रीय 'पूल' में 6 1/2 लाख टन गेहूं रखते थे।फिर कुछ ही वर्ष में 20 लाख टन और 25लाख टन गेहूं रखा जाने लगा। मैं श्री चरण सिंह को याद दिलाना चाहता हूं कि जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और उनके अपने राज्य में 27 लाख टन खाद्यान्न की कमी रही थी। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि हम एक महान एवं योग्य नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में किस प्रकार आर्थिक प्रगति करते रहे। ऐतिहासिक दृष्टि से इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता।

अब मैं औद्योगिक उत्पादन की बात करना चाहूंगा। मैं जिस स्थान से आया हूं वहां कुछ उद्योग भी हैं इनमें से अधिकांश लघु उद्योग की कोटि में आते हैं और बहुत छोटे आकार के हैं। समूचे देश की औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़ाया है और उन वस्तुओं का कनाडा तथा अलसामा तक विदेशी मंडियों को भी निर्यात होने लगा है। इसमें हाथ के औजार, स्वेटर, जूते आदि शामिल हैं। जलन्धर में एक बस्ती शेखा है यहां से हमने लगभग 5 1/2 करोड़ रुपए के मूल्यों की वस्तुओं का निर्यात आरम्भ किया है। यदि ऐसा चलता रहा तो हम जान सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होगा। यहां का निर्मित माल बाहर जाएगा और धन देश में आएगा जिससे हमारी जनता का रहने का स्तर बढ़ेगा। इसी प्रकार अमरीका और योरुप ने प्रगति की थी और अब वही प्रक्रिया हमारे देश के हित में जोरों पर चल रही है। आप इसको किसी अन्य दृष्टि से कम मान सकते हैं परन्तु मैं इसे व्यापक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से ही देखता हूं विदेशी मुद्रा का भारी भण्डार जमा किया गया था। आर्थिक स्थिति से हमारा आदान प्रदान बढ़ता रहा जिससे मूल्य स्तर को बनाए रखने में सहायता मिली और साथ ही हम जीवन स्तर को ऊंचा करने की दिशा में भी अग्रसर रहे।

हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। जी हां, कुछ गलतियां हो सकती हैं, परन्तु जब तक उत्पादन अधिक होता रहता है और उसमें कुछ भूलें भी हो जाती हैं तो देश की प्रगति के लिए उनको स्वीकार भी करना पड़ता है। और फिर एक ऐसा अवसर आया कि देश को एक जबरदस्त धक्का लगा। स्थिति बदली और जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आई। मैं इसका ब्यौरा नहीं देना चाहता कि यह सब कैसे हुआ। परन्तु मुझे इसकी पूरी जानकारी है।

हमारे एक भूतपूर्व महामंत्री तथा अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री चन्द्रजीत यादव यहां पर बैठे हैं और उन्होंने चनाव के परिणाम आने पर मुझसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ? मैं तो उनको लिखकर दिया था कि कांग्रेस की हार कैसे हुई। परन्तु भाग्य का चक्र बदला। और यही हुआ। मुझे इस सभा में कुछ बातें कहने में कोई संकोच नहीं कि जिनकी जानकारी मुझे मिली है। यह चक्र बहुत तेज गति से घूमा और जनता पार्टी की ओर से बहुत वचन दिये गए तो वह बहुत प्रलोभनकारी दिखाई देते थे। और उस समय कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता था। परन्तु जनता पार्टी ने शासन आरम्भ

किया ही था कि स्थिति बिगड़ने लगी। सबसे पहली बात यह हुई कि उनका दल मिलकर काम न कर सका। वास्तव में एक उच्च नेता दूसरे उच्च नेता की आलोचना करने लगा।

मैं एक साधारण सी तुलना करना चाहूंगा। आप फुटबाल या हाकी का खेल खेलना चाहते हैं। परन्तु यदि आप अपने ही साथयों को मारने लगें तो आपकी टीम गोल नहीं कर सकेगी, विरोधी पक्ष ही गोल करेगा।

आप प्रशासन की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि इन 2 1/2 वर्षों में प्रशासन में क्या हुआ। जिन लोगों से आशा की जाती थी कि वे 66 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे उन्हें प्रशासन चलाने के लिए समय ही नहीं था। उनके पास वास्तव में अपने झगड़े से ही समय नहीं बचता था।

वे बच्चे नहीं थे परन्तु समस्याओं से निपटने के लिए जो संजीदगी चाहिए उसका अभाव था। उनके प्रयास सुसंगठित नहीं थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि वे भारत के लिए गलत काम करते रहे और भारत उनको ऐसा करने के लिए कभी क्षमा नहीं कर सकता।

तथ्य का उल्लेख तो करना ही होगा। मैं उनमें से अनेक मित्रों का बहुत आदर करता हूं। अटल जी और अन्य उनमें थे। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, परन्तु यह हमारे देश की जनता के भाग्य के साथ खेलने का प्रश्न है।

मैं उनको निजी बात बताता हूं। मुझे यहां पर खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अन्य लोगों की उपस्थिति में मरा हुआ होना चाहिए था। जब मैं टैंकों से लड़ता था तो भारतवर्ष की प्रतिष्ठा के लिए लड़ता था और इसी भावना से युद्ध जारी रखता था। यह मेरी बीती बात है। अतः हम भारत को नीचा कैसे देख सकते थे। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। मेरी पार्टी भी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेगी।

हमारी समस्याओं के साथ जिस प्रकार गलत तरीकों से निपटा गया उनके उदाहरण निम्न लिखित हैं :

कृपया मेरी बात को सुने क्योंकि पहले बहुत समय नष्ट हो गया है। मैं पहले एक उदाहरण रखता हूं। आप सोने के बारे में जानते हैं कि वह किस प्रकार गायब हो गया? सोने के विक्रेय को 7.7 टन भारी हानि पर बेच दिया गया। मुझे पता नहीं कि वह वृद्ध सज्जन पुरुष सोने के विरुद्ध क्यों था। पहले वह स्वर्ण नियंत्रण कानून लाया था और फिर सोने का नीलाम आरम्भ कर दिया। मैं उसको समझ नहीं सका। कोई भी व्यक्ति उसे समझ नहीं सका। मैंने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है। अन्य लोगों ने भी मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ा है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री की यह कार्यवाही ऐसी था जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। स्वर्ण निक्षेप आपकी राष्ट्रीय गारंटी है, प्रत्येक राष्ट्र के पास सोना है। रूस के पास है। इंग्लैंड के पास है, यह लेन देन, सहायता, व्यापार चलाने आदि के

लिए गारंटी होती है। परन्तु वे उसे नीलाम करते और लगभग 600 रुपये प्रति दस ग्राम के हिसाब से वेचते रहे। वह 600 और 700 रुपये प्रति दस ग्राम के बीच की दर से नीलाम किया गया और जो वचन दिए गए थे वे कुछ इस प्रकार के हैं; इसे जनता में जाने दो, यह बहुत सस्ता हो जायेगा। परंन्तु यह बात गलत सिद्ध हुई। तीन महीने के अवधि में उसकी दर 800 रुपये, 900 रुपये और 1000 रुपये हो गई और फिर यह 1500 रुपये तक पहुंच गया और अब एक महीने पूर्व तो इसका मूल्य 2000 रुपये तक बढ़ गया। इस सरकार द्वारा शासन छोड़ने के बाद इसका मूल्य कम हो गया था। आर्थिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है। परन्तु यदि मुझे आप एक मिनट दें तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं।

कानून और व्यवस्था तथा विधि शासन के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है परन्तु मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में बहुत अधिक विनाश और खून-खराबा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार सांख्यिकी संगणना समिति के चेयर मैन के नाते मैं अपने किसी भी मित्र को, यदि वह मेरे पास आयें, बता सकता हूं कि समूचे देश में उस अवधि में गड़बड़ी के दौरान गोली चलाये जाने से और साम्प्रदायिक दंगों में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ मामलों को उद्धृत करने के विचार से अलीगढ़, आगरा, औरंगाबाद, अमृतसर, बेल्ची, जमशेदपुर तथा अनेक अन्य स्थानों का नाम लिया जा सकता है। यह सब कुछ होता रहा परन्तु जनता पार्टी चुप बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सोचना मेरा काम नहीं कि ऐसा किस कारण हुआ या इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। परन्तु तथ्य यह है कि अंग्रेजों के शासन काल में भी वे एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाते थे —वे दोनों पर नियंत्रण करना जानते थे : परन्तु इनका कोई नियंत्रण नहीं था। चाहे पन्त नगर का मामला हो या कोई और हो वे पूरी तरह असफल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है। परन्तु हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यदि किसी व्यक्ति को दबाना हो तो उसे पूरी शक्ति से और शीघ्र दबाना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रसन्नता से रह सकें।

जनता सरकार विदेश नीति के मामले में भी बुरी तरह असफल रही है और इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान चीन के साथ साठगांठ करके भारत पर खतरे की तलवार लटकाए हुए है जो कि कराकुरम रोड है। उन्होंने हवेलियां-थाकोट-जलकोट-चिलास गिलगिट-बलटिट-पासु-मिसगर-खुजाब पास और चीन के सिक्यांग प्रान्त में काशमर तक सड़क बना ली है। मुझे पता है कि इसका धारा वर्गीकरण 70,30, 9, आदि की सीमा कहां तक है। मुझे यह भी पता है कि इसका बल्कि सामरिक सड़क का भौतिक महत्व कितना है। दुर्भाग्य से इतनी गम्भीर घटना हो गई और जनता पार्टी ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया और न ही कोई रोषपत्र भेजा है। उन्होंने इस बात की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपने मन में हैरान था। यदि वे इन बातों को नहीं जानते थे तो वे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकते थे। यह बहुत बड़ा देश है इसमें जानकारी रखने वालों की कमी नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसके लिए दोषी व्यक्तियों

को मैं क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि हमको हर हालत में देश की अखंडता की रक्षा करनी है। मैं जानता हूं कि जनरल जिया-उल-हक सम्भवतः गलती कर रहे हैं और हमारे प्रधान मंत्री ने गुट-निरपेक्ष नीति को सही शब्दों में व्यक्त किया है। हम अपने पांवों पर खड़े रहेंगे और सब के मित्र भी रहेंगे। यदि कोई हमारे विरुद्ध लड़ता है या हमें तंग करने का प्रयत्न करता है, उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया जायेगा। अन्यथा हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना। जिया-उल-हक मेरी कोर में था, मेरी अपनी टैंककोर में था, फिर एक जूनियर आफिसर मेरे अधीन काम करता रहा है। मैं ये खबर उन तक पहुंचाना चाहता हूं "परमात्मा के लिए, कोई अनुचित काम न करें क्योंकि विश्व में जिसने भी हथियारों की विदेशी सहायता प्राप्त की है उसने अपना ही सर्वनाश कर लिया है।"

यह कोरिया हो सकता है। यह कम्पूचिया. वियतनाम, कांगो, कटांगा, उगांडा, नाइजेरिया, ईरान और अब अफगानिस्तान है।

"भगवान के लिए, जिया, इस उल्टी दौड़ में न लगें अन्यथा आपकी ही हानि होगी, हमारी नहीं। हमारे मित्र बनें, हम आक्रमण नहीं करना चाहते। हमारे प्रधान मंत्री का हृदय बहुत बड़ा है। आपने जो कुछ भी मांगा—मेरा तात्पर्य आपके पूर्वाधिकारी से है—उन्होंने दिया। तटस्थता से अपनी नीति पर विचार करें और उसके बाद हम आपकी सहायता करेंगे। इस उप महाद्वीप को अपने पैरों पर खड़े रहना है। हम दोनों ही मुख्य शक्तियां हैं और हम मित्र रहेंगे। अतः हम सभी मामलों में आपकी सहायता करेंगे।

महोदय, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं और मुझे आपकी घंटी का ध्यान रखना है। अतः मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मुझे कुछ बातें कहनी हैं परन्तु अब मैं नहीं कह सकता। मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मध्याह्न भोजन काल समाप्त करने के बारे में घोषणा

सभापति महोदय : अगले वक्ता का नाम पुकारने से पहले मुझे यह घोषणा करनी है कि कार्य मन्त्रणा समिति ने आज की अपनी बैठक में सिफारिश की है कि मध्याह्न भोजन काल को 2 फरवरी 1980 तक समाप्त कर दिया जाये। मुझे विश्वास है कि सदन इससे सहमत है।

अतः कल अर्थात् 30 जनवरी, 1980 से मध्याह्न भोजन काल नहीं रहेगा।

श्री नारायण चन्द पराशर। हम चार बजे म० प० तक बैठ रहे हैं। आपके लिए केवल सात मिनट का समय है।

प्रोफेसर नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : माननीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सातवीं संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिवस पर किया और इन्दिरा जी के नेतृत्व में संसद एक ऐतिहासिक रौल अदा करने जा रही है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महत्वपूर्ण जो बात कही गयी है वह है इस सरकार की प्लानिंग के प्रति, योजनाबद्ध विकास के प्रति कमिटमेंट की। हमें खेद है कि हमारी पिछली सरकार ने जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चलती रही और जनता पार्टी के कार्यक्रमों को अपनाती रही, उसने प्लानिंग के कंसेप्ट को सब से ज्यादाहानि पहुंचाई। यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का नाम लेने वाली और महात्मा गांधी की समाधि पर कसम खाने वाली सरकार ने रोलिंग प्लान का कंसेप्ट निकाला जिसके द्वारा प्लान को ही रोल कर दिया गया। छठा प्लान बन नहीं सका, सातवें की तो बात ही क्या। इस प्लान के बनने के लिए पहले ही जनता पार्टी के मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह सभी रोल हो गए।

मेरा कहना यह है कि देश ने आज नहीं, आज से 40 साल पहले, जब कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था तो नेताजी सुभाषचन्द्रबोस की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि योजना बद्ध विकास के जरिये से देश के सब से ज्यादा गरीबों की किस्मत को सुधार जाएगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक,कमेटी बनायी गयी थी और बाबू सुभाषचन्द्र बोस की सलाह से बनायी गयी थी ताकि प्लानिंग के जरिए से इस देश की किस्मत को सुधारा जा सके।

मुझे मालूम है कि जनता पार्टी में कुछ ऐसे तत्व थे जिन का प्लानिंग में न कभी विश्वास रहा था और न है क्योंकि उनके वास्ते तो प्लानिंग का मतलब यही था बड़े-बड़े जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं और जो बड़े-बड़े राज घराने हैं उनकी ही सेवा की जाए और उनकी सेवा करने के सिवाय और कुछ प्लानिंग का मतलब नहीं है। सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि प्लानिंग के प्रति हम को कटिबद्ध होना है क्योंकि प्लानिंग से ही हर गरीब आदमी की झोंपड़ी में प्रकाश का दीप जलाया जा सकता है। इस वास्ते यह प्लानिंग का कंसेप्ट रखा गया था। उस प्लानिंग को तीन साल तक छुट्टी दे दी गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और क्या हो सकता था। नेशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई उसमें छठी योजना का स्वरूप स्थिर नहीं किया जा सका और विभिन्न प्रान्तों से आए हुए मुख्य मंत्रियों और दूसरे लोगों को यह कह दिया गया कि हमको इस नीति पर विश्वास नहीं है। यह देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अन्धकार युग था जब प्लानिंग को छोड़ दिया गया और गरीबों के प्रति जो हमारा संकल्प था सेवा भाव का, उसको भी छुट्टी दे दी गई। इसके लिए जो सजा श्री मोरारजी देसाई और जनता पार्टी को दी गई है वह सब के सामने है। एक कोने से दूसरे कोने तक एक ऐसी ज्वाला उठी कि जनता पार्टी तारीख से ही मिट गई। ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं। भारत की जनता ने एक काम बहुत अच्छा किया है। जो जगजीवन राम जी और चरण सिंह जी इकट्ठे बैठते भी नहीं

थे, दोनों को अपोजीशन के बेंचों पर उसने लाकर एक साथ इक्ट्ठे बिठा दिया है और अब दोनों आराम से बैठेंगे पांच साल तक। मेरा विश्वास है कि अब तो उन्होंने सबक सीख लिया होगा और उनको पता लग गया होगा कि उन लोगों ने असली गलती क्या की है।

जनरल स्पैरो ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि टीम के तौर पर लोग चल नहीं सके। देश चाहता है कि जो सत्ता कुर्सी पर पहुंच जाए वह अपनी जिम्मेदारी को समझे, देश को सम्भाले, परशनल बातों को हवा न दे। इन लोगों ने देश की एकता के साथ, उसकी अखंडता के साथ मजाक किया। पांडिचेरी और सिक्किम के बारे में क्या कहा? श्री मोरारजी देसाई ने देश की एकता के साथ कैसा मजाक किया वह इसी बात से साबित हो जाता है जब उन्होंने कहा था कि उनका अपना विचार है कि सिक्किम को इस तरह से मिलाया नहीं जाना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश के साथ इस तरह की बात करना न्याय था? सिक्किम के प्रतिमिधियों के साथ यह न्याय था? वे लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला कर, कंधे के कंधा मिलाकर चलना चाहते थे। जहां कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी देश को एक रखने के लिए आगे बढ़ती हैं वहां दूसरी तरफ श्री मोरारजी देसाई महात्मा गांधी की समाधि पर कसम खाने के बाद सिक्किम को यह हवा देते हैं कि वहां पर दूसरे तत्व सिर उठाएं। इसके अलावा पांडिचेरी के विलय का सवाल जब आया और प्लेबेसाइट और रेफ्रेंडम की बात आई तो श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमें मालूम है लोगों का मंशा क्या है और उनका नतीजा क्या निकलेगा। वहां के लोग मद्रास में शामिल होना चाहते हैं पांडिचेरी मिल कर रहेगा। आज श्री मोरारजी देसाई सदन में नहीं हैं लेकिन पांडिचेरी एक इकाई है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तानाशाह कौन है, श्री मोरारजी देसाई थे या जनता पार्टी थी जो लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहते थे या इन्दिरा गांधी और कांग्रेस मार्टी थी। इतिहास ने यह साबित कर दिया है। पांडिचेरी में आज भी कांग्रेस आई को तथा इसके दूसरे साथियों को बिजय मिली है और श्री मोरारजी देसाई की पार्टी को सिफर। अब मैं समझता हूं कि देश की एकता और प्लानिंग दोनों को एक नया जोश मिला है, एक नया प्रोत्साहन मिला है और आने वाले सालों में देश की एकता और भी मजबूत होगी और हमारा प्लानिंग का प्रासेस और भी आगे बढ़ेगा।

प्लानिंग की जब मैं बात करता हूं तो हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। सारे देश के लिए प्लानिंग एक समान नहीं हो सकता है, उसमें एकरूपता नहीं लाई जा सकती है क्योंकि देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जो सीमाओं पर स्थित हैं बोर्डर स्टेटस हैं और कुछ हिल एरियाज हैं और उनके लिए हमें प्लानिंग का क्राइटीरिया डिफ्रेंट रखना होगा। अगर हम एक रेलवे लाइन प्लेंज में पंजाब में डालना चाहते हैं तो हो सकता है कि उस पर तीन चार लाख रुपया खर्च हो लेकिन हिमाचल में या जम्मू काश्मीर में उस पर 33-40 लाख रुपया खर्च होगा।

सभापति महोदय : आप आज अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि प्रधान मंत्री कल चर्चा का उत्तर देंगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : परन्तु अन्य अनेक व्यक्ति हैं जिनको बोलना है। मुस्लिम लीग को चर्चा में बिलकुल भाग नहीं लेने दिया गया है।

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं?

श्री जी० एम० बनातवाला : यह उचित नहीं है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : हिमाचल, काश्मीर, नागालैण्ड, मणीपुर, अरुणाचल आदि के लिए वही यार्ड स्टिक नहीं हो जाता है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या पंजाब आदि के लिए आप रखते हैं। ऐसा आपने किया तो यह देश की किस्मत के साथ न्याय करना नहीं होगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जहां प्लानिंग के प्रति कमिटमेंट है वहां मैं यह भी चाहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि क्राइटीरिया भी डिफ्रेंट हों। अप्रैल 1975 में विज्ञान भवन में आल इन्डिया हिल पीपल्ज वैलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक सेमीनार का आयोजन किया गया था जिसमें पर्वतीय प्रदेशों के विकास सम्बन्धी योजनाओं पर विचार किया गया था और उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी आई थीं और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उन इलाकों की समस्याओं को सामने रखते हुए उसमें एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से यह कहा गया था कि विपुल धनराशि, सफिशेंट रिसोर्सिस उपलब्ध किए जाने चाहिए प्रदेशों के उन हिस्सों के लिए जो पहाड़ी हैं ताकि वहां पर लोगों का आर्थिक विकास हो सके, ताकि वहां पर लोग अपना आर्थिक विकास कर सकें।

इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन समय कम है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने देश की किस्मत के साथ न्याय नहीं किया और इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका एप्रोच यही रहा कि कांग्रेस द्वारा जितने भी विकास के काम शुरू किये गए उनको खत्म किया जाय। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने 22 दिसम्बर, 1974 को हिमाचल प्रदेश में पहली बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया . . . .

सभापति महोदय : यह घोषणा की गई है कि मदन चार बचे म. प. उठ जाएगा जिससे सदस्य समापन समारोह में जा सकें। अतः आप अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : कृपया मुझे कम से कम पांच मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : नहीं, मैं किस प्रकार दे सकता हूं। कल प्रधान मंत्री जवाब देंगी, इसलिए आपको आज ही अपना भाषण खत्म करना है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैं कह रहा था कि उस रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ, उसके लिए राज्य सरकार ने जमीन दी, लेकिन उस लाइन को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि जनता सरकार ने यह कहा कि कांग्रेस सरकार में यह काम शुरू हुआ था और उसकी कोई रूप-रेखा नहीं है इसलिए इस काम को पूरा नहीं किया गया। अभी हाल ही में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने हिमाचल में यह घोषणा की थी कि इस लाइन को पूरा किया जायगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लाइन को बनाया जाय।

इसी प्रकार डा० शंकर दयाल शर्मा ने 19 दिसम्बर, 1976 को यह घोषणा की थी कि

हिमाचल के लिए पी० एन्ड टी० सर्किल होगा और उस दिशा में काम शुरू हुआ था। मैं चाहूंगा कि उसको भी अब पूरा किया जाए।

भारत की प्रतिष्ठा जनता पार्टी सरकार के जमाने में बहुत नीचे गई है। और ट्रिब्युन अखबार में कहा गया है कि विदेशों में हमको वह सम्मान नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। हमें आशा है कि नई सरकार के आने से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और प्रदेशों में जो भावना है कि हमारे साथ न्याय नहीं किया गया या जो विकास के काम शुरू किए गए थे लेकिन जनत सरकार के समय बन्द हो गये थे उनको दुबारा शुरू किया जायगा और पहाड़ी लोगों के सा न्याय किया जायगा। विदेशों में हमारा मान बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि जो नया युग आरम्भ हुआ है उसमें भारत का सर ऊंचा हो और भारत के लोग भी प्रसन्न और समृद्ध हों।

कार्य मन्त्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सभापति महोदय : मेरा अब सभा को स्थगित करने का विचार है जिससे कि सदस्य समापन समारोह में उपस्थित हो सकें। ऐसा करने से पूर्व मैं सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत की आजादी के लिए अपनी जानें देने वालों की स्मृति में कल सभा द्वारा 11 बजे म० पू० दो मिनट का मौन रखा जायेगा। अध्यक्ष महोदय 11 बजे म० पू० से कुछ समय पूर्व पीठासीन होंगे। सदस्य 10.55 बजे म० पू० तक सभा में अपने-अपने स्थान ग्रहण कर लें।

सभा अब कल 10.58 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

माध्यान्ह पश्चात 4.02 बजे तत्पश्चात लोक सभा बुद्धवार 30 जनवरी. 1980—10 माघ, 1901 (शक) को 10.58 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———